रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन) 128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 1991 (आषाढ़ 29, 1913)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 1991 (ASADHA 29, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

वार्षिक महासभा

बम्बई-400021, दिनांक 3 जुलाई 1991

शुद्धि पत्र

सं० —सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22 जून, 1991 के राजपत्र में यथा अधिसूचित बंगलूर में गुरुवार दिनांक 25 जुलाई, 1991 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित होने वाली भारतीय स्टेट बैंक की छत्तीसवीं वार्षिक महासभा के स्थल को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

"चौड़िया मेमोरियल हाल"
गायत्रीदेवी पार्क एक्सटेंशन
सांके टैंक के पास
व्यालिकवल
बंगलूर—560003

एम० एन० गोइपोरिया
अध्यक्ष

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400005, दिनांक 20 मई 1991

सं० 3 डब्ल्यूसीए(4)/2/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	16637	श्री रामनिवास बी० बांगड़ बैंक आफ महाराष्ट्र के सामने, किराना चावड़ी, औरंगाबाद-431001	20-10-90
2.	41505	श्री महेश अमृतलाल शाह, भीड़ बाजार, भुज-370001	6-09-90

सं० 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	564	श्री इयान मेकलीन ओग, पेटीट सेन्टीयर, सेंट जान, जेरसी, चैनल आयलैण्ड, सेंट्रल-62339 यूनाइटेड किंगडम	25-12-90
2.	5686	श्री बी० एच० किशनादवाला, 66-ए, पोदार चेंबर्स, 3रा माला, 109, पारसी बाजार स्ट्रीट, बम्बई-400001	20-3-91

एम० सी० नरसिम्हम,
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 27 जून 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं० 3-एस०सी०ए०(4)/1/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	387	श्री के० रामाचन्द्रा राव, इन्निसपेटा, राजामहेन्द्रावरम	24-3-91
2.	1124	श्री के० रामानाथन, "भवानी", सं० 5, 5 स्ट्रीट, गोपालापुरम, मद्रास-600086	2-11-90
3.	2930	श्री टी० वी० सुन्दरराजन, 27, कैथेड्रल गार्डन रोड, मद्रास-600 034	9-12-90
4	81225	श्री एम० आर० नागप्पा, 251, अपर्णा, 2 मैन, 17 क्रास, माल्लेश्वरम, बंगलोर-560003	3-12-90

सं० 3-एस०सी०ए०(4)/2/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	1807	श्री टी० एस० रंगानाथन, 3, थिरुवेंगडम, स्ट्रीट, आर० ए० पुरम, मंडावल्ली, मद्रास-600028	11-4-91

1	2	3	4
2.	9375	श्री वाई० वी० कृष्णा राव, 59-7-12, रामाचन्द्रानगर, विजयवाड़ा-520008	29-3-91
3.	11576	श्री के० शिवासामी, 38, हुजुर रोड, कोयम्बटोर-641018	3-4-91
4.	25275	श्री पी० मनिकावसागम, 227-ए, तेनकासी रोड, राजापलायाम-626117	2-5-91

दिनांक 28 जून 1991

सं० 3-एस०सी०ए०(5)/2/91-92—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-एस०सी०ए०(4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर, 1990, 3-एस० सी० ए० (4)/8/87-88 दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 और 3-ई०सी०ए०(4)/4/90-91 दिनांक 10 नवम्बर, 1990, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	6725	श्री कृष्णास्वामी आर०, एफ०सी०ए०, 15, वेसीकरसामी स्ट्रीट, पालायोप, माइलापोर, मद्रास-600004	9-4-91
2.	18580	श्री वेरूमल रेड्डी टी०, ए० सी० ए०, मैनेजर, यूको बैंक, 169, थम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001	1-4-91
3.	19409	श्री जयाकृष्णा आर०,ए०सी०ए० 5812, सेंट्रल ड्राइव, एवरट, डब्ल्यू०ए०-98204, (यू० एस०ए०)	11-4-91
4.	19553	श्री रामजी एस०, एफ०सी०ए०, फाइनैंशियल कन्ट्रोलर, अल जलाफ ट्रेडिंग, पी० ओ० बाक्स 46193, आबू धाबी, यू०ए०ई०	2-4-91
5.	21332	श्री जोशी एच०जी०, ए०सी०ए०, एच० नं० 1609, महादेवगली, बेलगांव-590002	8-4-91
6.	22326	श्री जगदीश भाई एन० डावे, एफ० सी० ए०, 14, समुद्रा मुदाली स्ट्रीट मद्रास-600003	5-4-91
7.	23960	श्री सोमास्कन्दन के० ए० सी० ए० नं० 12, जयशंकर स्ट्रीट, वैस्ट मम्बालम, मद्रास-600033	3-4-91
8.	25096	श्री कृष्णा मोहन जी०, ए० सी० ए०, एसिस्टेंट सेक्रेटरी, ए०पी०एस०आर०टी०सी० (ईटीएण्ड सी०सी०एस०)लि०, आजमाबाद, पी०बी० नं० 1819, हैदराबाद-500020	8-4-91
9.	28069	श्री थोमस जोर्ज पी०, ए०सी०ए०, पी० ओ० बाक्स-51014, दुबई-यू०ए०ई०	1-4-91
10.	54749	श्री रामा कृष्णा सासनापुरी, ए०सी०ए०, सी-68, आन्ध्रानगर, युसुफगुडा, हैदराबाद-500038	1-10-90

एम०सी०नरसिम्हन,
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 4 जून 1991

सं० 3सी०सी०ए०(4)(2)/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतदद्वारा

यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1)(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उसके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	6405	श्री भोला तिवारी, ए/4, बिस्कोमाउन कालोनी, पटना–800007	16-12-90

एम सी०नरसिम्हन,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1991

सं० बी०33(13)-10/90-स्था०–4—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में तथा निगम की अधिसूचना संख्या: बी०33(13)–10/84–स्था०–4 दिनांक 1–5–1987 का अतिक्रमण करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष इसके द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात :—

1	श्रम मंत्री, महाराष्ट्र सरकार।	अध्यक्ष
2	लोक स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार।	उपाध्यक्ष
3.	सचिव (श्रम), उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य
4.	आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बम्बई।	राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सीधे प्रभारी अधिकारी पदेन–सदस्य
5.	उप चिकित्सा आयुक्त, क०रा०बी० निगम, पश्चिमी जोन, बम्बई।	पदेन–सदस्य
6.	श्री डी०एन० तडवेल्कर, श्रम सलाहकार, मराठा चैम्बर आफ कामर्स एवं उद्योग, तिलक मार्ग, पूना–2	नियोजकों के प्रतिनिधि
7.	श्री बसन्त लाल शा, अध्यक्ष, विदर्भ उद्योग संघ, महाराष्ट्र बैंक भवन, सीताबुर्दी, नागपुर–12	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि।
8.	श्री हरिभाऊ लम्बट, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, नाग रोड विद्यानाथ चौक, नागपुर।	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
9.	श्री के० एल० बजाज, महासचिव, भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र, 6 तानीबाई निवास, वडाला स्टेशन मार्ग, बम्बई-44031	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
10.	श्री ए०एस० कास्लीवाल, अध्यक्ष, मै० एस० कुमार इण्टरप्राइजिज, (साइन फैब्स०) प्रा० लि०, निरंजन भवन, 99 मैरीन ड्राइव, बम्बई-400002	राज्य के निवासी क०रा० बीमा निगम के सदस्य, पदेन–सदस्य
11.	श्री एस० के नन्दा, महासचिव, भारतीय नियोजक संघ, थल एवं जल सेना भवन, 148 महात्मा गांधी मार्ग, बम्बई-400023	वही
12.	प्रोफैसर वी० बी० कामथ, "हीरा महल", 171 शिवाजी पार्क, मार्ग नं० 5, बम्बई-400016	वही

13. श्री जी० वी० चिटनिस, महासचिव, ऐटक की महाराष्ट्र राज्य समिति, 17 वाल्वी भवन, डा० अम्बेडकर मार्ग, परेल नाका, बम्बई-400012	राज्य के निवासी क०रा०बी० निगम के सदस्य	पदेन-सदस्य
14. श्री वसन्त खानोलकर, महासचिव, कैमिकल मजदूर सभा, 115—सत्यगिरी सदन, दादा साहेब फाल्के मार्ग, दादर, बम्बई—400014	वही	
15. डा०ए० जे० शैलट, 225—ए, शिवाजी नगर, एन० एम० जोशी मार्ग, बम्बई	वही	
16. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, चिकित्सा शिक्षा एव औषध विभाग, बम्बई।	वही	
17. श्री एस० वी० गोले महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय म्युनिसिपल एवं स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ कामगार कार्यालय, लैमिंगटन मार्ग, टोपीवाला लेन, बम्बई-400007	चिकित्सा हितलाभ परिषद के सदस्य	पदेन-सदस्य
18. डा० हर्षवर्धन गौतम, संयोजक, क० रा०बी०कक्ष, भारतीय मजदूर संघ, 25—अब्राहिम मैनसन, डा० अम्बेदकर मार्ग, परेल, बम्बई-400012	वही	
19. डा० (श्रीमती) ललिता राव, "कैलाश" 141—सियोन (पश्चिम), बम्बई—400022 (महाराष्ट्र)	वही	
20. डा० जे० जी० जोगीवासानी डी०ए०एस०एफ० 154, जोरबाई वाडिया मार्ग, परेल, बम्बई-400012	वही	
21. वैद्य श्री बी० के० पाध्या गुरुजर, 9—नर्बदा निवास, टोपी वाला वादी, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई-400064	चिकित्सा हितलाभ परिषद् के सदस्य	पदेन-सदस्य
22. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बम्बई।		सदस्य-सचिव

दिनांक 28 जून 1991

सं० टी—11/13/3/90—बीमा—3—कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 6—3—1991 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित संकल्प अंगीकार किया जो सभी संबंधित को सूचना के लिए प्राकाशित किया जाता है:—

संकल्प

"पूर्व संकल्प दिनांक 14—12—1980 का अतिक्रमण करते हुए यह संकल्प किया जाता है कि देय अंशदान की राशि आदेश द्वारा निर्धारित करने के लिए धारा 45—क के अधीन निगम की शक्तियों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाएगा :—

(i) महानिदेशक, बीमा आयुक्त और संयुक्त बीमा आयुक्त द्वारा भारत में कहीं पर स्थित कारखाने/स्थापना के संबंध में,

(ii) क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उसके क्षेत्र में स्थित कारखाने/स्थापना के संबंध में,

(iii) निदेशक/संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी/उप क्षेत्रीय निदेशक और सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उसके प्रभार क्षेत्र/उसके क्षेत्र/उसके उप क्षेत्र में स्थित कारखाने/स्थापना के संबंध में"।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथासंशोधित) की धारा 7 के अधीन अधिप्रमाणित

संख्या टी—11/19/1/90—बीमा—3—सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 6—3—91 को हुई बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85—ख के अधीन नियोजकों से हर्जाने के उद्ग्रहण तथा वसूली के लिए 14 मई, 1983 के भारत के राजपत्र के भाग—3, अनुभाग—4 में अधिसूचना संख्या एन—4/13/2/82—बीमा—3 दिनांक 29—4—83 के अधीन यथा प्रकाशित निगम के संकल्प में उल्लिखित अधिकारियों

के अतिरिक्त निगम के अन्य अधिकारियों को भी निम्न अनुसार शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय किया है :—

"यह भी संकल्प किया गया कि यथा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85(ख) के अधीन नियोजक (कों) से हर्जाने के उदग्रहण तथा वसूली की शक्तियों का प्रयोग निगम के संकल्प दिनांक 19-2-83 में यथा प्राधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त उपक्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भी किया जाए" ।"

श्रीमती कुसुम प्रसाद,
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1991

सं० यू०-16/53/90- चि०-2 तमिलनाडू — कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम/105 के तहत महानिदेशक की निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25-4-1951 की हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 जी दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० टी० मोहम्मद गोस्से, 143, सटेरलिंग रोड, मद्रास-34 को तमिलनाडू में मद्रास केन्द्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रयोजन के लिए 01-4-1991 से 31-3-92 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यभार ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा शर्तों पर मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

डा० कृष्ण मोहन सक्सेना
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1991

सं० एन-15/13/16/2/85- यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01-7-1991 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात्

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	हद बस्त सं०	जिले का नाम
1.	मालपुरा	295	रिवाड़ी
2.	जोनियावास	296	रिवाड़ी
3.	कपरीवास	290	रिवाड़ी

सं० एन-15/13/4/2/89- यो० एवं वि०-(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-7-91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा हिमाचल-प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1977 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात्

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	हद बस्त सं०	जिले का नाम
1.	नांगल साकेती	141	सिरमौर
2.	ओगली	140	सिरमौर
3.	रामपुर जट्टान	139	सिरमौर
4.	जोहरान	138	सिरमौर
5.	मोगी नन्द	142	सिरमौर

अ० च० जुनेजा,
निदेशक (योजना एवं विकास)

क्षेत्रीय कार्यालय

चण्डीगढ़, दिनांक 26 जून 1991

सं० 12 बी० 34/13/2/ 86—प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 विनियम 10—ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने बटाला क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम–10–ए (1) (ए) के अधीन

1. उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट
बटाला।

सदस्य

विनियम 10–ए (1) (बी) के अधीन

2. जिला, श्रम व सुलह अधिकारी,
बटाला।

विनियम 10–ए (1) (सी) के अधीन

3. (1) सिविल सर्जन, गुरदासपुर

(2) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा केन्द्र, बटाला।

विनियम 10–ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री महेन्द्र सेन गुप्ता, महासचिव
फैक्टरी एसोसिएशन, बटाला।

5. बी०एम० गोयल
सचिव फाउण्डरी मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन,
बटाला।

6. श्री रमेश कुमार अग्रवाल,
न्यू इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, बटाला।

7. श्री पी०एस० गिल, मैसर्ज सर्वजीत मशीन टूल्ज,
बटाला।

विनियम 10–ए (1) (इ) के अधीन

8. श्री करतार सिंह,
महासचिव, आयरन एण्ड स्टील वरकरज यूनियन
(रजि०), बटाला (ए०आई०टी०यू०सी०)

9. श्री अजीत सिंह,
महासचिव,
जिला मैटल फैक्टरी वरकरस यूनियम, (रजि०)
(बटाला) (सी०आई०टी०यू०)

10. श्री जवाहर लाल,
महासचिव,
मकैनिकल वरकरज यूनियन (रजि०),
बटाला (सी०एम०एस०)

विनियम 10–ए (1)(एफ)

सदस्य सचिव

11. प्रबंधक,
स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
नजदीक बस स्टैण्ड, बटाला।

एस० एस० अबरोल,
क्षेत्रीय निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 जुलाई 1991

सं० के–14011/ 13/ 85–रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 की 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिनांक 08 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० के–14011/

13/85-रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड में एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, नामत :—

उक्त अधिसूचना में धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड ख, ग, घ के अन्तर्गत कार्य शक्तियों तथा कर्तव्य से संबंधित मद सं० 1, के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की जाए :—

"परियोजना मंजूरी एवं मोनिटरिंग ग्रुप II"

परियोजना मंजूरी एवं मानिटरिंग ग्रुप का II गठन निम्नानुसार है :—

1. सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (वित्त) शहरी विकास मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3. शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4. योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
5. राज्यों तथा संघ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रभारी सचिव	सदस्य
6. वरिष्ठ योजना अभियंता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	संयोजक

ग्रुप को सौ लाख तक की परियोजनाओं को मंजूर करने तथा 5 लाख तक की अध्ययन कराए जाने की शक्तियां होंगी ।

भारत के राजपत्र के भाग-III खण्ड 4 में 10-8-85 को प्रकाशित मूल अधिसूचना सं०-के-14011/13/85-रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड, दिनांक 10-7-85 को अधिसूचना सं०-के-14011/13/85-रा० रा० क्षे० पो०, बोर्ड दिनांक 14-12-87 द्वारा संशोधित किया गया था ।

के० के० भटनागर
सदस्य सचिव

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 जुलाई 1991

सं० 2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग-1/928—जहां मैसर्स मोनतारीफ फारमैस्यूटीकल्स प्रा० लि० एक्स-ओखला फेस-II नई दिल्ली-110020 (कोड सं० डी० एल०) 4686 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-4-88 से से 31-3-91 तक) ।

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख को भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० 2/1959/डी०एल० आई०/एक्जाम/89/भाग–I/935 जहां मैसर्स दी कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 7/2, डायमन्ड हार्बर रोड कलकत्ता–700027 (पश्चिम बंगाल) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इनमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं० एस०–35014 (80) (85) एस० एस०– IV (एस० एस०–II), दिनांक 20–01–88 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को

और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 13-4-1991 से 12-4-1994 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 12-4-1994 भी शामिल है।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय
पाण्डिचेरी

सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन व उपदान
और
अंशदायी भविष्य निधि एवं उपदान
की प्रथम
संविधि

भारत सरकार पत्र संख्या नि० 21-5/88 /डेस्क(यु)
तारीख 20-11-89 को

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
के
शिक्षा विभाग से अनुमोदित

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के नियम (1985 की सं० 53) उपखण्ड 34 के अधीन विनिर्मित सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन व उपदान तथा अंशदायी भविष्य निधि की संविधियाँ

लघु शीर्षक

1. इन संविधियों को निम्नोकत प्रकारण कहा जायेगा :

(अ) पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन व उपदान योजना (अनुलग्नक अ)

(आ) पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय अंशदान भविष्य निधि एवं उपदान योजना (अनुलग्नक आ)

2. दर्शक की सहमति की तारीख से ये नियम प्रभावी होंगे ।

3. विश्वविद्यालय की कार्य कारिणी समिति इस योजना की प्रबन्धक होगी । कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण और निदेशाधीन उपकुलपति कार्यकारिणी समिति के उपलक्ष्य में योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे ।

4. योजनाओं की कार्यविधि, प्रशासन और प्रयोज्यता अनुलग्नक "अ" और "आ" में प्रस्तावित सामान्य भविष्य निधि योजना एवं पेंशन व उपदान तथा अंशदान भविष्य निधि व उपदान की संविधि के अधीन होगा।

अनुलग्नक—अ

सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान योजना

भाग 1

1. लघु शीर्षक:—

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान नियम नाम से एक योजना होगी ।

2. प्रयोग का विस्तार :

ये नियम सभी नियमित स्थाई/अस्थाई व पुर्ननियुक्त पेंशन भोगियों को लागू होंगे । ये नियम उनको लागू नहीं होंगे ।

(अ) विश्वविद्यालय की सेवा में अस्थाई पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति एक वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद, सेवा प्रारम्भ करने की तारीख से इस संविधि में निर्धारित सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन एवं उपदान योजना के अपने विकल्प के अनुसार लाभ पाने का हकदार हो जायेगा।

(आ) इस संविधि में उपबन्ध विशुद्ध रूप से अस्थाई और दिहाड़ी कर्मचारियों, समेकित वेतन पर विशेष शर्तों पर नियुक्त कर्मचारियों और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे । अर्धवार्षिता के बाद पुन: नियोजित पेंशन भोगी केवल अंशदायी भविष्य निधि के हकदार होंगे।

(इ) संविदा पर निर्धारित अवधि के लिये नियुक्त व्यक्तियों पर इस संविधि के उपबन्ध लागू होंगे । अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान की अनुमति प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने का हक नहीं होंगा ।

किन्तु जिस व्यक्ति की प्रारम्भ में नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई हो और बाद में उसे स्थाई रूप से रख लिया गया हो तो उसे अपनी संविदा अवधि को रद्द करने के बाद निर्धारित दोनों योजनाओं में से किसी एक का विकल्प देने का ही होगा और इन योजनाओं के प्रयोजन के लिये उस संविदा पर की गई सेवा के लाभ प्राप्त होंगे बशर्ते कि उसने संविदा अवधि के अधीन प्राप्त सेवा निवृत्ति लाभ विश्वविद्यालय को लौटा दिये हों ।

3. परिभाषा :—

(i) वित्त अधिकारी का मतलब है पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी।

(ii) कर्मचारियों का मतलब है जो पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक होंगे । परिलब्धियों का मतलब है परिभाषित वेतन, महंगाई वेतन, छट्टी वेतन, जो कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख या अपनी मृत्यु की तारीख से तत्काल पूर्व ले रहा था इस में सेवा निवृत्ति पेंशन और उपदान के प्रयोजन के लिये तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत भी शामिल है ।

तारीख 1-1-86 से लागू संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिलब्धियों का मतलब है इस तारीख को कर्मचारी को मिल रहा मूल वेतन ।

(iv) पुर्ननियुक्त पेंशन भोगियों के लिये वेतन में पेंशन भी शामिल होगा।

(v) परिवार का मतलब है :—

(अ) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी और बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, किन्तु अभिदाता यह सिद्ध कर देता है उसकी पत्नी उससे न्यायिक तौर पर अलग हो गई है या अपने समाज की रूढ़ि जन्य विधि के अधीन निवासी की हकदार नहीं रही है तो उसे इन नियमों से सम्बन्ध मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा बशर्ते कि जब तक कि अभिदाता ने बाद में वित्त अधिकारी को यह लिखित सूचना दी हो कि उसे इस प्रयोजन के लिये परिवार का सदस्य समझा जाये ।

(आ) महिला अभिदाता के मामले में अभिदाता का परिवार और बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा और उनके बच्चे, किन्तु अभिदाता ने वित्त अधिकारी को नोटिस देकर यह इच्छा व्यक्त की हो कि उसके पति को उसके परिवार में से अपवर्जित कर दिया जाये तो उसके पति को इन नियमों से सम्बन्ध मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा, बशर्ते कि अभिदाता ने बाद में इस नोटिस को लिखित रूप से रद्दन कराया हो ।

टिप्पणी : बच्चे का मतलब है विधि मान्य बच्ची और जहां अभिदाता पर लागू स्वीय विधि में गोद लेना मान्य हो तो वहां इसमें उसके लिये गोद लिये बच्चे भी शामिल है ।

(vi) निधि का मतलब है सामान्य भविष्य निधि

(vii) छट्टी का मतलब है विश्वविद्यालय से मान्य किसी भी प्रकार की छट्टी ।

(viii) वर्ष का मतलब है विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष

(ix) कुल सचिव का मतलब है पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय का कुल सचिव

(x) कुल पति का मतलब है पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय का उपकुलपति

4. निधि का गठन

(अ) निधि रूपयों में निर्वेहित होगा ।

(आ) निधि में प्रदत्त सभी रकमें और आहरित विश्वविद्यालय के खाते में "विश्वविद्यालय का सामान्य भविष्य निधि खाता" नामक लेखे में जमा की जायेगी ।

5. पात्रता की शर्तें

(अ) विश्व विद्यालय की सेवा में अस्थाई पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी जिसमें एक वर्ष की निरन्तर सेवा की हों, व नियमित रिक्त पदों में नियुक्त अस्थाई कर्मचारीयों जिन की एक वर्ष से ज्यादा सेवा में रहने की संभावना हो व पुनर्नियुक्त पेंशन भोगी तथा स्थाई कर्मचारी निधि में अभिदाता बनने के हकदार होंगे। सरकार के पेंशन भोगी यदि विश्व विद्यालय में पुनर्नियुक्त है तो भविष्य निधि में अभिदाता बनने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि जहां पुनर्नियुक्त का काल प्रारम्भ में एक वर्ष से कम हो लेकिन बाद में बढ़ाया जाये जिसके फलस्वरूप एक वर्ष का अतिक्रमण करने पर अभिदान की वसूली पुनर्नियुक्ति के एक वर्ष का सेवा काल पूरा होने से शुरू होगा ।

टिप्पणी

अस्थाई कर्मचारी, शिक्षु, परीक्षार्थी जो नियमित रिक्त स्थानों में नियुक्त हुए हों जिनका सेवा काल एक वर्ष से ज्यादा होने की संभावना है, वे एक वर्ष का सेवा काल पूर्ण होने के दौरान सामान्य भविष्य निधि में अभिदान प्रदत्त कर सकते है

नामांकन

(1) कोई भी अभिदाता निधि में शामिल होने के समय वित्त अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन भेजेगा जिसमें वह निधि में उसके शाखा में यही राशि देय हो जाने या देय पर किन्तु अदान किये जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की हालत में उक्त राशि पाने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदान करेगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार है, तो वह अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम से नामांकन कर नहीं सकता । अगली शर्त यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी भी अन्य निधि, जिसमें कोई भविष्य निधि में शामिल होने से पहले अंशदान कर रहा था । सम्बन्ध में किये गये नामांकन को उस समय तक उस नियम के अधीन निधिवत् किया गया नामांकन समझा जायेगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार राशि निधि से उसके जमा में अन्तरित कर दी गई हो ।

(2) यदि अभिदाता नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है उसे नामांकन में प्रत्येक नामिति की देय राशि या हिस्से का इस ढंग से उल्लेख करना होगा कि उसके अन्तगत किसी भी समय निधि में उसके जमा पड़ी पूर्ण राशि आ जाये ।

(3) प्रत्येक नामांकन संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा ।

(4) कोई भी अभिदाता किसी भी समय वित्त अधिकारी को एक लिखित सूचना भेजकर नामांकन को रद्द कर सकता है । अभिदाता उस सूचना के साथ या अलग इस नियम के उपबन्धों के अनुसार एक नया नामांकन भेजेगा ।

(5) कोई भी अभिदाता नामांकन में यह व्यवस्था कर सकता है ।

(अ) किसी विनिर्दिष्ट आदमी के सम्बन्ध में उसकी अभिदाता से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस नामिती को प्रदत्त अधिकार नामांकन में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जायेगा, किन्तु यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हों तो यह समिति व्यक्ति का/के सदस्य ही होगा/होंगे। जहां अभिदाता ने इस खण्ड के अधीन यह अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया हो तो यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि या हिस्से का इस ढंग से उल्लेख करेगा कि उसमें नामितियों को देय संपूर्ण राशि आ जाये।

(आ) उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना के घटित होने पर यह नामांकन अवधि मान्य हो जायगा। किन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का अधिकार न हो तो वह, नामांकन में यह प्रावधान रखेगा कि बाद में उसके परिवार में अन्य सदस्य हो जाने पर खण्ड "क" के अधीन स्थानापन्न नामिकि को प्रदत्त अधिकार अवधि मान्य हो जायेगा।

6 उस नामिक की मृत्यु हो जाने पर, जिसके सम्बन्ध में नियम के खण्ड के अधीन नामांकन में कोई प्रोवधान नहीं दिया जा सकता या ऐसी कोई घटना घटित होने पर जिसके कारण नियम 1.5 के खण्ड "ख" या उसके परन्तुक के कारण नामांकन अवधि मान्य हो जाता है, अभिदाता तत्काल वित्त अधिकारी को नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना भेजेगा और उसके साथ ही वह इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा।

7. अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और नामांकन रद्द करने की प्रत्येक सूचना जिस सीमा तक के विधि मान्य है। वित्त अधिकारी को प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी होगी।

अभिदाता खाता :

1. प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जायेगा जिसमें—

(i) उसका अभिदान

(ii) अभिदान पर ब्याज

(iii) निधि से पेशगियां और आहरण

2. यदि निधि के लाभों को स्वीकार करने वाला कर्मचारी पहले केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या विश्व विद्यालय/विश्व विद्यालय के समकक्ष हैसियत को संस्था या समुदाय पंजीकरण अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन की किसी अंशदायी गैर अंशदाता भविष्य निधि का अभिदायी रहा तो उसकी इस अंशदायी गैर अंशदाय भविष्य निधि में उसके साथ (जमा) में अन्तरित कर दी जायेगी।

8. अभिदान की दर और शर्तें

अभिदान की शर्तें :—

विश्व विद्यालय सेवा में, विदेश सेवा में या भारत से बाहर प्रति नियुक्ति पर जाने पर ही प्रत्येक अभिदाता निधि में मासिक अभिदान देगा।

1. किन्तु कोई भी अभिदाता ऐसी छुट्टी के दौरान अपनी मर्जी से अभिदान नहीं देगा जिसमें उसे कोई छुट्टी /वेतन मिलता हो या जिसमें उसे आधे वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी/वेतन मिलता हो। यह भी कि किसी भी अभिदाता को निलम्बित अवधि बीत जाने के बाद बहाली हो जाने पर उक्त अवधि के लिये देय अभिधान की अधिकतम बकाया राशि एक मुश्त या किस्तो में अदा करने का विकल्प देने की अनुमति होगी।

(2) सेवा निवृत्ति होने वाले अभिदाताओं को, अपने सेवाकाल के अन्तिम तीन महीने सामान्य भविष्य निधि में अभिदान देने से छूट दी जायेगी।

9. अभिदान की दर :

1. अभिदान की राशि स्वयं अभिदाता निर्धारित करेगा जो पूरे रुपयों में होगा। अभिदान की दर न तो उसकी कुल परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम होनी चाहिए और न ही उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक हो। इस प्रकार परिकलित राशि को निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किया जायेगा किन्तु न्यूनतम या अधिकतम दरों पर अभिदान के मामलों में यह पूर्णांकन क्रमश अगले उच्चतर रुपये तक किया जाएगा।

2. नियत अभिदान उपरोक्त नियम (1) के अनुरूप होगा।

(अ). इस प्रकार निर्धारित अभिदान की राशि को वर्ष में एक बार घटाया जा सकता है।

(आ) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है।

(इ) किन्तु अभिदान की राशि की घटाई इस प्रकार होने पर नियम 9(1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम न हो।

3. (अ) इस नियम के लिए अभिदाता की परिलब्धियों होगी उस अभिदता के मामले में जो पिछले वर्ष 31 मार्च सेवा में नहीं था वे परिलब्धियां जिनका कि वह अपनी सेवा के पहले दिन के बाद किसी तारीख की निधि में शामिल हुआ हो तो वे परिलब्धियां जिनका कि यह उक्त तारीख को हकदार था।

(1) यदि वह उक्त तारीख को छुट्टी पर हो और उसने उस छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया हो या उस तारीख को निलंबनाधीन हो तो उनकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनका कि वह कर्तव्य पर लौटने की तारीख को हकदार था।

(ii) और (iii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर या उक्त तारीख को छुट्टी पर हो और लगातार छुट्टी पर रहे और उसने उस छुट्टी के दौरान अभिदान करने का चयन किया हो तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनका कि वह भारत पर ड्यूटी पर होने के दौरान हकदार होता ।

(आ) उस अभिदाता के मामले में जो पिछले वर्ष की मार्च की सेवा में नहीं था, वे परिलब्धियां जिनका कि वह अपनी सेवा के पहले दिन हकदार था या यदि वह अपनी सेवा के पहले दिन के बाद किसी तारीख की तिथि में शामिल हुआ हो तो वे परिलब्धियों जिनका कि वह उस तारीख को हकदार था ।

10. अभिदान की वसूली :

(अ) जब परिलब्धियों विश्व विद्यालय से आहरित की जाती है तो इन परिलब्धियों और पेशगियों की मूल राशि और ब्याज के कारण अभिदान की वसूली परिलब्धियों में से की जाएगी ।

(आ) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से आहरित की जाती हो तो अभिदाता अपनी मासिक देयताएं किसी अधिकारी को अग्रोषित करेगा । किन्तु सरकार द्वारा नियमित स्वामित्व या नियंत्रित निकाय में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अभिदाता के मामले में अभिदान की राशि वसूल कर ली जाएगी और उसे उस निकाय द्वारा वित्त अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा ।

11. ब्याज

(अ) विश्व विद्यालय प्रत्येक अभिदातों के खातें में हर वर्ष उसी पर ब्याज जमा करेगा जो भारत सरकार ने भविष्य निधि (केन्द्रीय सिविल सेवा) नियम 1960 के अधीन अभिदाताओं के खाते में हर वर्ष जमा करने के लिए निर्धारित किया है ।

(आ) ब्याज नीचे बताये ढंग से हर वर्ष अन्तिम दिन क्रेडिट हो जाएगा :–

(1) चालू वर्ष के दौरान आहरित कोई भी रकम कम करके पिछले वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि पर 12 महीने का ब्याज ।

(2) चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि पर-चालू वर्ष की पहली अप्रैल से आहरण मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख तक का ब्याज ।

(3) ब्याज की कुल राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा (50 पैसे और उससे अधिक पैसों को अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा ।

(4) किन्तु जब कि अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि देय हो गई हो तो इस उपनियम के अधीन उस पर केवल यथास्थिति चालू वर्ष के प्रारंभ में या क्रेडिट की तारीख से अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि के देय हो जाने की तारीख की अवधि का ब्याज क्रेडिट किया जाएगा ।

टिप्पणी:

इस नियम के प्रयोजन से परिलब्धियों में से वसूलियों के उस मास की पहली तारीख को क्रेडिट की तारीख समझा जायेगा । जिस माह में यह क्रेडिट की गई और अभिदाता द्वारा परिलब्धियां अग्रेषित करने के मामले में यदि वे वित्त अधिकारी को मास की पांच तारीख से पहले प्राप्त हुई है तो आगामी मास की पहली तारीख को क्रेडिट की तारीख समझा जाएगा ।

(इ) सभी मामलों में भुगतान मास से ठीक पहले मास के अन्त तक या राशि देय होने के मास के बाद छठे मास के अन्त तक, इन अवधियों में से भी अवधि कम हो, अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी शेष राशि से संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाएगा, किन्तु उस तारीख के बाद किसी भी अवधि कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जिस तारीख को वित्त अधिकारी ने अभिदाता या उसके एसेंट को भुगतान करने की तारीख की सूचना दी हो ।

(उ) यदि किसी मामले में पता चलता है कि किसी अभिदाता ने आहरण की तारीख को निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि से अधिक राशि आहरित कर ली है तो उसे उस अधिक आहरित राशि को ब्याज सहित एक मुश्त अदा करना होगा या चूक करने की स्थिति में उक्त राशि अभिदात की परिलब्धियों में से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने के आदेश दिए जाएंगे । यदि वसूली जाने वाली कुल राशि अभिदाता की परिलब्धियों की आधी राशि से अधिक हो तो ये वसूली उनकी परिलब्धियों के अर्धांशों की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि ब्याज सहित संपूर्ण राशि न हो जाए । अधिक आहरित राशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर 11 (अ) के अधीन भविष्य निधि के शेष राशि पर प्रभार्य सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगी। अधिक आहरित राशि पर ब्याज की राशि को विश्व विद्यालय के राजस्व लेखे में क्रेडिट किया जाएगा ।

(ऊ) जिन मामलों में मास की परिलब्धियां उसी मास के अन्तिम कार्य दिवस को आहरित व संवितरित की जाती है उसमें अभिदान की वसूली के मामले में क्रेडिट की तारीख आगामी मास की पहली तारीख समझी जायेगी ।

12. निधि से पेशगियां :

(1) उपकुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर किसी भी अभिदाता के जमा में (क्रेडिट में) पड़ी उसकी सब्याज अभिदान की राशि में से निधि से पेशगी के भुगतान की मंजूरी दे सकता है ।

(अ) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों की बीमारी के संबंध में हुए खर्च को अदा करने ।

(आ) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारण समुभार यात्रा खर्च को अदा करने ।

(i) और (ii) कोई स्कूल के बाद शैक्षिक तकनीकी पेशे या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर उच्चतर शिक्षा और हाई स्कूल के बाद किसी चिकित्सा, इंजीनियर या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर जाने के खर्च को पूरा करने बशर्ते कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष के कम अवधि का न हो ।

(इ) विवाहों, दाह संस्कारों या ऐसे समारोहों के संबंध में आवेदक की हैसियत के अनुरूप आवश्यक खर्च को अदा करने जो उसे धर्मानुसार खर्च करना हो ।

(ई) अपने पदीय कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या करने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए किसी आक्षेप के संबंध में अपनी स्थिति को निर्दोष ठहराने के लिए आवेदक द्वारा संस्थित विधिक कार्यवाही के खर्च को पूरा करना ।

किन्तु इस उपनियम के अधीन ऐसे किसी भी आवेदक को पेशगी स्वीकार्य नहीं होगी जिसने अपने पदीय कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य मामले के संबंध में या किसी सेवा शर्त या उस पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में विश्व-विद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में विधिक कार्यवाहियां संस्थित की हों ।

(उ) जब विश्व विद्यालय ने आवेदक के किसी अभि-कथित पदीय कदाचार के संबंध में न्यायालय उसके विरुद्ध मुकदम्मा किया हो तो अपने बचाव में मुकदम्मा चलाने के खर्च को पूरा करने ।

(ऊ) कोई मकान या प्लाट का निर्माण करने या प्लाट के खर्च को करने या दिल्ली निवास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या भवन निर्माण सहकारी समिति को प्लाट या प्लाट के आबटन के लिए भुगतान करने ।

(ऋ) शैक्षिक सम्मेलन विचार गोष्ठियों में उपस्थिति होने या शैक्षिक तकनीकी कार्य के लिए आवेदक की विदेश यात्रा के खर्च को पूरा करने के लिए जब कि प्रबंधक बोर्ड ने इसके लिए अनुमति प्रदान की हो ।

टिप्पणी :—

कार्य-कारिणी समिति विशेष परिस्थिति में किसी अभिदाता को मंजूरी दे सकता है, बशर्ते कि समिति को इस बात की तसल्ली हो कि संबंधित अभिदाता नियम में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से पेशगी चाहता है ।

2. कोई भी अभिदाता को, विशेष कारणों के अलावा जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा, नियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक या इससे पहले ली गई किसी भी पेशगी की अंतिम किस्त चुकाने तक कोई पेशगी प्रदान नहीं की जाएगी ।

3. जब नियम (2) के अधीन पिछली किसी पेशगी की अंतिम किस्त चुकाने से पहले कोई पेशगी की वसूल न की गई शेष राशि को इस प्रकार मंजूर की गई पेशगी की राशि में जोड़ दिया जाएगा और समेकित राशि के अनुसार वसूली किस्तें निर्धारित की जाएंगी ।

टिप्पणी (1) इस संविधि के वेतन में महंगाई भी सम्मिलित है जहां स्वीकार्य है ।

(2) संविधि 12 के उपनियम (1) में मंजूरी देने के अधिकृत अधिकारी निदिष्ट है ।

(3) संविधि (1)अ के अधीन अभिदाता छे मास में एक बार पेशगी लेने अनुमित है ।

13. पेशगी की वसूली

1. यदि पेशगी नियम में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए मंजूर की गई है तो पेशगी की राशि को अधिकतम 24 बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा । उन शेष मामलों में जहां पेशगी की राशि अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक है, उनमें मंजूरीकर्ता प्राधिकारी 24 किस्तों से अधिक किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 36 किस्तें निर्धारित करेगा । प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में होगी और इन किस्तों का निर्धारित करने के लिए पेशगी की राशि को यथावश्यक बढ़ा या कम कर दिया जाएगा । कोई भी अभिदाता अपनी मर्जी से पेशगी प्रदान करने के समय स्वीकार किस्तों से कम किस्तों में या एकमुश्त पेशगी चुका सकता है ।

2. वसूली अभिदाता की परिलब्धियों में से की जाएगी और पेशगी प्रदान करने के बाद पहली बार उस मास से आरंभ की जाएगी जिस मास में अभिदाता पूर्ण मास की परिलब्धियों आहरित करता है ।

3. इस नियम के अधीन भी कई वसूलियां निधि में अभिदाता के खाते में क्रेडिट (जमा) कर दी जाएंगी ।

14. निधि से आहरण

इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन निधि के आहरणों की मंजूरी नियम 12 (2) के अधीन कोई भी प्राधिकारी करेगा जिसे इस संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो ।

(अ) अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा (इसमें सेवा की भावना अवधियां भी शामिल है यदि कोई हो) के बाद या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले 10 वर्षों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निधि में उसके जमा में पड़ी राशि में से—

(क) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या अभिदाता के किसी बच्चे की उच्च शिक्षा जिसमें यथावश्यक उनके यात्रा खर्च भी शामिल है, के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे :

(i) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक, तकनीकी पेशेवर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के प्रयोजन के लिए और

(ii) हाई स्कूल के बाद भारत में ही किसी चिकित्सा इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट कार्यक्रम के लिए ।

(आ) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और या ऐसी किसी भी व्यक्ति को, जो वस्तुतः उस पर आश्रित हों, की बीमारी जिसमें यथावश्यक उनके यात्रा खर्च भी शामिल है, से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए ।

(ख) अभिदाता की सेवा के 10 वर्ष पूरा हो जाने के बाद इसमें सेवा की भावन अवधियां कोई हों, भी शामिल है) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से 10 वर्षों के भीतर इसमें जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा में पड़ी राशि में से निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए आहरण कर सकता है :—

(अ) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या बना बनाया प्लाट लेने के लिए जिसमें स्थान की कीमत भी शामिल है ।

(आ) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या बना बनाया प्लाट लेने के लिए स्पष्टतः लिए कर्ज की बकाया राशि को चुकाने के लिए ।

(इ) अपने रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्टतः लिखे गये कर्ज की बकाया राशि को चुकाने ।

(ई) अभिदाता द्वारा पहले से लिए या अर्जित मकान में पुनर्निर्माण कराने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए।

(उ) कर्तव्य स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर विश्वविद्यालय से ली गई सहायता से बनाये मकान में पुनर्निर्माण कराने, परिवर्धन या परिवर्तन या उसकी मरम्मत कराने ।

(ऊ) खंड (इ) के अधीन खरीदी गई जमीन पर मकान बनाने ।

(ग) अभिदाता की सेवा-निवृत्ति की तारीख से 6 महीने पहले कृषि योग्य या कारोबार परिसर या दोनों लेने के लिए ।

(घ) एक वित्त वर्ष के दौरान एक बार स्वयं चिकित्सा पोषण और अंशदायी आधार पर यदि कोई हो, विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए समूह योजना के लिए अभिदाता द्वारा प्रदत्त एक वर्ष के अभिदान के समकक्ष राशि ।

टिप्पणी 1 :—जिस अभिदाता ने विश्वविद्यालय स्रोतों से मकान बनाने के प्रयोजन से पेशगी ले ली हो, वह नियम 15 में निर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और विश्वविद्यालय से लिए किसी ऋण को चुकाने के प्रयोजन से भी खण्ड "ख" के खण्ड इ, ई और ऊ के अधीन अंतिम आहरण पाने का हकदार होगा ।

यदि किसी अभिदाता का कोई पुश्तैनी मकान या विश्वविद्यालय के लिए ऋण की सहायता से अपने कर्तव्य के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बनाया हुआ मकान है तो वह अपने कर्तव्य स्थान पर कोई दूसरा मकान बनाने या बना बनाया मकान लेने या मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए खण्ड "ख" के क, ख, ग और घ के अधीन अन्तिम आहरण करने का हकदार होगा ।

टिप्पणी 2 :—खंड ख के क, ख, ग और घ के अधीन आहरण की मंजूरी केवल बनाए जाने वाले या परिवर्तन किए जाने वाले मकान का नकशा प्रस्तुत करने के बाद और केवल उन मामलों में ही दी जायेगी जहां नकशे को वस्तुतः अनुमोदित कराया जाना हो और ये उस क्षेत्र के स्थानीय नगर निकाय द्वारा विधिवत् अनुमोदित कराई जाएगी जहां वह जमीन या मकान स्थित हो ।

टिप्पणी 3:—खण्ड "ख" के उपनियम के अधीन स्वीकृत आहरण की राशि पिछले आहरण की राशि घटाकर खंड "घ" के अधीन किए गए पिछले आहरण की राशि सहित आवेदन की तारीख को बकाया राशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी। उस संबंध में यह फार्मूला अपनाया जाएगा—पिछले आहरण (आहरणों) की राशि घटाकर शेष राशि का 3/4 भाग जो उस तारीख को बकाया थी जमा संबंधित मकान के लिए ली गई आहरण (आहरणों) की राशि ।

टिप्पणी 4:—जिन मामलों में मकान की जमीन या मकान चली । यति के सामने है उनमें खण्ड "ख" के उप खंड "आ" या ई के अधीन आहरण को भी अनुमति होगी बशर्ते कि वह अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि राशि प्राप्त करने की/का निमिता हो ।

टिप्पणी 5:—नियम 12 के अधीन उसी प्रयोजन के लिए केवल एक बार आहरण करने की अनुमति दी जाएगी । किन्तु अलग-अलग बच्चों के विवाह, शिक्षा या समय-समय पर बीमारी को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जाएगा । उसी मकान को पूरा करने पर खण्ड "ख" के अ या ऊ के अधीन दो बार या उसके बाद आहरण करने की अनुमति टिप्पणी 3 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जाएगी।

टिप्पणी 6:—यदि कोई पेशगी एक ही प्रयोजन के लिए और एक ही समय में नियम 12 के अधीन मंजूरी की जाती है तो आहरण कह मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

आहरण की शर्तें:—(1) नियम 14 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एक बार किसी अभिदाता द्वारा निधि में अपने जमा में पड़ी राशि में से आहरित राशि साधारणतया इस रकम के आधे या अभिदाता के (6 मास)

के वेतन से अधिक नहीं होगी । किन्तु उपकुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी (i) आहरण करने के उद्देश्य, (ii) अभिदाता की हैसियत और ( ) निधियों में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए इन सीमाओं से अधिक निधि जो उनके क्रेडिट में पड़ी शेष राशि के 3/4 भाग तक राशि आहरित करने की मंजूरी दे सकता है ।

किन्तु किसी भी स्थिति में नियम 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आहरण की अधिकतम राशि भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए पेशगियों प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी ।

2. जिस अभिदाता ने विश्वविद्यालय की भवन निर्माण कर्जा योजना के अधीन पेशागी ले ली हो, भवन निर्माण प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की उक्त योजना के अधीन लिए गए अग्रिम सहित इस उपनियम के अधीन आहरित राशि भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए पेशगी प्रदान करने की निर्धारित अधिकतम राशि अधिक नहीं होगी ।

3. जिस अभिदाता को इस नियम के अधीन निधि में से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समुचित अवधि के भीतर उपकुलपति या मंजूरकर्ता अधिकारी को यह विश्वास दिलाएगा कि राशि का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया गया जिसके प्रयोजन के लिए यह आहरित की गई थी । यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो इस प्रकार आहरित संपूर्ण राशि या वि राशि जिसे उस प्रयोजन के लिए आहरित की गई थी एकमुश्त चुका दी जाएगी और ऐसे भुगतान में चूक करने पर कुलपति या मंजूरकर्ता अधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से एकमुश्त या कार्यकारिणी समिति द्वारा यथानिर्धारित मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी ।

(अ) जिस अभिदाता को इस नियम के उपनियम (i) के खंड ख के उपखंड "आ" या उपखंड "इ" के अधीन निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी अभिदान की सब्याज राशि में सकल राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, उससे इस प्रकार नियमित या लिए गए मकान या बिक्री बंधक (विश्वविद्यालय के उपकुलपति को बंधक करने के अलावा) या उपहार के रूप में खरीदी गई जमीन का कब्जा कार्यकारिणी समिति की पूर्वानुमति के बिना छीना नहीं जाएगा । उससे मंजूरकर्ता प्राधिकारी के बिना अवधिकतम तीन वर्ष की अवधि के पट्टे या विनियम के रूप में भी इस मकान या जमीन का कब्जा छीना नहीं जाएगा । अभिदाता हर वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि मकान या यथास्थिति जमीन उसके कब्जे में है और यदि आवश्यक हो तो मंजूरकर्ता प्राधिकारी के समक्ष उक्त अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक या उससे पहले इस संबंध में मूल बिक्री विलेख और अन्य ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा जिनसे संपत्ति पर उसके एक का पता चले ।

(आ) यदि सेवा-निवृत्ति से पहले किसी भी समय वह यथास्थिति विश्वविद्यालय के उपकुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी की पूर्वानुमति लिए बिना मकान या जमीन का कब्जा छोड़ देता है तो अभिदाता आहरित राशि निधि में एकमुश्त चुका देगा और इस राशि को चुकाने में चूक करने पर मंजूरकर्ता अधिकारी यह राशि उसकी परिलब्धियों में से एकमुश्त या उपकुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मासिक किस्तों में वसूल के आदेश देगा । इस नियम के प्रयोजन के लिए सेवावधि का निर्धारण करते समय किसी केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालय राज्य/केन्द्रित सरकार या केन्द्र सरकार के किसी स्वायत्त निकाय में की गई निरंतर सेवा को भी गिना जाएगा ।

16. पेशगी को आहरण में परिवर्तन करना

जिस अभिदाता ने उपनियम 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए नियम 14 के अधीन कोई पेशगी पहले आहरित कर ली है या भविष्य में आहरित करेगा तो वह मंजूरकर्ता प्राधिकारी को लिखित अनुरोध करके अपनी मर्जी से बकाया राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते कि वह नियम 14 में निर्धारित शर्तें पूरी करता है ।

17. निधि में संचित राशि का अन्तिम आहरण

जब कोई अभिदाता विश्वविद्यालय की सेवा छोड़ता है तो निधि में उसके जमा में पड़ी राशि उसे देय हो जाएगी ।

किन्तु जिस अभिदाता को विश्वविद्यालय की सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो और बाद में वह सेवा में बहाल हो गया हो तो यदि वह इस नियम के अनुकरण में यथाउपबंधित ढंग से इन नियमों में उपबंधित दर पर ब्याज सहित निधि में से उसे प्रदत्त कोई भी राशि चुकाना चाहे तो नियम 18 के अधीन वह उसे चुका देगा । इस प्रकार चुकाई गई राशि को निधि में उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—जिस अभिदाता की अस्वीकृत छुट्टी मंजूर की गई हो उसके संबंध में यह समझा लिया जाएगा कि उसने आवश्यक सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा निवृत्ति की अवधि समाप्त अवधि होने पर सेवा छोड़ दी है ।

18. अभिदाता की सेवा-निवृत्ति

जब कोई अभिदाता (क) सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो या (ख) उसे छुट्टी पर रहने के दौरान सेवा-निवृत्ति की अनुमति प्रदान कर दी गई हो या विश्वविद्यालय के परामर्शी चिकित्सा अधिकारी या इस संबंध में कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे आगे सेवा करने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया हो तो निधि में उसके जमा में पड़ी राशि इस संबंध में वित्त अधिकारी को आवेदन करने पर अभिदाता को देय हो जाएगी ।

किन्तु यदि कोई अभिदाता कर्तव्य पर लौट आता है और यदि वह इस नियम का अनुसरण करते हुए निधि में से उसे प्रदत्त कोई राशि पूर्णतः या अंशतः अपने खाते में जमा करना चाहे तो वह उसे उपसंधित दर पर ब्याज सहित उपकुलपति

या मंजूकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार किस्तों में अपनी परिलब्धियों में से अन्यथा वसूली द्वारा या अन्यथा निधि में 12 (2) नियमानुसार जमा करा देगा ।

19. अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कार्य-विधि

अभिदाता के जमा में पड़ी राशि देय होने से पहले या राशि देय हो जाने किन्तु भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में :

(i) जब अभिदाता का परिवार मौजूद हो (अ) यदि नियम 6 या उससे पहले प्रभावी तदमुरूपी नियमों के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के नाम में किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि में उसके जमा में पड़ी राशि या उसका कोई भाग जिसके संबंध में नामांकन है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुमान में नामिती या नामितियों को देय हो जाएगी ।

(ब) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के नाम में ऐसा कोई नामांकन मौजूद नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमा में पड़ी राशि के केवल कुछ भाग के संबंध में ही है तो यथास्थिति सम्पूर्ण राशि या वह आंशिक राशि जिसके संबंध में कोई नामांकन नहीं है उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में नामांकन होने के बावजूद भी उसके परिवार के सदस्यों को बराबर के हिस्सों में देय हो जाएगी । किन्तु निम्न को उस राशि का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा :

(i) जो पुत्र बालिका हो गए हों
(ii) मृत पुत्र के बालिका पुत्र
(iii) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं
(iv) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों जिनके पति जीवित है ।

यदि i, ii, iii और iv में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य किन्तु भी कि मृत पुत्र की विधवा या विधवायें और बच्चा या बच्चे उक्त पुत्र के केवल उस हिस्से में बराबर के भागीदार होंगे जो उसे अभिदाता की मृत्यु के बाद में प्राप्त होता और यदि उसे प्रथम परन्तु खंड (i) के उपबंधों में से छूट मिल जाती ।

(ii) जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं, यदि नियम 6 या इसके पहले प्रभावी तदनुरूपी नियमों के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि में उसके जमा में पड़ी राशि या उसका कोई भाग, जिससे नामांकन संबंधित है नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय होगी ।

20. जमा बचत से जुड़ी बीमा योजना

सेवा के दौरान किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, अभिदाता के जमा में पड़ी राशि को पाने का/के हकदार व्यक्ति को वित्त अधिकारी निम्नलिखित शर्त पूरा करने पर कर्मचारियों की मृत्यु से ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान निधि में मृतक के खाने में पड़ी औसत बकाया राशि के बराबर अतिरिक्त राशि अदा करेगा ।

(अ) कर्मचारी के खाते में सब्याज अभिदान दर्शाने वाली शेष राशि उनकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय, निम्नलिखित सीमाओं से कम नहीं होनी चाहिए :—

(i) 4000/- रु० से अधिक के वेतन कर्मचारी
(ii) 2900/- रु० से ज्यादा लेकिन 4000/- रु० से कम वेतन कर्मचारी
(iii) 1500/- रु० से ज्यादा लेकिन 2900/- रु० से कम वेतन कर्मचारी
(iv) 1000/-रु० से ज्यादा लेकिन 1500/-रु० से कम वेतन कर्मचारी

(आ) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त राशि 10,000/- रु० से अधिक नहीं होगी ।

(इ) यह लाभ केवल तभी दिया जाएगा यदि मृत्यु के समय अभिदाता ने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

21. निधि में राशि अदा करने का तरीका

(1) अभिदाता के खाते की राशि जब देय हो, तो उपनियम 2 में निर्दिष्ट प्रकारेण प्रार्थना-पत्र भराकर, भुगतान प्रदान करने का कर्तव्य वित्त अधिकारी का होगा।

(2) भारत में ही आहरित राशि प्रदत्त की जाएगी। भुगतान प्राप्त करने का प्रबन्ध, जिन्हें देय हो (प्राप्तकर्ता) ने ही करेंगे। भुगतान प्राप्त करने की विधि निम्न प्रकार की होगी :

(i) अभिदाता को निधि से राशि आहरित करने, मुख्यालय प्रति अभिदाता को निर्दिष्ट प्रपत्र अधिवार्षिता प्राप्त होने के 3 महीने या पूर्वानुमानित सेवा-निवृत्ति के पहले प्रपत्रों की प्राप्ति के 30 दिन की समाप्ति के अन्दर सभी विवरण पूर्ण रूप से भरकर अभिदाता को सम्बद्ध कार्यालय में पहुंचाना होगा।

प्रार्थना-पत्र भेजा जाये:—

(अ) अभिदाता की अधिवार्षिता या पूर्वानुमानित सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष पहले सूचित लेखा विवरण में निर्दिष्ट रकम के लिये उसके खाते में जमा राशि

(आ) यदि अभिदाता को लेखा विवरण प्राप्त न होने पर खाता लेखा में निर्दिष्ट रकम

(ii) प्रपत्र को वित्त अधिकारी सम्पूर्ण रूप से खाता लेखा से परीक्षण कर अधिवार्षिता के एक महीने पहले या अधिवार्षिता के दिन देय रूप में निर्देश जारी करेगा।

(iii) भुगतानी मंजूरी देने के समर्थ अधिकारी प्रारम्भिक भुगतान का प्रबन्ध करेंगे। अधिवार्षिता के बाद भुगतान के लिये यथा शीघ्र दूसरा आदेश जारी किया जायेगा।

(iv) पहले वित्त अधिकारी प्रारम्भिक भुगतान का प्रबन्ध करेंगे। अभिदाता का अंशदान जो प्रार्थना पत्र दाखिल करने के बाद उप नियम के अधीन दाखिल किया गया हो वह तथा पेशगी की वसूलियों का हिसाब कर रकम के भुगतान का आदेश जारी किया जायेगा। वित्त अधिकारी को अन्तिम भुगतान के लिये प्रार्थना पत्र तथा क्रम समर्पित करेंगे। लेकिन उसके पहले पेशगी अनसपरिम रूप से प्रदान की जायेगी। अन्तिम भुगतान की मंजूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने पर ही वित्त अधिकारी जारी कर पायेंगे।

टिप्पणी:—

उप नियम (iii) में निर्दिष्ट प्रकारेण अभिदाता के खाते की देय राशि को प्रदत्त करने में वित्त अधिकारी तत्पर होंगे।

क्रिया विधि

वार्षिक लेखा विवरण

22. वार्षिक लेखा विवरण जो अभिदाता को दिया जाता है

(1) वित्त अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को हर वर्ष 31 मार्च के बाद यथा शीघ्र निधि में उसके खाते का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आइ शेष वर्ष के दौरान जमा या निकाली गई कुल राशि वर्ष की 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की कुल राशि और उस तारीख को अन्तः शेष दिखाया जायेगा। वित्त अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह प्रश्न भी संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता

(क) किये गये नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है।

(ख) का परिवार बन गया है। उन मामलों में जहां अभिदाता ने नियम (6) के अधीन अपने परिवार के नाम में कोई नामांकन न किया हो।

(2) अभिदाता को वार्षिक विवरण का यथा लभ्यता के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण तसल्ली कर लेनी चाहिये और कोई अशुद्धियां है तो उनकी सूचना विवरण प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर वित्त अधिकारी को देनी चाहिए।

(3) वित्त अधिकारी अभिदाता को उस मास के अन्त तक जिस मास तक का खाता लिख गया है, निधि में उसके जमा में पड़ी कुल राशि की सूचना देगा बशर्ते कि अभिदाता ने इसकी मांग की हो। सूचना वर्ष में एक बार दी जायेगी, बार-बार नहीं।

23. निधि का निवेश :

नियमों के अधीन निधि में प्रदत्त सभी रकमें विश्वविद्यालय के खाते में विश्वविद्यालय का सामान्य भविष्य निधि खाता—नामक लेख में जमा की जायेगी कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार बतायें ढंग से उसे अनुसूचित बैंक में ————एक जमा खाता खोल दिया जायेगा, जिसका निर्णय समय-समय पर विश्वविद्यालय करेगा। वर्तमान आवश्यकताओं के लिये समुचित राशि आरक्षित रखने के बाद यथा शीघ्र राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों और या 1832 के भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत आने वाले अन्य निदेशों में लगाया जायेगा। उपरोक्त निवेशों से प्राप्त ब्याज को विश्वविद्यालय के राजस्व लेखे में प्राप्ती के रूप में जमा किया जायेगा। जिन रकमों का भुगतान इन नियमों के अधीन उनके देय हो जाने के बाद छः महीने के भीतर नहीं लिया गया है, उन्हें वर्ष के अन्त में "जमा" में अन्तर्गत कर दिया जायेगा और उन पर जमा से संबंधित साधारण नियमों के अधीन कारवाई की जायेगी।

24. नियमों में परिवर्तन

(1) नियमों में संशोधन, जोड़ या निरसन का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा।

(2) नियम 20 के अनुसार ये नियम और संशोधन अभिदाता को लागू होगा।

25. ढील करने का अधिकार

अलग-अलग मामलों में नियमों के उपबन्धों में ढील

जब कार्यकारिणी समिति को यह विश्वास हो कि इन नियमों में से, किसी नियम के लागू होने से किसी अभिदाता को कठिनाई होती है या होने की संभावना तो समिति को इन नियमों में किसी बात के बावजूद भी ऐसे अभिदाता के मामले पर इस ढंग से कठिनाई जो उचित और साम्यापूर्ण हो।

26. पेंशन

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिस पर परिशिष्ट "क" के इस परिच्छेदक उपबन्ध लागू होते हैं, इसमें इसके बाद बताये नियमों के अनुसार पेंशन पाने का हकदार होगा।

27. नीचे निर्धारित पेंशन की श्रेणियों पर लागू होने वाली शर्तों के अध्यधीन कोई भी कर्मचारी तब तक पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी न की हो, किन्तु वह न्यूनतम आयु, जिसके बाद की सेवा को पेंशन के लिये गिना जाता है, अठारह वर्ष होगी।

28. जो अस्थायी कर्मचारी अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्त हुए हों या जिन्हें 18 वर्ष सेवा करने के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी ने आगे और सेवा करने लिये स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया हो, वे स्थायी नियोजन में स्वीकार्य मान पर पेंशन पाने के हकदार होंगे।

29. परिभाषायें:—

(अ) इन नियमों में सन्दर्भ अन्यथा न हों तो—

(आ) औसत परिलब्धियाँ—औसत परिलब्धियों का मतलब है जो नियम 44 के अन्दर निर्धारित है।

(इ) बच्चा—बच्चे का मतलब है कर्मचारी का बच्चा, बेटा होने पर 21 वर्ष के अधीन हो और बेटी हो तो अविवाहित होने पर 30 वर्ष के अधीन हो।

(ई) परिलब्धियां—परिलब्धियां वह हैं जो नियम 43 में निर्धारित है।

(उ) विशेष वेतन—विशेष वेतन वह है जो एक पद या व्यक्ति के उत्तरदायित्वपूर्ण कठिन काम के लिये दिया जाता है।

(ऊ) वैयक्तिक वेतन :

वैयक्तिक वेतन का मतलब है—किसी भी कर्मचारी को वेतन नुकसान या अनुशासनिक उपायों के अतिरिक्त अन्यथा ऐसे मूल वेतन से किसी कटौती से बचाने अन्य व्यक्तिगत कारणों से अपवादात्मक परिस्थितियों में अतिरिक्त वेतन प्रदान करना

(ऋ) परिवार पेंशन :

परिवार पेंशन का मतलब है परिवार पेंशन जो नियमाधीन है ।

(ए) उपदान :

उपदान में शामिल होगा

(i) सेवा उपदान जो नियम 43 के अधीन देय है।

(ii) मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान जो नियमाधीन देय है।

(ऐ) सावधि पद :

सावधि पद का मतलब है एक ऐसा स्थायी पद जिस पर कोई कर्मचारी सीमित अवधि से अधिक समय तक नहीं रह सकता।

(ओ) अवयस्क :

अवयस्क का मतलब है जिसने 18 वर्ष उम्र पूरा नहीं किया है।

(औ) पेंशन :

पेंशन से उपादान भी मिला होगा।

(अं) अर्हकारी सेवा :

अर्हकारी सेवा का मतलब है जो अपने कर्तव्यकाल में निष्पादित किया गया हो जो नियमानुसार पेंशन और उपादान के लिए स्वीकार्य है।

(अः) सेवा निवृत्ति लाभ :

सेवा निवृत्ति में पेंशन, सेवा उपादान व मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपादान जो स्वीकार्य है, सम्मिलित है।

30. सामान्य शर्तें पेंशन या परिवार पेंशन दावा के विनियम (अ क्ष आ) जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है या सेवा निवृत्त किया जाता है या सेवा मुक्त किया जाता है तदसर लागू विनियम के उपबन्ध के अनुसार पेंशन या परिवार पेंशन का दावा विनियमित किया जाएगा।

31. पेंशन भविष्य की सच्चरित्रता पर आधारित होगा :

(अ) पेंशन प्रदान करने और उसके चालू रहने इस नियमाधीन भविष्य की सच्चरित्रता एक निहित शर्त होगी।

(आ) नियुक्ति अधिकारी लिखित आदेश से किसी अपराध या गम्भीर दुराचार के लिये सजा दी जाने पर किसी निर्विष्ट अवधि के लिये पेंशन को रोक सकता है, वापस ले सकता है, या पेंशन का अंश स्थायी रूप से भी रोक सकता है।

32. अर्हता सेवा :

अर्हता सेवा का प्रारम्भ—

कर्मचारी की अर्हता सेवा, जिस पद के लिये नियुक्त हो इस पद के कर्तव्य निर्वहन के दिनांक से शुरू होगा। बशर्ते कि वह मूल पद अस्थायी रूप से स्थानापन्न हो लेकिन इस अवधिकाल के बीच में सेवा में कोई रोक न होने पावे और आकस्मिकता निधि से सेवाकाल का वेतन न दिया गया हो।

33. परिवीक्षावधि को संगणित करना :

परिवीक्षावधि का कोई पद जो तदुपरान्त स्थायी किया जाएगा, अर्हक होगा।

34. छुट्टी में बितायी अवधि की संगणना :

(1) छुट्टी के अवधि काल के लिए वेतन देय होने पर (जिसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मंजूर किया गया असाधारण छुट्टी काल भी सन्निहित है) वह काल अर्हक होगा।

(2) प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण या विशेष कार्य के लिये की गई प्रतिनियुक्ति जिस देश के लिये जिस देश से यात्रा पर जा रहा हो वह यात्रावधि अर्हक सेवा काल होगा, लेकिन प्रतिनियुक्ति काल में ली गई असाधारण छुट्टी जिसके लिये कोई भत्ता न दी गई हो या नियमानुसार अर्हक न होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से असाधारण छुट्टी को अर्हता सेवा के लिए निम्नोक्त शर्तों पर परिगणना करने का आदेश दे सकते हैं—(i) विश्वविद्यालय के कर्मचारी के अपने अध्यापन और अनुसन्धान से संबंधित हो जो शैक्षणिक अनुसरण के लिये ली गई हो, (ii) नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक विपदा या अपने नियंत्रण से परे सन्दर्भ में कार्य ग्रहण करने में असमर्थ होने पर उसके खाते में कोई अन्य छुट्टी न होने पर और (iii) अधिकृत छुट्टी के बाद ली जाने वाली अनधिकृत छुट्टी का अवधि काल अर्हता सेवा के लिये परिगणित न किया जायेगा।

35. निलम्बन की अवधि की परिगणना :

कर्मचारी के आहरण के सम्बन्ध में जांच होने तक निलम्बनावधि जहां जांच का निर्णय होने पर उसे पूर्णत .

दोषमुक्त न किया गया हो या निलम्बन को पूर्णतः अनुचित न ठहराया गया हो, जब तक कि कार्यकारिणी समिति ने इस समय यह स्पष्ट घोषणा न की हो और कार्यकारिणी समिति के द्वारा घोषित सीमा तक गिना जाएगा।

36. सेवा से निकाले जाने पर या हटाये जाने पर सेवा का समपहरण :

सेवा से निकाले जाने पर या हटाए जाने पर पूर्व सेवा काल का समपहरण हो जाएगा।

37. पुनर्नियुक्ति होने पर पूर्व सेवा काल का परिगणन करना :

(अ) जो कर्मचारी सेवा से निकाला गया हो या हटाया गया हो या सेवा निवृत्त किया गया हो लेकिन कर्मचारी के अनुरोध पर या पुनरीक्षण पर पुनर्नियुक्त होने पर उसका सेवा, काल अर्हता काल के लिए गिना जायेगा।

(आ) सेवा से निकालने, हटाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख व पुनर्नियुक्ति के बीच की अवधि निलम्बन की कोई अवधि होने पर वह अवधिकाल पुनर्नियुक्ति के लिए आदेश जारी किये प्राधिकारी के निर्देश से विनियमित किये बगैर सेवा में व्यवधान अर्हता सेवा के लिये नहीं गिना जाएगा।

38. त्याग-पत्र पर सेवा का समपहरण :

कोई सेवा या पद लोकहित के लिये सक्षम अधिकारी से वापस लिये बगैर त्याग-पत्र समर्पित करने पर सेवा का समपहरण होगा।

39. सेवा में व्यवधान का असर :

(1) निम्नलिखित प्रसंगों को छोड़कर कर्मचारी के सेवाकाल में व्यवधान होने पर व्यतीत सेवा काल का भी समपहरण होगा।

(अ) अधिकृत अनुपस्थिति की छुट्टी।

(आ) अधिकृत अनुपस्थिति की छुट्टी के आगे की गई अनधिकृत अनुपस्थिति बशर्ते कि उस पद पर कोई नियुक्त न हुआ हो।

(इ) एक ही पद पर या विभिन्न पद पर निलम्बन के बाद तुरन्त पुनर्नियुक्ति होने पर, निलम्बन की अवधि में मृत्यु होने पर या सेवा निवृत्त होने अनुमति दी जाने पर या सेवा निवृत्ति की उम्र पहुंचने पर सेवा निवृत्त होने पर।

(ई) एक पद से दूसरे पद को स्थानान्तरण होने पर पदग्रहण अवधि।

(2) उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी

1. अनुपस्थिति काल जिसके लिये छुट्टी न ली हो, उसे नियुक्ति प्राधिकारी आदेश से भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी के रूप में रूपान्तरित कर सकते हैं।

40. सेवा में व्यवधान के लिए माफी :

इस्तीफा, पदच्युति या निष्कासन के फलस्वरूप या हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान होने पर, उसे माफ कर सकते हैं।

41. अर्हक सेवा में परिवर्धन :

कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हक अपनी सेवा में अपनी कुल सेवावधि की अधिकतम एक-चौथाई वास्तविक अवधि या वह वास्तविक अवधि जो भर्ती के समय उसकी 25 वर्ष की आयु से अधिक या 5 वर्ष की अवधि इसमें जो भी कम हो जोड़ सकते हैं बशर्ते कि पद ऐसा हो कि

(अ) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसन्धान या विशेषज्ञ समिति अर्हता या वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय या व्यावसायिक क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक हो और

(आ) जिस पर साधारणतया 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किये जाते हैं किन्तु यह रियायत ऐसे किसी भी कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं होगी जिसकी विश्वविद्यालय की सेवा छोड़ते समय वास्तविक अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम न हो। कार्यकारिणी समिति यह रियायत प्रदान करने का निर्णय कर्मचारी की भर्ती के समय लेगा।

42 केन्द्र सरकार/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/या केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकायों से कर्मचारियों का स्थानान्तरण :

(1) जब केन्द्र सरकार/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकाय, इसमें सांविधिक निकाय भी शामिल हैं, का कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिया जाता है तो उसकी उस पिछली सेवा की, जो उक्त सरकार/संगठन में सेवा निवृत्ति लाभों के लिये गिनी जाती है, निम्नलिखित शर्तों पर विश्वविद्यालय द्वारा देय सेवा निवृत्ति लाभों के लिये गिना जायेगा।

(अ) स्थानान्तरण मूल कार्यालय की सहमति से और लोक हित में हुआ हो।

(आ) कर्मचारी ने मूल सरकार/संगठन में यथानुपात सेवा निवृत्ति लाभ लेने के लिये विकल्प न दिया हो।

(इ) केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकायों, जिसमें सांविधिक निकाय भी शामिल हैं, ने विश्वविद्यालय में खपा लेने की तारीख तक की सेवा के लिये यथानुपात पेंशन/सेवा उपदान और सेवा निवृत्ति उपदान एक मुश्त अदा करके पेंशन की अपनी जिम्मेदारी को सौंप दी हो।

(ई) यदि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आता है तो मूल सरकार/संगठन उस कर्मचारी के विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिये जाने के समय, अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा राशि और उपादान की पूंजीकृत राशि यदि कोई हो, विश्वविद्यालय को अन्तरित कर देती है। किन्तु यदि किसी कर्मचारी ने स्थायी रूप

खपा लिये जाने के एक वर्ष के भीतर, कुल निकाय में की गई पिछली सेवा को पूर्ववर्ती नियोक्त, के सम्याज अंशदायी भविष्य निधि अंशदान सहित पेंशन के लिये अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प दिया हो तो मूल-संगठन ये यह संचित राशि तथा उपदान का पूंजीकृत मूल्य स्थायी रूप से खपा लिये जाने के समय विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिया जायेगा।

(2) जब राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिया जाता।

1. विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिये जाने पर राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी की पिछली उन सेवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले सेवा निवृत्ति लाभों के लिये गिनी जानी चाहिये जिन्हें राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालयों में सेवा निवृत्ति लाभों के लिये गिना जाता था, किन्तु स्थानान्तरण लोकहित में हो और इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति एकमात्र निर्णायक होगी। शर्त यह होगी कि:—

(अ) स्थानान्तरण राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय की सहमति से हुआ हो।

(आ) संबंधित राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय उनके विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिये जाने के समय विश्वविद्यालय के उक्त संगठन में कर्मचारी की पिछली सेवा से संबंधित सेवा निवृत्ति लाभों का पूंजीकृत मूल्य अदा करें।

(इ) यदि संबंधित कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आता है तो राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय उसके अंशदायी निधि खाते में संचित राशि उस विश्वविद्यालय को, उसके स्थायी रूप से खपा लिये जाने के समय अन्तरित कर देगा।

(ई) जब विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों में स्थानान्तरित होता है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में स्थानान्तरण स्थायी रूप से खपा लिये जाने की स्थिति में उन्हें स्वायत्त निकायों के अधीन संयुक्त सेवा के लाभ या यथानुपात सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान करने से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित केन्द्र सरकार स्वायत्त निकायों आदि में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले में भी लागू होंगे।

(उ) स्थायी रूप से खपाने के उन सभी मामलों में प्रस्तावित व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त निकाय का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये जहां सेवा निवृत्ति लाभों की दायिता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी निकाय द्वारा वहन की जानी हो।

43. परिलब्धि—परिलब्धि का मतलब है परिभाषित वेतन महंगाई वेतन जो कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख या अपनी मृत्यु की तारीख से तत्काल पूर्व ले रहा था। इसमें सेवा निवृत्ति पेंशन और उपादान के प्रयोजन के लिये तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत भी शामिल है। तारीख 1-1-86 से लागू संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिलब्धियों का मतलब है उस तारीख को कर्मचारी को मिल रहा केवल मूल वेतन।

44. औसत परिलब्धि—औसत परिलब्धियों का मतलब है ऊपर परिभाषित परिलब्धियों का औसत जिसका परिकलन सेवा के अन्तिम 10 महीने के वेतन के आधार पर किया जाता है। किन्तु यदि कोई कर्मचारी सेवा में अन्तिम 10 महीनों के दौरान आवेतन छुट्टी पर अपने कर्त्तव्य अनुपस्थिति रहता है या ऐसी परिस्थितियों से सेवा से निलंबित रहता है की निलंबन की अवधि की सेवा के रूप में नहीं गिना जाता तो इस प्रकार की अवधि को औसत परिलब्धियों का परिकलन करने के आशय से नही गिना जायेगा और इस अवधि से पहले की 10 महीनों की अवधि को आशय से गिना जायेगा

45. विविध पेंशन और शर्तें—न्यूनतम सेवा की अर्हता होने पर कर्मचारी को प्रावधानानुसार निम्नलिखित कोई पेंशन देय होगा।

(अ) प्रतिपूरक पेंशन—यदि कोई कर्मचारी कोई स्थायी पद समाप्त होने के कारण सेवा मुक्त हुआ हो और उसे कोई वैकल्पिक नौकरी देना संभव नहीं या उसे कोई निम्न पद दिया गया हो किन्तु उसने स्वीकार न किया हो तो उसे नीचे निर्धारित मान कर प्रतिकर पेंशन प्रदान की जायेगी।

(आ) अशक्तता पेंशन—नियम 20 में निर्धारित मान कर अशक्तता के लिये विश्वविद्यालय की सेवा से सेवा-निवृत्त होने पर प्रदान की जायेगी। जिसके कारण वह आगे सेवा करने अयोग्य हो गया है बशर्ते कि कार्य कारिणी समिति द्वारा यथानिर्धारित सक्षम चिकित्सा अधिकारी ने उसे अयोग्य प्रमाणित किया हो।

अशक्तता पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में अशक्तता पेंशन की राशि, इस परिशिष्ट के परिवार पेंशन के नियम 65 के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।

(इ) अधिवर्षिता पेंशन—अधिवर्षिता पेंशन उस कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जो सेवा निवृत्ति की आयु होने के बाद सेवा से निवृत्त हुआ हो।

(ई) सेवा निवृत्ति पेंशन—सेवा निवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जिसे अर्हक सेवा के 20 वर्ष

पूरे करने के बाद सेवा निवृत्ति होने की अनुमति मिली हो या अधिवर्षिता की आयु से पहले ही समय पूर्व सेवा निवृत्त हो गया हो। किन्तु अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूरा होने के बाद अधिवर्षिता की आयु पूरा करने के पहले सेवा निवृत्ति होने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार उस तारीख से कम से कम तीन महीने पहले एक लिखित नोटिस देगा जिस तारीख को वह सेवा निवृत्त होना चाहता है।

2. 20 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मामले में कर्मचारी की अर्हक सेवा में 5 वर्ष के लाभ और बढ़ा दिये जायेंगे। बशर्ते कि—

(क) लाभ सहित कुल अर्हक सेवा 35 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) यह अवधि कर्मचारी के सामान्यतया अधिवर्षिता की तारीख के बाद न पड़ती हो।

(ग) सेवा का लाभ मिलने से कोई कर्मचारी पेंशन और उपदान का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिये किसी काल्पनिक वेतन के निर्धारण का हकदार नहीं हो जायेगा।

(घ) यह उप-नियम ऐसे किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी तौर पर खपा लिये जाने के कारण विश्वविद्यालय की सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो।

(ङ) अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन :

जब किसी कर्मचारी को शास्ति के लिये सेवा निवृत्त किया जाता है तब अधिरोपित करने के सक्षम अधिकारी पेंशन, उपदान या दोनों जो दो तिहाई दर से कम न हो और पूरे मुआवजा पेंशन या उपदान से ज्यादा भी न हो या दोनों जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति के समय ग्राह्य हो।

(च) अनुकम्पा भत्ता

(i) जो कर्मचारी सेवा से निकाला या हटाया जाता है उसके पेंशन या उपदान का समपहरण हो जायेगा। लेकिन सेवा से निकालने व हटाने का सक्षम अधिकारी योग्य कर्मचारी को सर्वोपरि ध्यान देकर अनुकम्पा भत्ता मंजूर कर सकते हैं जो पेंशन उपदान या दोनों के दो तिहाई भाग से ज्यादा न हो जो राशि उसके सेवा निवृत्ति होने पर अनुकम्पा पेंशन पाने योग्य हो।

(ii) उपबन्ध (i) के अधीन मंजूर किया जाने वाला अनुकम्पा भत्ता न्यूनतम पेंशन जो हर महीने पाने योग्य है, उससे कम न होगा।

46. पेंशन की राशि :

(1) 10 वर्ष के अर्हक सेवाकाल से पहले यदि कोई कर्मचारी इन उपबन्धों के अनुसार सेवा निवृत्ति होता है तो प्रति छः महीने के सेवाकाल के लिये आधे महीने की परिलब्धि उपदान के रूप में दिया जायेगा।

(2) पेंशन पाने के लिये हकदार किसी भी कर्मचारी को कम से कम 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद, उसकी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर मासिक पेंशन परिकलित की जायेगी बशर्ते कि वह न्यूनतम 375 रुपये प्रति मास और अधिकतम 4500 रुपये प्रतिमास हो। किस कर्मचारी ने सेवा निवृत्ति के समय तक 10 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की है तो उसकी पेंशन की राशि उसकी अधिकतम अर्हक सेवा को 33 वर्ष की सेवा मानते हुए अधिकतम स्वीकार्य पेंशन के अनुपात में निर्धारित की जायेगी।

उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी अशक्तता पेंशन नियम 61 के अन्दर अर्हक परिवार पेंशन से कम न होगा।

(3) सेवाकाल की परिगणना करते समय तीन महीने से ज्यादा जो सेवाकाल है उसे एक वर्ष का सेवाकाल गिना जायेगा।

(4) पेंशन की राशि पूर्ण रुपयों में ही निर्धारित की जायेगी।

47. पेंशन का रूपान्तरण—किसी भी कर्मचारी को नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उसे प्रदत्त पेंशन की अधिकतम एक तिहाई राशि की एकमुश्त अंशदायी लेने के लिये उसे रूपान्तरित कराने की अनुमति होगी।

(i) प्रतिकर पेंशन, अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति पेंशन पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी मामलों के सिवाय (इसमें किसी निकाय या स्वायत्त निकाय में या उसके अधीन खपा लिये जाने वाले और मासिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प देने वाले कर्मचारी भी शामिल है। कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना कोई रूपान्तरण मंजूर नहीं किया जायेगा बशर्ते कि रूपान्तरण का आवेदन सेवा निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर न किया गया हो।

(ii) रूपान्तरण पर एक मुश्त राशि का परिकलन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित मूल्य की तालिका के अनुसार किया जायेगा और आवेदन पर उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को रूपान्तरण अबाध्य हो जाता है।

(iii) पेंशन का रूपान्तरण रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने की तारीख को या सेवा निवृत्ति की तारीख के अगले दिन, इन में जो भी बाद में हो अबाध्य हो जायेगा जिस चिकित्सा जांच के बाद रूपान्तरण के मामले में यह तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

(iv) रूपान्तरण के कारण पेंशन की राशि में कमी, उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख को पेंशन को रूपान्तरित

मूल्य की अदायगी के लिये वित्त अधिकारी द्वारा प्राधिकार जारी करने के बाद तीन मास समाप्त हो जाने पर इनमें से भी में हो, इस राशि में कमी की जाएगी।

(v) विश्वविद्यालय के जिन पेंशन भोगियों ने अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनकी पेंशन के रूपान्तरित भाग पुनः स्थापित हो जायेगा।

(vi) विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी केन्द्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों में खपा लिये गये हैं और जिन्होंने अपनी पेंशन के रूपान्तरित एक तिहाई भाग या पेंशन का 1/3 भाग रूपान्तरित एक-तिहाई भाग बाकी बची पेंशन की शेष राशि के रूपान्तरित मूल्य के बराबर सेवान्त लाभ प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने का विकल्प दिया है वे विश्व विद्यालय में पेंशन के भागी न रहने के कारण नियम खण्ड नियम (v) के अधीन कोई जो लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

(vii) ऊपर नियम (v) में हकदार प्रत्येक पेंशन भोगी को विधिवत् पूर्ण निर्धारित प्रपत्र में, विश्वविद्यालय में के वित्त अधिकारी को आवेदन करना होता है जो पेंशन के रूपान्तरित भाग को पुनः स्थापित करेगा बशर्ते कि रूपान्तरित राशि का उल्लेख पेंशन अदायगी आदेश में किया गया हो और यदि कोई बकाया राशि है तो उसका भी भुगतान करेगा।

48. जिस कर्मचारी ने विश्वविद्यालय में अर्हक सेवा के 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं और अधिनियम 52 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन के लिए हकदार हो गया है या जो अस्थायी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा करने के बाद अधिकर्षिता पर या अक्षम हो जाने पर सेवा निवृत्त हो गया है उसे सेवा निवृत्त होने पर नियम में उल्लिखित मान के अनुसार सेवा निवृत्ति उपदान भी प्रदान किया जायेगा। उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में यह उपदान मृतक के नामिती या नामितियों को निर्धारित ढंग से दिया जायेगा।

49. विश्वविद्यालय की सेवा से इस्तीफा देने या पदच्युत होने या भ्रष्टाचार दिवालिया या अयोग्य जो उम्र के कारण ही है, हो जाने के कारण, सेवा से निष्कासित किये जाने पर कोई उपदान नहीं दिया जायेगा।

50. यदि ऐसा कोई नामांकन न हो या किया गया नामांकन मौजूद न हो तो उपदान नीचे बताये ढंग से अदा किया जायेगा :—

(क) यदि नीचे उपखण्ड (ग), (खख), (गग) और (घघ) में उल्लिखित परिवार के एक या अधिक उत्तरजीवी सदस्य हो तो सभी सदस्यों को बराबर-बराबर हिस्सों में—

(कक) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी और पत्नियों

(खख) महिला कर्मचारी के मामले में पति

(गग) पुत्र इसमें सौतेले पुत्र और दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं।

(घघ) अविवाहित पुत्र से इसमें सौतेली और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं।

(ख) यदि ऊपर खण्ड (क) में उल्लिखित परिवार का ऐसा कोई सदस्य जीवित न हो, किन्तु नीचे उपखण्ड (कक), (खख), (गग), (घघ), (ङङ), (चच) और (छछ) में उल्लिखित एक या अधिक सदस्य हो तो सभी सदस्यों को बराबर हिस्सों में—

(कक) विधवा पुत्रियां इसमें सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं।

(खख) पिता अलग-अलग मामलों में अपनाये माता-पिता।

(गग) माता जिनको स्वीय विधि में दत्तक लेने की अनुमति हो।

(घघ) 18 वर्ष की आयु से कम आयु के भाई, इसमें सौतेले भाई भी शामिल हैं।

(ङङ) अविवाहित बहनें और विधवा बहनें, इसमें सौतेली बहनें भी शामिल हैं।

(चच) विवाहित पुत्रियां।

(छछ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे।

टिप्पणी 1—कर्मचारी की सेवा के दौरान या सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिवार की महिला सदस्यों या भाई का उपादान का अपना हिस्सा पाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि महिला सदस्य का विवाह हो जाने या पुनः विवाह हो जाने पर या कर्मचारी की मृत्यु के बाद और उपादान का अपना हिस्सा लेने से पहले भाई की आयु 18 वर्ष की हो जाये।

टिप्पणी 2—जहां इस नियम के अधीन मृतक कर्मचारी के किसी नाबालिग सदस्य को उपादान प्रदान किया गया हो यह नाबालिग की ओर से उसके अभिभावक को दिया जायेगा।

टिप्पणी 3—जब किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान या सेवा निवृत्ति के बाद उपादान का राशि प्राप्त करने से पहले हो जाये और

(क) उसका कोई परिवार न हो, या

(ख) उसने कोई नामांकन न किया हो, या

(ग) उसके द्वारा किया गया नामांकन मौजूद न हो तो इस नियम के अधीन उसे देय मृत्यु एवं निवृत्ति उपादान की राशि विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जायेगी।

52. सेवा निवृत्ति उपादान :

सेवा निवृत्ति उपादान की राशि, कर्मचारी को अर्हक सेवा हर पूरी छैमाही की उसकी परिलब्धियों को एक-चौथाई राशि के बराबर होगी बशर्ते कि वह परिलब्धियों से अधिकतम 161/2 गुणा हो। किन्तु यह किसी भी स्थिति में 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। किन्तु यह भी कि अन्तिम रूप

से परिकलित सेवा निवृत्ति उपादान की राशि को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिये।

53. अवशिष्ट उपादान :

यदि किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है जो पेंशन या उपादान का हकदार हो गया हो, विश्वविद्यालय की सेवा से सेवा निवृत्ति होने के बाद 5 वर्ष की अवधि के भीतर जिसमें दण्ड स्वरूप आवश्यक सेवा निवृत्ति भी शामिल है, और उपरोक्त उपबन्धों के अधीन उसे प्रदत्त की राशि, सहित ऐसे पेंशन के रूप में उसकी मृत्यु के समय उसे प्राप्त वास्तविक राशि और उसके द्वारा रूपान्तरित कराई गई पेंशन के हिस्से का रूपान्तरित मूल्य, उसकी परिलब्धियों की 12 गुणा राशि से कम हो तो शेष उपादान राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी।

54. मृत्यु उपादान :

सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु उपादान निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगी :—

सेवावधि	उपादान की दर
1. एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दुगुना
2. एक वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुणा
3. पांच वर्ष या उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुणा
4. 20 वर्ष या उससे अधिक	कर्मचारी की अर्हक सेवा की हर पूरी छमाही की उसकी परिलब्धियों की आधी राशि बशर्ते कि वह अधिकतम परिलब्धियों के 33 गुणा तक हो, किन्तु मृत्यु उपादान की राशि किसी भी स्थिति में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

55. नियम 51 से 54 तक के अधीन सेवा निवृत्ति उपादान के प्रयोजन से परिलब्धियों का हिसाब संविधि 29 के परिच्छेद ई के अनुसार लगाया जायेगा, किन्तु यदि किसी कर्मचारी की परिलब्धियां जुर्माने के अलावा किसी अन्य कारण से उसकी सेवा के अन्तिम 10 महीनों के दौरान कम हो गई हो तो संविधि 29 के परिच्छेद ई में यथा विनिर्दिष्ट औसत परिलब्धियों को परिलब्धियां समझा जायेगा।

56. अस्थाई कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष से कम सेवा की हो

1. सेवान्त उपादान :

अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाला कोई भी अस्थाई कर्मचारी या जिसे 10 वर्ष की सेवा करने से पहले आगे सेवा करने अयोग्य घोषित किया गया हो, जिस सेवा निवृत्ति के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया हो, वह नीचे उल्लिखित दरों पर उपादान पाने का हकदार होगा :—

सेवावधि	स्वीकार्य सेवान्त उपादान
5 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	सेवा के हर पूरे वर्ष के वेतन की आधी राशि

किन्तु शर्त यह है कि सेवा निरन्तर और सन्तोषजनक हो किन्तु जिन मामलों में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने सन्तोषजनक न माना हो तो यह अधिकारी आदेश देकर और उसमें उल्लिखित कारणों से उपादान की राशि यथोचित कटौती कर सकता है।

किन्तु यह भी कि इस उप-नियम के अधीन देय सेवान्त उपादान की राशि, उस राशि से कम नहीं होगी जो उसे अपनी निरन्तर अस्थाई सेवा की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य होने की स्थिति में भविष्य निधि में विश्वविद्यालय के अंशदान के बराबर प्राप्त होती बशर्ते कि कर्मचारी के बराबर विश्वविद्यालय का अंशदान उसके वेतन के 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

किन्तु यह भी शर्त होगी कि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणाम-स्वरूप आवश्यक सेवा निवृत्ति के मामले में देय उपादान की दर उसके वेतन की दो-तिहाई राशि से कम और किसी भी स्थिति में तदनुरूपी निरन्तर सेवा के लिये विनिर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।

2. मृत्यु उपादान :

जिस अस्थाई कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो (जिसकी न्यूनतम सेवा 10 वर्ष हो) उसके परिवार को उसी मान पर और नियम 49 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन मृत्यु उपदान दिया जायेगा।

इस नियम के अधीन ऐसे किसी भी कर्मचारी को कोई उपदान नहीं दिया जायेगा जो अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति पेंशन पर सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियोजित हो गया हो।

इस नियम के प्रयोजन से—

(क) वेतन का मतलब होगा केवल मूल वेतन इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और वेतन के रूप वर्गीकृत अन्य परिलब्धियां शामिल नहीं होंगी। यदि संबंधित कर्मचारी भत्तों सहित या बिना छुट्टी पर हो तो इस प्रयोजन के लिये वेतन का मतलब होगा वह वेतन जो उसे उस समय मिलता रहता यदि वह छुट्टी पर न गया होता।

भाग IV

परिवार पेंशन

57. नीचे बताई परिवार पेंशन योजना सेवा—अस्थायी या स्थायी में कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी।

यह नीचे बताये अनुसार लागू होगी—जिन कर्मचारियों ने सा० म० नि० एवं पेंशन एवं उपादान योजना का विकल्प दिया है, उस पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे।

परिवार पेंशन जिसकी राशि नियम 65 के नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित की जायेगी, उस मृतक कर्मचारी के परिवार पर लागू होगा जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान या सेवा से सेवा निवृत्ति होने बाद हुई हो और मृत्यु की तारीख का जो सेवा निवृत्त अधिकारी पेंशन प्राप्त कर रहा हो सेवा के दौरान मृत्यु के मामले के कर्मचारी ने न्यूनतम एक वर्ष की निरन्तर सेवावधि पूरी कर ली हो या एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने से पहले मृत कर्मचारी डाक्टरी जांच की गई हो और नियुक्ति से तत्काल पूर्व उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे स्वस्थ पाया हो।

टिप्पणी.—निरन्तर सेवा का मतलब है पेंशन सेवा में अस्थायी या स्थायी हैसियत में की गई सेवा और उसमें (1) निलम्बन की अवधि यदि कोई हो, और (2) 18 वर्ष की आयु होने से पहले की गई सेवा की अवधि शामिल नहीं है।

इस योजना के प्रयोजन के लिये परिवार में कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल होंगे—

(क) पुरुष अधिकारी के मामले में पत्नी

(ख) महिला अधिकारी के मामले में पति

(ग) पुत्र जो 21 वर्ष का न हुआ हो

(घ) अविवाहित पुत्रियां जो 30 वर्ष की न हुई हों।

टिप्पणी—

1. (ग) और (घ) में सेवा निवृत्ति से पहले विधिक रूप में दत्तक लिये बच्चे भी शामिल हैं किन्तु इसमें सेवा निवृत्ति के बाद जन्मे पुत्र या पुत्रियां शामिल नहीं है।

2. इस योजना के प्रयोजन के लिये सेवा निवृत्ति के बाद किया गया विवाह को भी मान्यता नहीं दी जायेगी।

59. पेंशन निम्न स्थितियों में स्वीकार्य होगी :—

(क) विधवा/विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह, इनमें जो भी पहले घटित हो की तारीख तक।

(ख) नाबालिग पुत्र के मामले में उसके 21 वर्ष का हो जाने तक

(ग) अविवाहित पुत्र के मामले में 30 वर्ष की आयु होने या विवाह में से जो भी पहले हो तक।

किन्तु यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री दिमागी विकार या अशक्तता से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम हो कि पुत्र के मामले में उसके 21 वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों पर अजीवन परिवार पेंशन दी जायेगी, अर्थात्:—

यदि यह पुत्र या पुत्री कर्मचारी के उन दो या अधिक बच्चों में से एक हो तो प्रारम्भ में परिवार पेंशन नियम 58 के अधीन निर्धारित क्रम में नाबालिग बच्चे को तब तक दी जायेगी जब तक कि अन्तिम नाबालिग बच्चे की आयु यथा स्थिति 21 या 30 वर्ष की न हो जाए और उसके बाद परिवार पेंशन उस पुत्र या पुत्री को देनी चाहिये जो दिमागी विकार या अक्षमता से पीड़ित है या जो शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त है और यह इसे आजीवन दी जायेगी।

(2) यदि दिमागी विकार या अक्षमता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम पुत्र या पुत्री एक से अधिक हो तो परिवार पेंशन निम्नलिखित क्रम में दी जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रथमतः पुत्र को और यदि एक से अधिक पुत्र हो तो उनमें से छोटे पुत्र को केवल बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद ही यह पेंशन दी जायेगी।

(ख) दूसरी पुत्री को और ऐसी एक से अधिक पुत्रियां हैं तो उनमें से छोटी पुत्री को केवल बड़ी पुत्री की मृत्यु के बाद ही यह पेंशन दी जायेगी।

(3) ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन उन्हें नाबालिग मानते हुए उनके अभिभावक के माध्यम से दी जायेगी।

(4) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन प्रदान करने की अनुमति देने से पहले मंजूरकर्ता प्राधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि विकलांगता इस किस्म की है कि वह जीविकोपार्जन नहीं कर सकता है और इसे कम से कम सिविल सर्जन के रैंक के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किये गये प्रमाण-पत्र द्वारा साक्ष्यांकित करना होगा या शारीरिक स्थिति का भी उल्लेख करेगा।

(5) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री के अभिभावक रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को (1) हर तीसरे वर्ष कम से कम सिविल सर्जन के रैंक के चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अभी भी दिमागी विकार या अशक्तता से पीड़ित है या वह अभी भी शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम है।

(2) हर महीने यथा स्थिति इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि (क) लाभग्राही ने जीविकोपार्जन शुरू नहीं किया है (ख) पुत्री के मामले में यह प्रमाण-पत्र कि उसका अभी विवाह नहीं हुआ है।

टिप्पणी:—

(1) जिन मामलों में मृत कर्मचारी एक से अधिक विधवायें जीवित हो तो बराबर हिस्सों में उन्हें पेंशन अदा की जायेगी। विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने पर पेंशन का उसका हिस्सा उसके हकदार नाबालिग बच्चे को देय होगा। यदि विधवा की मृत्यु पुनर्विवाह के समय उसका कोई हकदार बच्चा न हो तो पेंशन के उसके हिस्से की अदायगी रोक दी जायेगी।

(2) जिन मामलों में मृत कर्मचारी की विधवा हो किन्तु उसके किसी दूसरी पत्नी से हकदार कोई नाबालिग बच्चा हो तो हकदार नाबालिग बच्चे को पेंशन का वह हिस्सा

अदा किया जायेगा जो उसकी मां को कर्मचारी की मृत्यु के समय यदि वह जीवित होती तो उसे मिलता।

60. उपनियम 59 (1)(2) के नीचे टिप्पणी (1) और (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवार पेंशन एक समय में परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नहीं दी जायेगी।

(ख) यदि मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी के पीछे विधवा या विधुर रह गया हो तो परिवार पेंशन विधवा या विधुर को देय हो जायेगी जिसके न होने पर हकदार बच्चे को देय होगी।

(ग) यदि पुत्र और अविवाहित पुत्रियां जीवित हैं तो अविवाहित पुत्रियां तब तक परिवार पेंशन की हकदार न होगी जब तक पुत्रों की आयु 18 वर्ष की न हो जाये और उसके बाद वे परिवार पेंशन लेने की हकदार न होगी।

61. विधवा विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने की स्थिति में पेंशन या बालिग बच्चों को उनके नैसर्गिक अभिभावक के माध्यम के से प्रदान की जायेगी। किन्तु विवादास्पद मामलों में अदायगियां विधिक अभिभावक के माध्यम से की जायेंगी।

62. जब पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हों और उनमें से किसी एक सेवा के दौरान या सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाये मृत की परिवार पेंशन उत्तरजीवी पति/पत्नी को दी जाती है और पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत युगल के बच्चों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन मृत माता पिता की दो परिवार पेंशनें प्रदान की जायेंगी।

(क) (1) यदि उत्तरजीवी बच्चा या बच्चे दो परिवार पेंशनें पाने के हकदार हों और यदि दोनों या कोई एक परिवार पेंशन उपनियम 61 में उल्लिखित उच्चतर दर पर हो, दोनों पेंशनें की राशि 2500/– रु० प्रतिमाह तक सीमित होगी।

(2) यदि दोनों परिवार पेंशनें उपनियम 61 में उल्लिखित निम्न दर पर देय हों, दोनों पेंशनों की रकम 1250/– रु० प्रतिमाह तक सीमित होगी।

63. इन नियमों के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जायेगी जो परिवार पेंशन प्राप्त कर रहा हो या जो केन्द्र या राज्य सरकार और या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/स्वायत निकाय/केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि के किन्हीं अन्य नियमों के अधीन इसका हकदार हो।

64. परिवार पेंशन की राशि मासिक दरों पर निर्धारित की जायेगी और पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहां परिवार पेंशन की राशि पूर्ण रुपयों में न हो तो उसे अगले उच्चतर रुपयों में पूर्णांकित कर दिया जायेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम निर्धारित राशि से अधिक परिवार पेंशन प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।

65. (क) योजना के अधीन मृतक का परिवार, परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा जिसकी राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित की जायेगी :—

तालिका

कर्मचारी का वेतन	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(क) अधिकतम 1500/- रु०	मूल वेतन का 30% बशर्ते कि न्यूनतम राशि 315/- रुपये हो।
(ख) 1500/- रु० से अधिक	मूल वेतन का 29 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम राशि 430/- रुपये हो।
(ग) 3000/- रु० से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम राशि 600/- रु० और अधिकतम राशि।

(ख) (i) किसी कर्मचारी को कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा करने के बाद सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार को देय परिवार पेंशन की दर अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर या उपखण्ड "क" के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन से दुगनी राशि में से कम ही देय होगी और इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष अवधि के लिये या उस तारीख तक इनमें से जो भी अवधि कम हो दी जायेगी जिस तारीख को यदि वह जीवित रहता तो 63 वर्ष की आयु की हो जाता।

(ii) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्य हो जाने की स्थिति में उस तारीख तक बढ़ी दरों पर परिवार पेंशन दी जायेगी, जिस तारीख को यदि कर्मचारी जीवित रहता तो 65 वर्ष का हो जाता या 7 वर्ष के लिये इनमें जो भी अवधि कम हो परिवार पेंशन दी जायेगी। किन्तु किसी भी स्थिति में परिवार पेंशन की राशि, सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी को स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी। किन्तु जिन मामलों में ऊपर उपखण्ड "ख" के अनुसार स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि, सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन से अधिक हो तो इस उपखण्ड के अधीन स्वीकृत परिवार पेंशन की राशि, उक्त से कम नहीं होगी। सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन वह पेंशन होगी जिसमें मृत्यु के पहले रूपान्तरित पेंशन का भाग भी शामिल होगा।

टिप्पणी :—नियम 65 के उपखण्ड "अ" के प्रयोजन के लिये वेतन का मतलब है संविधि 43 में यथा परिभाषित परिलब्धियों (ii) संविधि 44 में यथा परिभाषित औसत परिलब्धियों बशर्ते कि मृत कर्मचारी की परिलब्धियां दण्ड के अलावा किसी अन्य कारण उसकी सेवा के अन्तिम 10 महीनों के दौरान कम कर दी गई हो।

66. परिवार पेंशन का लाभ पाने वाले सभी कर्मचारियों को ऊपर उपनियम 58 में यथा परिभाषित अपने परिवार

के ब्यौरे प्रपत्र III में प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात् प्रत्येक सदस्य की जन्म की तारीख कर्मचारी के साथ उसका रिश्ता आदि इस विवरण पर रजिस्ट्रार के प्रति हस्ताक्षर होंगे और उसे कर्मचारियों के सेवा अभिलेख चिपकाया जायेगा। उसके बाद कर्मचारी की विवरण उच्चतम रखना होगा। रजिस्ट्रार समय समय पर संबंधित कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर इस विवरण में परिवर्तन या परिवर्द्धन करेगा।

67. जिन मामलों में किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो उनमें रजिस्ट्रार सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रपत्र 10 में निर्धारित पत्र, मृतक के परिवार को भेजेगा और उसमें लिखित आवश्यक दस्तावेज मंगायेगा। दस्तावेज प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार परिवार के हकदार सदस्य को पेंशन मंजूर करने की आवश्यक कार्रवाई करेगा।

भाग V

असाधारण पेंशन

67. जब किसी कर्मचारी कोई चोट पहुंचे या किसी चोट के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाये या मारा जाये तो कार्यकारिणी समिति एक तदर्थ समिति की सप्ताह पर अशक्तता पेंशन, अशक्तता पेंशन के बदले में मुआवजा समेकित असाधारण पेंशन प्रदान करने की मंजूरी देगा। कार्यकारिणी समिति इसे प्रदान करते समय इस कर्मचारी की गलती या लापरवाही को ध्यान में रखेगा जिसे चोट पहुंची हो या जिसकी चोट परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई हो या जो मारा गया हो।

68. उक्त तदर्थ समिति के पांच सदस्य होंगे जिनमें से चार सदस्यों को नियुक्ति कार्यकारिणी समिति अपने ही सदस्यों में से करेगा और पांचवा सदस्य वित्त मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि होगा।

69 समय समय पर यथा संशोधित भारत सरकार केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों निर्धारित शर्तों और उन्हीं दरों पर देय होगी।

70. जब भी कोई अशक्तता पेंशन या असाधारण परिवार पेंशन का कोई दावा उत्पन्न हो तो उसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के माध्यम से कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(क) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें चोट आई बीमारी हुई या मृत्यु हुई।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में यथा स्थिति अशक्तता पेंशन या असाधारण पेंशन के लिये अ ।

(ग) कर्मचारी के घायल सदस्य के मामले में चिकित्सा रिपोर्ट या कर्मचारी के मृत सदस्य के मामले में निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा रिपोर्ट स्टाफ के मृत सदस्य स्टाफ के मामले में मृत्यु की चिकित्सा रिपोर्ट या यदि स्टाफ के सदस्य की ऐसी परस्थितियों में मृत्यु हुई हो कि चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त न की जा सकती हो मृत्यु की वास्तविक घटना के सम्बन्ध में विश्वसनीय प्रमाण।

72. इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी सामान्य भविष्य, निधि, पेंशन, उपादान आदि के लिये केन्द्र सरकार की तरफ से कोई संशोधन प्रशासनिक निर्देश या आदेश जारी जाने पर, उन निर्दिष्ट तारीख से ही ये लागू होंगे, वे संशोधन पूर्व प्रकरणों के लिये लागू नहीं होंगे।

73. व्यक्तिगत प्रकरणों में शर्तों को ढीला करना :—

जब उपकुलपति इस बात से परितृप्त हो कि इन उपबंधों के लागू करने पर किसी कर्मचारी को अनुचित कष्ट होगा तो, इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी सिफारिश कर सकते हैं।

निर्वाचन : इन उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई सवाल उठने पर कार्यकारिणी समिति को विचारार्थ भेजा जाए जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रपत्रक—1—नामांकन पत्र

जब कर्मचारी (अभिदाता) का कोई परिवार हो और एक व्यक्ति (सदस्य) को नामित करता है।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को जो पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान नियम में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है निधि में अपने जमा में पड़ी राशि के देय होने किन्तु अदा न किए जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निम्नोक्त प्रकारेण प्राप्त करने नामित करता है।

नामिति का नाम व पता	अभिदाता से सम्बन्ध	नामिति की आयु	वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस व्यक्ति के नाम व पता व संबंध यदि कोई हो, जिसे जिन्हें अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु होने की स्थिति में नामिति का अधिकार अन्तरित किया जाएगा

तारीख————————19 दिन———————— स्थान ————————

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

1. ————————

2. ————————

अभिदाता के हस्ताक्षर————————

पदनाम ————————

विभाग ————————

नामांकन प्रपत्र II

जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक से ज्यादा सदस्य को नामांकित करना चाहता है

मैं नीचे उल्लिखित सदस्यों को जो पॉण्डिचेरी विश्व विद्यालय के सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान नियम में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य में निधि में अपनी जमा में पड़ी राशि के देय होने, किन्तु अदा न किए जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निम्नोक्त सदस्यों को नियनिम्नोक्त प्रकारेण राशि प्राप्त करने नामित करता हूं।

नामिति का नाम व पता	अभिदाता से संबंध	नामिति की* आयु	प्रत्येक नामिति को देय हिस्सा	आकस्मिक घटनाए जिनके घटित होने पर नामांकन अवध हो जाएगा	उस व्यक्ति के नाम व पता व संबंध यदि कोई हो, जिन्हें अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामितियों का अधिकार अन्तरित किया जायेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*यह कालम पूर्ण रूप से भरा जाए और अभिदाता की निधि जो जमा में है उसका पूर्ण विवरण दिया जाए

तारीख————————19 दिन———— स्थान ————————

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

1. ————————————

अभिदाता का हस्ताक्षर ————————

2. ————————————

पदनाम ————————

विभाग ————————

प्रपत्र III—परिवार का ब्यौरा

कर्मचारी का नाम _____

पदनाम _____

जन्म तारीख _____

नियुक्ति की तारीख _____

तारीख _____

मेरे परिवार के ब्यौरे

क्रम सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म की तारीख	अधिकारी के साथ संबंध	कार्यालयाध्यक्ष के अभ्याक्षर	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

मैं कार्यालाध्यक्ष को किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की सूचना देकर उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का वचन देता हूं

तारीख _____

कर्मचारी के हस्ताक्षर

परिवार का मतलब है जो पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के सा: भ: नि: व पेंशन व उपदान जो उपनियम 58 में उल्लिखित हैं।

जब अभिदाता का कोई परिवार न हो और एक से ज्यादा व्यक्ति नामांकित करना चाहता है

मैं पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के सा: भा: नि पेंशन व उपादान के नियम में उल्लिखित निर्देशानुसार अपना कोई परिवार न होने से नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक हिस्सों में उक्त निधि जिसके भुगतान का अधिकार मेरी मृत्यु होने में पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय देगा उस निधि की राशि प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्रदान करता, जो मेरी सेवा निवृत्ति समय स्वीकार्य हो गई हो, पर मेरी मृत्यु होने तक अदत्त रह जाएं।

नामिति का नाम व पता	अदिभदाता से सम्बन्ध	आयु	*प्रत्येक को देय हिस्सा या राशि	**वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर पर नामांकन अवैध हो जाएगा	व्यक्ति का नाम पता संबंध और आय जिन्हें नामिति को प्रवत्त अधिकार अभिदावा से पहले नामिति की मृत्यु हो जाने या अभिदाता की मृत्यु के बाद उपदान की राशि अंश हो

*इस कालम को इस प्रकार भरा जाए कि उसमें उपदान की सारी राशि आ जाए

**इस कालम में दर्शाई गई उपादन की राशि हिस्से में मूल नामिति को देय पूर्ण राशि का आ जाना चाहिए ।

तारीख _____ 19 विभाग _____ स्थान _____

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

पदनाम _____

1. _____

2. _____

विभाग _____

प्रपत्र V —नामांकन का कृप्रपत्र

मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामांकन

जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक सदस्य को नामांकित करना चाहता हो :—

मैं निम्नलिखित सदस्य को , जो मेरे परिवार का सदस्य है, पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय से देय उपदान पाने का अधिकार प्रदान करता हूं जो मेरे सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य हो गयी हो जो मेरी मृत्यु होने तक अदत्त रह जाएं।

नामिति का नाम व पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	व्यक्ति का नाम पता व संबंध और आयु जिसे नामिति को प्रवत्त अधिकार, अभिदाता से पहले नामिति की मृत्यु हो जाने या अभिदाता की मृत्यु के बाद उपदान की राशि अदा हो	सदस्य को देय उपदान का हिस्सा

इस नामांकन से पहले तारीख ——————————को किया गया नामांकन रद्द होता है।

तारीख ——————————19 दिन ——————————स्थान ——————————

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

1. ——————————

——————————

कर्मचारी का हस्ताक्षर

2. ——————————

आखिरी कालम इस तरह भरा जाए कि उसमें उपदान की सारी राशि आ जाए।

नामांकन——————————

पदनाम ——————————

विभाग ——————————

प्रपत्र VI उपदान के लिए नामांकन

जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक से ज्यादा सदस्य को नामांकित करना चाहता हो :

मैं निम्नलिखित सदस्यों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय से देय उपदान, निम्नांकित हिस्से या राशि में पाने का अधिकार प्रदान करता हूं जो मेरे सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य हो गई हो, जो मेरी मृत्यु तक अदत्त रह जाएं

नामिति के नाम व पता	कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	व्यक्ति का/के नाम व पता व संबंध और आयु जिसे नामिति को प्रवत्त अधिकार अभिदाता से पहले नामिति की मृत्यु हो जावे या अभिदाता की मृत्यु के बाद उपदान की राशि अदा हो	प्रत्येक सदस्य को देय उपदान का हिस्सा ।

इस नामांकन से पहले तारीख ——————————को किया गया नामांकन रद्द होता है।

टिप्पणी :—कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे छोड़े जाने वाले स्थान में आड़ी रेखा खींच देना ताकि इसके हस्ताक्षर के बाद इनमें कोई नाम शामिल न किया जा सके।

तारीख——————19 दिन —————— स्थान ——————————

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

1. ——————————

——————————

2. —————————— कर्मचारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :— 1. आखिरी कालम इस तरह भरा जाए कि उसमें उपदान की राशि पूर्ण रूप से आ जाए।

2 इस कालम में दर्शाई गई उपदान की राशि हिस्से में मूल नामिति/नामितियों की देय पूर्ण राशि हिस्सा आ जाना चाहिए ।

प्रपत्र VII—अतिरिक्त उपदान के लिए नामांकन

जब कर्मचारी का कोई परिवार नहीं, तब निम्नलिखित सदस्य को पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय से देय उपदान, पाने का अधिकार प्रदान करता हूं मेरे सेवा निवृति पर स्वीकार्य हो गई हो, जो मेरी मृत्यु तक अदत्त रह जाए ।

नामिति का नाम व पता	कर्मचारी से संबंध	आयु	वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	व्यक्ति का नाम व पता व संबंध और आयु जिसे नामिति को प्रदत्त अधिकार अभिदाता से पहले नामिति की मृत्यु हो जाने या अभिदाता की मत्यु हो जाने या अभिदता की मृत्यु के बाद उपदान की राशि अदा हो	सदस्य को उपदान का हिस्सा

इस नामांकन से पहले तारीख ——————को दिया गया नामांकन रद्द होता है।

तारीख ——————19 दिन —————— स्थान ——————

——————

कर्मचारी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

1. ——————

2. ——————

——————

से नामांकित ——————

रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

पदनाम ——————

विभाग ——————

तारीख ——————

प्रपत्र VIII—अतिरिक्त उपदान के लिए नामांकन

जब कर्मचारी का कोई परिवार नहीं तब निम्नलिखित सदस्यों को पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय से देय उपदान पाने का अधिकार प्रदान करता हूं जो मेरी सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य हो गई हो जो मेरी मृत्यु पर्यन्त अदत्त रह जाए।

नामितियों के नाम व पता	कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	*सदस्य को देय उपदान का हिस्सा/राशि	वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	व्यक्ति का नाम व पता व संबंध और आयु जिन्हें नामितियों को प्रदत्त अधिकार अभिदाता से पहले नामिति/नामितियों की मृत्यु हो जाने या अभिदाता की मृत्यु के बाद उपदान की राशि अदा हो

टिप्पणी :—

1. यह कालम इस तरह भरा जाए कि उसमें उपदान की राशि पूर्ण रूप से आ जाए।
2. कालम में दर्शाई गई उपदान की राशि हिस्से में मूल नामिति, नामितियों को देय पूर्ण राशि/हिस्सा आ जाना चाहिए।
3. इस नामांकन से पहले तारीख ——————को दिया गया नामांकन रद्द होता है।

तारीख ——————19 दिन —————— स्थान ——————

——————

कर्मचारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य

1. ——————

2. ——————

से नामांकित ——————

पदनाम ——————

विभाग ——————

प्रपत्र IX

परिवार पेंशन का प्रपत्र

विषय:—स्वर्गीय श्री/श्रीमती ——————के परिवार पेंशन की अदायगी ।

मुझे इस विश्वविद्यालय के श्री/श्रीमती———— पदनाम——————की मृत्यु पर खेद है और आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के सेवा निवृत्ति नियमाधीन आजीवन/व्यस्क होने तक परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं।

मुझे तदनुसार यह भी बताने का निदेश मिला है कि आप परिवार पेंशन प्रदान करने के औपचारिक दावे निम्न-लिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत कर दें :

1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. राज पत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां
3. जहां पेंशन नाबालिग बच्चे को दी जानी हो, उनमें अभिभावकता प्रमाण-पत्र

पदनाम

सेवा में

———————

———————

———————

प्रपत्र X

चोट पेंशन या उपदान पाने का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम ———————
2. पिता का नाम ———————
3. निवास स्थान : गांव, डाकखाना ———————
4. वर्तमान या आखिरी नौकरी पदनाम, विभाग ———————
5. वर्तमान संस्था में शामिल होने की तारीख ———————
6. सेवा काल, बीच में रोक होने पर विवरण ———————
7. चोट का किस्म ———————
8. चोट के वक्त का वेतन ———————
9. प्रस्तावित पेंशन का उपदान ———————
10. चोट की तारीख ———————
11. भुगतान का स्थान ———————
12. आवेदक के जन्म की तारीख ———————
13. पेंशन के लिये आवेदित तारीख ———————

———————

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान———————

तारीख———————

नियोजक का/विभाग/अनुभाग के अधिकारी की विशेष अभियुक्तियां

———————

हस्ताक्षर

प्रपत्र XI

प्रार्थना पत्र का नमूना

कर्तव्य निर्वहण के समय चोट खाकर या विशेष खतरा उठाने के फलस्वरूप मृत्यु होने पर———————— के परिवार के लिए

प्रेषण करने वाले दावा-कर्ता का विवरण

1. नाम व निवास, गांव, परगना———————
2. आयु ———————
3. ऊंचाई ———————
4. पहचान चिह्न ———————
5. वर्तमान अधिभोग———————
6. मृत कर्मचारी से रिश्ता ———————

मृत कर्मचारी का विवरण

7. नाम ———————
8. अधिभोग और सेवा ———————
9. सेवा की लम्बाई ———————
10. मृत्यु के समय का वेतन ———————
11. चोट का विवरण जिससे मृत्यु हुई हो ———————
12. प्रस्तावित पेंशन राशि या उपदान ———————
13. भुगतान का स्थान ———————

मृत आदमी के बिरादरी के उत्तर जीवियों का नाम व उनकी आयु

14. पेंशन के प्रारंभ होने की तारीख ———————

15. अभ्युक्ति ----------
नाम ----------
बेटे, बेटियां
विधवायें, माता, पिता जन्म तिथि
(ई लाल)

टिप्पणी :—मृत आदमी का कोई बेटा, बेटी, विधवा, माता, पिता, बिरादरी में जीवित न हो तो उन रिश्तेदारों के सामने "कोई नहीं" या "मृत" शब्द वर्ज किया जाए

स्थान ----------
तारीख ----------
स्थान ----------
तारीख ----------

विभाग अनुभाग
अधिकारी

दावेदार का हस्ताक्षर

कर्मचारी का हस्ताक्षर

आहत होने पर चिकित्साधिकारी से परामर्श करने का प्रपत्र

गोपनीय

परामर्श चिकित्साधिकारी से आहत व्यक्ति की तत्कालीन स्थिति का विवरण

आहत स्थान----------तारीख-------(आहत तारीख)

(अ) उस परिस्थिति का पूरा विवरण जहां आहत हुआ हो।

(आ) कर्मचारी की तत्कालीन हालत

(इ) आहत होने पर कर्मचारी पर हुआ प्रभाव

(ई) कर्मचारी क्या किसी बीमारी से अक्षम हो गया है

भाग-प्रथम परीक्षा

चोट की उग्रता निम्न लिखित वर्गीकरण के आधार पर मल्यांकित किया जाय और कैफियत कालम में पूरा विवरण दिया जाय

क्या वह चोट----------

I. 1(अ) कोई आंख या पैर खो गया—हां/नहीं
(आ) एक से ज्यादा आंख और पैर खो गया
2. आंख या पैर खोने से भी ज्यादा उग्र
3, आंख या पैर खोने के समकक्ष
4. क्या बहुत उग्र है
5. आहत उग्र और स्थाई ही जाने की संभावना है
6. स्वलप होने पर भी स्थाई होने की संभावना है

II आहत होने की तिथि से कितने दिन की अवधि के लिये
(अ) क्या वह अपने कर्तव्य में लगने में अक्षम है
(आ) स्थाई रूप से क्या कर्तव्य में लगने में अक्षम हो जायेगा

कैफियत:— उपर का वर्गीकरण जरूरत होने पर यहां सरलीकृत किया जाय या अतिरिक्त चोट का विवरण दिया जाय।

भाग II दूसरी या अनुवर्त्ती परीक्षा

कालान्तर कर्मचारी की अक्षमता में परिवर्त्तन होने पर किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाए ।

कैफियत:—जरूरत होने जर यहां अतिरिक्त विवरण भरा जाए/तारीख:—

प्रतिवेतन की तैयारी करते समय चिकित्साधिकारी निर्देशों का अनुसरण करें ।

1. अपनी राय अभिलिखित करने के पहले पूर्व अभिलेख होने पर उससे और कर्मचारियों से संबंधित चिकित्सा दस्तावेज होने पर उससे तुलना की जाए ।

2. चोट एक से ज्यादा होने पर उनका संख्याकन किया जाए और निर्धारित कालमों में उनका अलग अलग विवरण दिया जाए और स्वरूप और उग्र होने पर तदनुसार विवरण दिया जाय और एक ही जगह या विभिन्न जगहों में चोट लगने पर उनका भी विवरण दिया जाय

3. निर्धारित कालमों में जबाब देते समय उनका जवाब चिकित्सा तक सीमित रहे और कर्मचारी के आधार हीन विवरण को दस्तावेज के सबूत के साथ निराधार स्थापित किया जाये ।

4. जिस कर्मचारी की परीक्षा की गई हो उसको या प्रतिवेतन में प्रतिपूर्ति हकदारी के बाद में या देय रकम के बारे में या वर्गीकृत चोट के बारे में कोई जिक्र न करे।

रूपान्तरण सारिणी

उम्र—अगला जन्म दिन	रूपान्तरण मूल्य वार्षिक क्रय में व्यक्त	उम्र अगला जन्म दिन	रूपान्तरण मूल्य वार्षिक क्रय में व्यक्त
1	2	3	4
40	15.87	53	12.35
41	15.64	54	12.05
42	15.40	55	11.73
43	15.15	56	11.42
44	14.90	57	11.10
45	14.64	58	10.78
46	14.37	59	10.46
47	14.10	60	10.13
48	13.82	61	9.81
49	13.54	62	9.48
50	13.25	63	9.15
51	12.95	64	8.82
52	12.66	65	8.50

अंशदान यथा स्थिति वर्ष या अवधि के दौरान कर्त्तव्य पर आहरित अभिदाता की परिलब्धियों का प्रतिशत होगा ।

(ऊ) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प देता है तो इस नियम के प्रयोजन से उसका छुट्टी वेतन कर्त्तव्य पर आधारित परिलब्धियों को ही समझा जाएगा

(ऋ) देय अंशदान की राशि को निकटतम रुपये तक प्रणीकित किया जायेगा (50 पैसे या उससे अधिक पैसों को अगले रुपये में प्रणीकित कर दिया जायेगा ।)

(ए) विश्व विश्वविद्यालय विभागेत्तर सेवा की अवधि के सम्बन्ध में देय अभिदान की राशि अभिदाता से वसूल करेगा बशर्ते कि यह विभागेत्तर नियोक्ता ने वसूल न की हो ।

(ऐ) यदि कोई अभिदाता निलंबन की अवधि में संबंध अभिदान की बकाया राशि अदा करने का विकल्प देता है तो उक्त अवधि या बहाली के समय स्वीकृत परिलब्धियों या परिलब्धियों के उस भाग को इस नियम के प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य पर आहरित परिलब्धियाँ समझा जाएगा ।

(ओ) यदि कोई अभिदाता भारत से बाहर कर्त्तव्य पर हो तो इसे नियम के प्रयोजन के लिए उन परिलब्धियों को कर्त्तव्य पर ही आहरित परिलब्धियां समझा जायेगा जो उस भाग में कर्त्तव्य के दौरान प्राप्त होगी ।

10. अभिदाता खाता :—

प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :—

(i) अभिदाता का अभिदान

(ii) नियम 9 के अधीन इस खाते में विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया अभिदान ।

(iii) अभिदान पर नियम 11 में यथा उपबंधित ब्याज।

(iv) निधि में पेशगियां और आहरण

11. ब्याज की दर :

चन्दा और अभिदान की दर

11.1 विश्वविद्यालय प्रत्येक अभिदातों के खाते में हर वर्ष उसी पर ब्याज जमा करेगा । जो भारत सरकार ने भविष्य निधि (केन्द्रीय सिविल सेवा) नियम 1960 के अधीन अभिदाताओं के खाते में हर वर्ष जमा करने के लिए निर्धारित किया है ।

11.2 ब्याज नीचे बताये ढंग से हर वर्ष अंतिम दिन को क्रेडिट हो जाएगा ।

11.3 चालू वर्ष के दौरान आहरित कोई भी रकम कम कर के पिछले वर्ष को 31 मार्च को अभिदाता के क्रेडिट में पडी राशि पर 12 महीने का ब्याज ।

11.4 चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि पर चालू वर्ष की पहली अप्रेल से आहरण मास से पूर्व मास की अंतिम तारीख तक का ब्याज ।

11.5 ब्याज की कुल राशि राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा (50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित कर दिया जायेगा) ।

11.6 किन्तु जब कि अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि देय हो गई हो तो इस उपनियम के अधीन उस पर केवल यथा स्थिति चालू वर्ष के प्रारंभ में या क्रेडिट की तारीख से अभिदाता के क्रेडिट पड़ी राशि के देय हो जाने की तारीख की अवधि का ब्याज क्रेडिट किया जायेगा ।

11.7 इस नियम के प्रयोजन से परिलब्धियों में से वसूलियों के उस मास की पहली तारीख को क्रेडिट तारीख समझा जायेगा जिस माह में यह क्रेडिट की गई और अभिदाता द्वारा परिलब्धियाँ उग्रषित करने के मामले में यदि ये वित्त अधिकारी को मास की पाँच तारीख से पहले प्राप्त हुई है तो आगामी मास की पहली तारीख को क्रेडिट की तारीख समझा जायेगा ।

11.8 सभी मामलों में भुगतान मास से ठीक पहले मास के अन्त तक या राशि देय होने के मास के बाद छठे मास के अन्त तक, इन अवधियों में से जो भी अवधि कम अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी शेष राशि से संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाएगा किन्तु उस तारीख के बाद किसी भी अवधि का कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा जिस तारीख को वित्त अधिकारी ने अभिदाता या उसके एजेंट को भुगतान करने की तारीख की सूचना दी हो ।

छे महीने से अधिक किन्तु एक वर्ष तक की अवधि तक निधि यदि शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करने का प्राधिकार वित्त अधिकारी इस बात की तसल्ली देने के बाद दे सकता है भुगतान विलंब अभिदाता के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ और ऐसे प्रत्येक मामले में प्रशासनिक विलंब की पूर्णतः जांच की जाएगी और अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी ।

11.9 जिस मामले में मास की परिलब्धियां उसी मास के अंतिम कार्य दिवस को आहरित व संवितरित की जाती है उनमें अभिदान की वसूली के मामले में क्रेडिट की तारीख, आगामी मास की पहली तारीख समझी जाएगी ।

11.10 यदि किसी मामले में यह पता चलता है कि किसी अभिदाता ने आहरण की तारीख को निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि से अधिक राशि आहरित कर ली है तो उसे उस अधिक आहरित राशि को ब्याज सहित एक मुश्त अदा करना होगा या चूक करने की स्थिति में उक्त राशि अभिदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने के आदेश दिए जायेंगे । यदि वसूली जानेवाली कुल राशि अभिदाता की परिलब्धियों की आधी राशि से अधिक हो तो ये वसूली एकसी परि-

लब्धियों के अर्धांशों की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि ब्याज सहित संपूर्ण राशि न हो जाए । अधिक आहरित राशि पर ब्याज की राशि को विश्व विद्यालय के राजस्व में जमा किया जाएगा ।

2. नामांकन

12.1 कोई भी अभिदाता निधि में शामिल होने के समय वित्त अधिकारी को निर्धारित फार्म में नामांकन भेजेगा जिसमें वह निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि देय हो जाने किन्तु अदा न किए जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उक्त राशि पाने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदान करेगा ।

12.2 किन्तु शर्त यह है कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार है तो या वह अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम से नामांकन नहीं कर सकता है ।

12.3 अगली शर्त यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी भी अन्य निधि, जिसमें वह भविष्य निधि में शामिल होने के पहले अंशदान कर रहा था, के संबंध में किए गए नामांकन को उस समय तक नियम के अधीन विधिवत किया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामांकन करे बशर्ते कि ऐसी अन्य निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि निधि से उसके क्रेडिट में अन्तरित कर दी गई हो ।

12.4 प्रत्येक नामांकन संलग्न फार्म में दिया जायेगा ।

12.5 कोई भी अभिदाता किसी भी समय वित्त अधिकारी को एक लिखित सूचना भेजकर नामांकन को रद्द कर सकता है । अभिदाता इस सूचना के साथ या अलग से इस नियम के उपबंधों के अनुसार एक नया नामांकन भेजेगा ।

12.6 कोई भी अभिदाता नामांकन में व्यवस्था कर सकता है :—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामिति के संबंध में उसकी अभिदाता से पहले मृत्यु हो जाने की हालत में उक्त नामिति को प्रदत्त अधिकार नामांकन में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा किन्तु यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हों तो यह ये नामिति व्यक्ति का/की सदस्य होंगे । जहां अभिदाता ने इस खंड के अधीन यह अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया हो तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि या हिस्से का इस ढंग से उल्लेख करेगा कि उसमें नामितियों को देय संपूर्ण राशि आ जाए ।

(ख) उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना के घटित होने पर यह नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा ।

किन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार न हो तो वह नामांकन में यह प्रावधान रखेगा कि बाद में उसके परिवार हो जाने की स्थिति में यह नामांकन अविधि मान्य हो जाएगा ।

किन्तु यह भी शर्त है कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार में केवल एक ही सदस्य हो तो वह नामांकन में यह प्रावधान रखेगा कि बाद में उसके परिवार में अन्य सदस्य हो जाने पर खंड "क" के अधीन स्थानापन्न नामिति को प्रदत्त अधिकार अविधिमान्य हो जाएगा ।

उस नामिति की मृत्यु हो जाने पर जिसके संबंध में नियम के खंड "क" के अधीन नामांकन में कोई प्रावधान में नहीं किया जा सकता है या ऐसी घटना घटित हो जाने पर जिसके कारण खंड "ख" या उसके परन्तुक के कारण नामांकन अविधि मान्य हो जाता है, अभिदाता तत्काल वित्त अधिकारी को नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना भेजेगा और उसके साथ ही वह इस नियम के उपबंधों के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा ।

12.8 अभिदाता द्वारा किया जाय प्रत्येक नातोकन और नामांकन रद्द करने की प्रत्येक सूचना जिस सीमा तक ये विधि मान्य हैं वित्त अधिकारी को प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी होगी ।

12.9 विश्वविद्यालय न तो वैसे किसी भी सतामुदेशत या निष्पादित सूचित किए जाने वाले किसी भी ऐसे कृष्ण भार को मान्यता देगा और न ही उसके लिए बाध्य होगा जिसमें उस अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि के निपटान पर प्रभाव पड़ता हो जिसकी मृत्यु उस राशि के देय हो जाने से पहले हो गई है ।

13. निधि से पेशगियां

उपकुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य उपकुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर किसी भी अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी उसकी सब्याज अभिदान की राशि में से निधि से अस्थायी पेशगी के भुगतान की मंजूरी दे सकता है :—

(i) अभिदाता या उसके परिवार के सदस्यों की बीमारी के संबंध में हुए खर्च को अदा करने

(ii) अभिदाता और उसके सदस्यों के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारण समुभार यात्रा खर्च अदा करने ।

हाईस्कूल के बाद शैक्षणिक तकनीकी पेशे या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत के बाहर उच्चतर शिक्षा और हाईस्कूल के बाद किसी चिकित्सा इंजीनियर या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर जाने के खर्च को पूरा करने बशर्ते कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम तीन से कम अवधि का न हो ।

(iii) विवाहों, दाह संस्कारों या ऐसे समारोहों के संबंध में आवेदक की हैसियत के अनुरूप आवश्यक खर्च को अदा करने जो उसे धर्मानुसार खर्च करना हो ।

(iv) अपनेपदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या करने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए किसी आक्षेप के संबंध

में अपनी स्थिति को निर्दोष ठहराने के लिए आवेदक द्वारा संरक्षित विधिक कार्यवाही के खर्च को पूरा करने।

किन्तु इस उप नियम के अधीन ऐसे किसी भी आवेदक को पेशगी स्वीकार्य नहीं होगी जिसने अपने पदीय कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य मामले के संबंध में या किसी सेवा शर्त या उस पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में विधिक कार्यवाहियां संस्थित की हों।

(v) जब विश्वविद्यालय ने अभिदाता के किसी अभि-कथित पदीय कदाचार के संबंध में न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा किया हो तो अपने बचाव में मुकदमा चलाने के खर्च को पूरा करने।

(2) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी पेशगी मंजूर करने के कारण लिखित रूप से दर्ज करेगा।

(3) पेशगी निम्न लिखित अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होगी उल्लिखित उद्देश्यों के लिए तीन मास के वेतन से ज्यादा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं होगी।

किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी स्थिति में पेशगी की राशि निधि में अभिदाता के क्रेडिट में पड़े सदस्य के सब्याज अभिदान के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(4) दो पेशगियों के बीच में 6 महीने का अंतराल हो।

(5) उपरोक्त कारणों के अलावा अभिदाता को विशेष परिस्थिति में अभिदाता की अभ्यर्थना पर स्वयं संतुष्ट होने पर अपने विकल्प से उपकुलपति आहरण के लिए मंजूरी दे सकते हैं।

(6) यदि पेशगी उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए मंजूर की गई हो तो पेशगी की राशि को अधिकतम 24 बराबर मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा। उन शेष मामलों में जहां पेशगी की राशि अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक है, उनमें मंजूरकर्ता प्राधिकारी 24 किश्तों से अधिक किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 36 किश्तें निर्धारित करेगा।

प्रत्येक किश्त पूर्ण रुपयों में होगी और इन किश्तों का निर्धारण करने के लिए पेशगी की राशि को यथावश्यक बढ़ा या घटाकर दिया जायेगा। कोई भी अभिदाता अपनी मर्जी से पेशगी प्रदान करने के समय स्वीकार किश्तों से कम किश्तों में या एक मुश्त पेशगी चुका सकता है।

(7) अस्थायी पेशगियों पर ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा।

(8) वसूली अभिदाता की परिलब्धियों में से की जायेगी और पेशगी प्रदान करने के बाद पहली बार उस मास से प्रारंभ की जायेगी जिस मास में अभिदाता पूर्णमास की परिलब्धियां आहरित करता है।

(9) अस्थायी पेशगी के लिए निर्धारित प्रपत्र पूरा किया जाए और मंजूरी प्रपत्र 5 पर दी जायेगी।

(10) (i) अस्थाई पेशगी निधि से कुलसचिव विद्यालय के डीन या केन्द्र के डीन से अभिदाता को दी जा सकती है।

(ii) कुलसचिव, विद्यालय/केन्द्रों के डीन को अस्थाई पेशगी कुलपति मंजूर करेंगे।

14. निधि से अंशात आहरण

इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन निधि के आहरणों की मंजूरी उपकुलपति या ऐसा कोई भी अधिकारी प्रदान करेगा। जिसे इस संबंध में किसी भी समय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों।

(क) अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा (इसमें सेवा की भावना अवधियां भी शामिल हैं यदि कोई हों) के बाद या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले 10 वर्षों के भीतर इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि में से।

निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या अभिदाता के किसी बच्चे की उच्च शिक्षा, जिसमें यथावश्यक उनके यात्रा खर्च भी शामिल हैं, के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे :—

(i) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक तकनीकी, पेशवर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के प्रयोजन के लिए और

(ii) हाईस्कूल के बाद भारत में ही किसी चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए

(ख) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और ऐसी किसी भी महिला संबंधी, जो वस्तुतः उस पर आश्रित हो, की सगाई/विवाह से संबंधित खर्चे को पूरा करने के लिए।

(ग) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या किसी भी व्यक्ति को, जो वस्तुतः उस पर आश्रित हो की बीमारी, जिसमें यथावश्यक उसके यात्रा खर्च भी शामिल है, से संबंधित खर्चे को पूरा करने के लिए

(घ) अभिदाता की सेवा के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद (इसमें सेवा की भवन अवधियां यदि कोई हों भी शामिल हैं) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति को तारीख से 10 वर्षों के भीतर इनमें से जो भी पहले हों, निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि में से, निम्न लिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए आहरण कर सकता है :—

(क) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या बना बनाया प्लाट लेने के लिए जिसमें स्थान की कीमत भी शामिल हो।

(ख) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या बना बनाया प्लाट लेने के लिए स्पष्टतः लिए गए ऋण की बकाया राशि को चुकाने के लिए।

(ग) अपने रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्टतः लिये गए कर्ज की बकाया राशि को चुकाने के लिए।

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से लिए या अर्जित मकान में पुनर्निर्माण कराने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए।

(ङ) ड्यूटी के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपने पूर्वजों के मकान में या ड्यूटी के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर विश्व विद्यालय से ली गई सहायता से बना ए मकान में पुनर्निर्माण कराने परिवर्धन या परिवर्तन या उसकी मरम्मत कराने के लिए।

(च) खंड (ग) के अधीन खरीदी गई जमीन पर मकान बनाने के लिए।

किसी कर्मचारी को किसी निश्चित विषय के लिए पेशगी या आहरण मंजूर किया जाए, किन्तु दोनों नहीं।

आहरण के लिए आवेदक के प्रपत्र को पूरा कर देता है।

टिप्पणी –

जिस अभिदाता ने विश्व विद्यालय स्रोतों से मकान बनाने के प्रयोजन से पेशगी ले ली हो, वह नियम में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्ययधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और विश्व विद्यालय से लिए किसी ऋण को चुकाने के प्रयोजन भी खंड "ख" के क ख ग घ के अधीन अन्तिम आहरण पाने का हकदार होगा।

यदि किसी अभिदाता का कोई पुश्तैनी मकान या विश्व विद्यालय से लिए ऋण की मदद से, अपने कर्तव्य के स्थान अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बनाया हुआ मकान है तो वह अपने कर्तव्य के स्थान पर बनाया हुआ मकान है तो वह अपने कर्तव्य के स्थान पर कोई दूसरा मकान बनाने या बना बनाया मकान लेने या मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए खंड "ख" के खंड क ग और घ के अधीन अंतिम आहरण करने का हकदार होगा।

टिप्पणी–2

खण्ड "ख" के खंड क घ ङ या च के अधीन आहरण की मंजूरी केवल बनाए जाने वाले या परिवर्तन किए जाने वाले मकान का नक्शा प्रस्तुत करने के बाद और केवल उन मामलों में ही दी जायेगी जहां नक्शे को वस्तुतः अनुमोदित कराया जाना हो और ये उस क्षेत्र के स्थानीय नगर निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित कराई जायेगी जहां वह जमीन या मकान स्थित हो।

टिप्पणी–3

खंड ख के उपखंड ख के अधीन स्वीकृति आहरण की राशि निचले आहरण की राशि घटाकर खंड घ के अधीन किए गए पिछले आहरण की राशि घटाकर खंड घ के अधीन किए गए पिछले आहरण की राशि सहित आवेदन की तारीख को बकाया राशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में यह सूत्र अपनाया जायेगा। पिछले आहरण (आहरणों) की राशि घटाकर शेष राशि का 3/4 भाग जो उस स.नि.ध को बकाया थी जमा संबंधित मकान के लिए ली गई आहरण (आहरणों) की राशि।

टिप्पणी–4

जिन मामलों में मकान की जमीन या मकान पत्नी/पति के नाम में हैं उनमें खंड ख के उपखंड ख या घ के अधीन आहरण की भी अनुमति होगी बशर्ते कि यह अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि राशि प्राप्त करने की/का नामिति हो।

टिप्पणी–5

नियम 8.1 के अधीन उसी प्रयोजन के लिए केवल एक बार आहरण करने की अनुमति दी जायेगी। किंतु अलग अलग बच्चों के विवाह, शिक्षा या समय समय पर बीमारी को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जाएगा। उसमें मकान को पूरा करने पर खंड ख के खंड क या च के अधीन दो बार या उसके बाद आहरण करने की अनुमति टिप्पणी 3 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी।

15. अशांत आहरण की शर्तें

(1) नियम 14 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एक बार में किसी अभिदाता द्वारा निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि में से आहरित राशि साधारणतया इस रकम के आधे या अभिदाता के (6 मास) के वेतन से अधिक नहीं होगी। किंतु उपकुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी (i) आहरण करने के उद्देश्य (ii) अभिदाता की हैसियत और (iii) निधियों में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए इन सीमाओं से अधिक निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी शेष राशि के 3/4 भाग तक राशि आहरित करने की मंजूरी दे सकता है।

(2) जिस अभिदाता को इस नियम के अधीन निधि से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समुचित अवधि के भीतर उपकुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास दिलाएगा कि राशि का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया गया जिसके प्रयोजन के लिए यह आहरित की गई थी। यदि वह ऐसा करने में समर्थ रहता है तो इस प्रकार आहरित संपूर्ण राशि या वह राशि जिसे उस प्रयोजन के लिए वह आहरित की गई थी, एकमुश्त चुका दी जायेगी और ऐसे भुगतान में चूक करने पर कुलपति या मंजूर कर्ता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से एकमुश्त या कार्य कारिणी समिति द्वारा यथा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी।

(3) जिस अभिदाता को इस नियम के उपनियम में निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी अभिदान की सब्याज राशि में से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, उससे इस प्रकार निर्मित या लिए गए मकान या बिक्री बंधक (विश्व विद्यालय) के उपकुलपति को बंधक करने के अलावा) या उपहार के रूप में खरीदी गई जमीन का कब्जा उपकुलपति की पूर्वानुमति के बिना छीना नहीं जाएगा। उससे मंजूर कर्ता प्राधिकारी की पूर्वानु– मति के बिना अधिकतम 3 वर्ष के पट्टे या विनियम के रूप में

भी मकान या जमीन पर का कब्जा नहीं छीना जायेगा। अभिदाता हर वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि मकान या यथा स्थिति जमीन उसके कब्जे में है और यदि आवश्यक है तो मंजूरकर्ता प्राधिकारी के समक्ष उक्त अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक या उससे पहले इस संबंध में मूल विक्री विलेख और अन्य ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा जिन से संपत्ति पर उसके हक का पता चले।

(4) यदि सेवा निवृत्ति से पहले किसी भी समय वह यथा स्थिति विश्वविद्यालय के उप कुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी की पूर्वानुमति लिए बिना मकान या जमीन का कब्जा छोड़ देता है तो अभिदाता आहरित राशि निधि में एक मुश्त चुका देगा और इस राशि को चुकाने में चूक करने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी यह राशि उसकी परिलब्धियों में से एक मुश्त या उप कुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल के आदेश दे देगा।

16. पेशगी को आहरण में परिवर्तित करना

यदि किसी अभिदाता ने इस संविधि के परिशिष्ट अ के नियम 13 उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए पेशगी ली हो या भविष्य में लेगा तो उपकुलपति मंजूरकर्ता प्राधिकारी को लिखित रूप से अनुरोध करने अपने विवेकानुसार बकाया राशि का अन्तिम आहरण में परिवर्तित करा सकता है बशर्ते कि वह नियम 14 और 15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

17. निधि से संचित राशि का अन्तिम आहरण

(i) जब कोई अभिदाता विश्व विद्यालय की सेवा छोड़ देता है तो निधि में उनके क्रेडिट में पड़ी राशि उसे देय हो जायेगी।

किन्तु अभिदाता विश्व विद्यालय की सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो तो और बाद में बहाल हो गया हो तो यदि वह इस नियम के अनुसरण में यथा उपबंधित लंग से इन नियमों में उपबंधित दर पर ब्याज सहित निधि में से उसे प्रदत्त कोई भी राशि चुकाना चाहे तो वह उसे चुका देगा। इस प्रकार चुकाई गई राशि को निधि में उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा।

जब कोई अभिदाता सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो या उसे छुट्टी पर रहने के दौरान सेवा निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान कर दी गई हो या विश्व विद्यालय के परामर्शी चिकित्सा अधिकारी या इस संबंध में कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सक्षम चिकित्सा अधिकारी ने उसे आगे सेवा करने के अनुपयुक्त घोषित कर दिया हो तो निधि में इसके क्रेडिट में पड़ी राशि इस संबंध में वित्त अधिकारी को आवेदन करने पर अभिदाता को देय हो जाएगी।

किंतु यदि कोई अभिदाता कर्तव्य पर लौट आता है और यदि वह इस नियम का अनुसरण करते हुए निधि में से उसे प्रदत्त कोई राशि पूर्णतः या अंशतः अपने खाते में जमा करना चाहे तो वह उसे उपबंधित दर पर ब्याज सहित उप कुलपति या मंजूरकर्ता प्राधिकारी के निदेशानुसार किस्तों में अपनी परिलब्धियों में से अन्यथा वसूली द्वारा या अन्यथा निधि में जमा कर देगा।

17.2 संविदा पर नियुक्त या सेवा से सेवा निवृत्ति ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो बाद में पुनः नियोजित हो गया है जब कोई अभिदाता सरकार द्वारा निर्गमित स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित निकाय या समुदाय पंजीकरण अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन में सेवा भंग करते हुए बिना अंतरित हो जाता है तो अभिदाता के अभिदान और सरकार के अंशदान की सब्याज राशि उसके नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा बशर्ते कि अभिदाता ऐसा करना चाहता हो और संबंधित संगठन ऐसे अन्तरण के लिए सहमत हो।

17.3 स्थानान्तरण से सेवा भंग हुए बिना और विश्व विद्यालय की उपयुक्त अनुमति से सरकार द्वारा नियंत्रित स्वामित्व प्राप्त या निर्गमित निकाय के अधीन या समुदाय पंजीकरण अधिनियम 1980 के अधीन पंजीकृत किसी स्वायत्त निकाय में नियुक्ति प्राप्त होने के आशय से सेवा से इस्तीफा देने के मामले भी शामिल होंगे। नए पद पर कार्यभार ग्रहण में लगे समय को सेवा भंग के रूप में समझा जायेगा यदि ये कार्यभार ग्रहण करने की स्वीकार्य अवधि में अधिक न हो।

18. यह शर्त होगी कि निधि में अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि खर्च होने से पहले ऐसी कोई कटौती नहीं की जायेगी जिसमें क्रेडिट में नियम "और" के अधीन जमा की गई विश्व विद्यालय के अंशदान और उसके सब्याज की राशि से कम हो जाए उप कुलपति उसमें कटौती करने और विश्व विद्यालय को —

(क) ये अंशदान और ब्याज दर्शाने वाली सभी रकम अदा करने के निर्देश दे सकता है बशर्ते कि अभिदाता को कदाचार दिखा-लिया या अयोग्य होने के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो किंतु जहां उप कुलपति को यह विश्वास हो कि ऐसे कटौती करने में अभिदाता को विशेष कठिनाई होगी तो वह आदेश देकर यह कटौती रोक सकता है और उस अंशदान की दो तिहाई 2/3 राशि तथा उसका ब्याज जो अभिदाता ने चिकित्सा आधार (तिहाई) पर सेवा निवृत्त होने की स्थिति में देय होता किंतु यह भी कि यदि पदच्युति के ऐसे किसी आदेश को बाद में रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार काटी गई राशि उसके सेवा में बहाल होने पर निधि में उसके क्रेडित में अंतरित कर दी जाएगी।

(ख) ये अंशदान और ब्याज दर्शाने वाली सभी रकमें बशर्ते कि अभिदाता इस हैसियत से अपनी सेवा आरंभ करने के 5 वर्षों के भीतर सेवा से इस्तीफा दे दिया हो या मृत्यु अधिवर्षिता के कारण या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या घोषित किये जाने के कि वह आगे सेवा करने के लिए नहीं है या पद समाप्त हो जाने पर स्थापन के लघुकरण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से विश्व विद्यालय का कर्मचारी न रहा हो।

(ग) अभिदाता द्वारा विश्व विद्यालय के संबंध में ली गई देयता के अधीन अभिदाता से ली जाने वाली कोई राशि

टिप्पणी:—

(क) इस नियम के प्रयोजन के लिए 5 वर्ष की अवधि का हिसाब विश्व विद्यालय में अभिदाता की निरन्तर सेवा आरंभ होने की तारीख से लगाया जायेगा ।

(ख) इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी अन्य विश्व विद्यालय सेवा भंग हुए बिना नियुक्ति स्वीकार करने के लिए उपयुक्त अनुमति लेकर सेवा से इस्तीफा देने को, इस्तीफा नहीं समझा जाएगा ।

19. अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कार्य विधि

अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि देय हो जाने से पहले या राशि देय हो जाने, किन्तु भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में,

(क) यदि नियम 12 या इसके पहले प्रभावी तदनुरूपी नियमों उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के नाम में किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि या उसका कोई भाग जिसके संबंध में नामांकन है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में नामित या नामितियों को देय हो जाएगी ।

(ख) यदि अभिदाता के परिवार में किसी सदस्य या सदस्यों के नाम में ऐसा कोई नामांकन मौजूद नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि के केवल कुछ भाग के संबंध में ही है तो यथा स्थिति संपूर्ण राशि या वह आंशिक राशि, जिसके संबंध में कोई नामांकन नहीं है उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में नामांकन होने के बावजूद भी उसके परिवार के सदस्यों को बराबर के हिस्सों में देय हो जाएगी ।

किन्तु निम्न को उस राशि का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा :—

(1) जो पुत्र बालिग हो गए हों

(2) मृत पुत्र के बालिग पुत्र

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं

यदि खंड 1, 2, 3 और 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य

किन्तु यह भी कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं या बच्चा या बच्चे उक्त पुत्र के केवल उस हिस्से में बराबर के भागीदार होंगे जो उसे अभिदाता की मृत्यु के बाद प्राप्त होता और यदि उसे प्रथम परन्तुक के खंड में (1) के उपबंधों में छूट मिल जाती है ।

जब अभिदाता का कोई परिवार न हो यदि नियम 10 या उसके पहले प्रभावी तदनुरूपी नियमों के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि में उससे क्रेडिट में पड़ी राशि या उसका कोई भाग, जिससे नामांकन संबंधित नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामित या नामितियों को देय हो जाएगा ।

20. जमा बचत से जुड़ी बिमा योजना ।

सेवा के दौरान किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि को पाने का/के हकदार व्यक्ति को वित्त अधिकारी निम्न लिखित शर्तें पूरी करने पर कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान निधि में मृतक के खाते में पड़ी औसत बकाया राशि के बराबर अतिरिक्त राशि अदा करेगा ।

(क) कर्मचारी के खाते में से ब्याज अभिदान दर्शाने वाली शेष राशि उसकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान कि किसी भी समय निम्नलिखित सीमाओं से कम नहीं होनी चाहिए :—

	रु०
1. शिक्षक, सहायक सचिव और समकक्ष और अधिक वेतन के कर्मचारी . .	4000
2. अनुभाग अधिकारी और समकक्ष वेतन-मान के अन्य कर्मचारी . .	2500
3. (1)और (2) में उल्लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी .	1500
4. ऐसे वेतनमान के निम्न अधीनस्थ कर्मचारी जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 1151 और उससे कम हो	1000

इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त राशि रु० 10,000 से अधिक नहीं होगी ।

यह लाभ केवल तभी दिया जाएगा यदि मृत्यु के समय अभिदाता ने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

21.1 निधि में राशि के भुगतान की प्रक्रिया

जब निधि में किसी अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी रकम या नियम 14 के अधीन कोई भी कटौती करने के बाद शेष राशि देय हो जाती है तो वित्त अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तसल्ली करने के बाद कि उक्त नियम के अधीन ऐसी कोई कटौती करने के निदेश नहीं दिए गए हैं इसका ध्यान रखें उप नियम 23.3 से यथा उपबंधित लिखित आवेदन प्राप्त होने पर भुगतान करने के लिए कोई कटौती न की जाए ।

21.2. इन नियमों के अधीन कोई राशि पाने वाला व्यक्ति यदि पागल हो व जिसकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 का 4 के अधीन एक प्रबंधक नियुक्त किया गया हो तो भुगतान उस प्रबंधक को किया जाएगा, पागल व्यक्ति को नहीं ।

किन्तु जिन मामलों में कोई प्रबंधक नियुक्त न किया गया हो और उस व्यक्ति को राशि दी जानी है, उस न्याय-धीश ने पागल प्रमाणित किया हो तो समाहर्ता के आदेशों से

भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को अदायगी की जायेगी जहां तक पागलपन व्यक्ति का जिम्मा दिया गया हो और विश्वविद्यालय का मंजूरकर्ता प्राधिकारी उस व्यक्ति को केवल उतनी राशि अदा करेगा जितनी वह उचित समझता है और यदि कोई शेष राशि है तो वह उस पागल के परिवार के उस सदस्य के अनुरक्षण के लिए अदा की जाएगी जो अनुरक्षण के लिए उस पर आश्रित हो।

21.3 इस नियम के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति वित्त अधिकारी को इस संबंध में लिखित आवेदन भेजेगा। आहरित राशियों का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा जिन व्यक्तियों की राशियां दी जाती हैं वे भारत में भुगतान पाने की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

टिप्पणी:—

जब किसी अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि इन नियमों के अधीन देय हो गई हो तो वित्त अधिकारी अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि की शीघ्र अदायगी करेगा जिसके संबंध में कोई विवाद या संदेह न हो, शेष राशि को इसके बाद यथा शीघ्र समायोजित कर दिया जाएगा।

22(1) 31 मार्च को जमा की गई कोई राशि का लेखा विवरण प्रति वर्ष अभिदाता को दिया जाएगा।

(2) प्रत्येक अभिदाता को प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद यथाशीघ्र निधि में उसके खाते का विवरण भेजा जाएगा, जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आदि शेष वर्ष के दौरान जमा या निकाली गई राशि, वर्ष की 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की कुल राशि और उस तारीख का अन्त शेष प्रपत्र 7 में दिया जाएगा।

(3) निर्धारित प्रपत्रों में निम्नलिखित रजिस्टर और लेखा बही का निर्वहण किया जाए। इस निधि के लेखा के श्रेष्ठ निर्वहण के लिए जरूरत पड़ने पर उपकुलपति प्रपत्रों में संशोधन लायें और अतिरिक्त बहियां भी खोली जाएं।

(1) निवेश रजिस्टर (प्रपत्र—1)

(2) अभिदाता का रजिस्टर और नामांकन (प्रपत्र—3)

(3) भविष्य निधि रजिस्टर (प्रपत्र—8)

(4) भविष्य निधि अभिदान और अंशदान का वार्षिक सार (प्रपत्र—9)

(5) अस्थायी अग्रिम और अशान्त आहरण का रजिस्टर (प्रपत्र—10)

(4) (अ) अभिदाता को देय, जमानत पर अर्जित अधिशेष ब्याज आदि विश्वविद्यालय को व्यपगत हो जाएगा और रकम विश्वविद्यालय निधि में अंतरित किया जाएगा।

(आ) यदि किसी निश्चित वर्ष जमानत पर अर्जित ब्याज अभिदाता को देय ब्याज से कम हो जाने पर वह अन्तर विश्वविद्यालय निधि से दिया जाएगा।

23. उपदान:—

पुनर्नियुक्त पेंशन भोगी कर्मचारी अगर संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छोड़कर अन्य कर्मचारी जिन्होंने 5 साल का अर्हता-सेवाकाल पूरा किया हो और अंशदान भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया हो उन्हें प्रति छः महीने के विश्वविद्यालय सेवाकाल के लिए परिलब्धि का एक चौथाई भाग दिया जाएगा।

(1) विश्वविद्यालय सेवा से निवृत्त होने पर कर्मचारी को उपादान देय होगा। उसकी मृत्यु होने पर यह उपादान नामांकिति को/या मृतक के नामांकन के आधार पर नियम 16 में उल्लिखित मानव ढंग के अनुसार दिया जाएगा। विश्वविद्यालय सेवा से इस्तीफा देने या पदच्युत होने या कदाचार दिवालिया या अयोग्य जो उम्र के कारण ही है, हो जाने के कारण सेवा से निष्कासित किए जाने पर कोई उपादान नहीं दिया जाएगा।

(2) सेवा-निवृत्ति उपादान की राशि परिलब्धियों का अधिकतम 16 1/2 गुणा होगा। किन्तु यह किसी भी स्थिति में 1,00,000/— रुपए से अधिक नहीं हो। किसी कर्मचारी के विश्वविद्यालय में अर्हक सेवा के 5 वर्ष पूरा करने पर उसका उपादान राशि परिलब्धियों का 12 गुणा होगा। यदि कर्मचारी के प्रथम वर्ष के सेवा काल में मृत्यु होने पर उपादान, परिलब्धियों का दुगुना होगा। एक वर्ष या उससे ज्यादा किन्तु 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में मृत्यु उपादान परिलब्धियों का 6 गुणा होगा।

24. निधि का निवेश:

जमा राशियों मासिक लेखे बन्द करने के बाद यथा शीघ्र विश्वविद्यालय के अंशदायी भविष्य निधि खाते में क्रेडिट की जाएगी। कार्यकारिणी समिति के निदेशानुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुसूचित बैंक में जमा लेखा खोलेगा। समुचित राशि चालू आवश्यकताओं के लिए आरक्षित करने के उपरान्त 1882 के भारतीय न्यास अधिनियम धारा 20 के अधीन प्रति महीने के मासिक खाते बंद करने के उपरांत यथाशीघ्र निधि की शेष राशि बचत पत्रों या अन्य निधियों में निक्षेप किया जाएगा, निक्षेपों का विवरण और उससे अर्जित ब्याज का विवरण प्रपत्र 1 पर बने रजिस्टर में निर्वहित किया जाएगा।

24.2 जिन रकमों का भुगतान इन नियमों के अधीन उनके देय हो जाने के बाद छः महीने के भीतर नहीं लिया गया है। उन्हें वर्ष के अन्त में "जमा" में अन्तरित कर दिया जाएगा और उन पर जमा से संबंधित साधारण नियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

25. ढील करने का अधिकार:

अलग-अलग मामलों में नियमों के उपबंधों में ढील जब कार्यकारिणी समिति को यह विश्वास हो कि इन नियमों में से किसी नियम के लागू होने से किसी अभिदाता को कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो कार्यकारिणी समिति

को इन नियमों में किसी बात के बावजूद भी ऐसे अभिदाता के मामले पर इस ढंग से कार्रवाई जो उचित और साम्यापूर्ण हो ।

26. अर्थ निरूपण:—

नियमों का अर्थ निरूपण विवादास्पद विषयों का निर्णय आदि कार्यकारिणी समिति पर निहित होगा और उसका निर्णय अन्तिम है ।

27. प्रबंध:—

कार्यकारिणी समिति समय-समय पर नियमों के संगत सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकता है :—

(1) निधि का उपयोग (2) निधि से संबंधित अन्य कार्य के लिए ।

28. समपहरण:—

(1) किसी कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति के पहले मृत्यु होने पर अभिदाता को देय लेखे की रकम के निपटान में कोई समनुदेशन या भार कार्यान्वित किए जाने पर या उसके लिए प्रयत्न किए जाने पर विश्वविद्यालय वह नहीं होगा ।

(2) सक्षम न्यायालय से किसी निश्चित अपराध के लिए समपहरण करने निर्दिष्ट किए बिना, अभिदाता का अंशदान और ब्याज पदच्युति या दंड न्यायालय के रोषसिद्धि के लिए समपहरण नहीं किया जाएगा ।

29. नियमों में परिवर्तन:—

(1) इन नियमों में संशोधन, जोड़ या निरसन का अधिकार कार्यकारिणी समिति को निहित होगा ।

(2) अधिनियम 20 में उल्लिखित और संशोधन अभिदाता और हकनामा पाने वालों को बाध्य होगा ।

30. संशोधन:—

जब तक अन्य या अपेक्षित न होने पर और विश्वविद्यालय के अधिनियमों में प्रतिकूल न होने पर संविधि, अध्यादेश, अंशदान भविष्य निधि का संशोधन और आवधिक हितलाभ से संबद्ध केन्द्र सरकार का कोई नियम विश्वविद्यालय को भी लागू होगा और केन्द्र सरकार का प्रशासनिक आदेश/संशोधन जारी किए तारीख से लागू होंगे ।

अंशदान भविष्य निधि–प्रपत्र I

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

निवेश रजिस्टर

क्र० सं०	निवेश का दिनांक और अवधि	निवेश का विवरण और स्रोत	रकम	ब्याज दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अदायगी की तारीख	अनुभाग अधिकारी/वित्त अधिकारी का आद्यक्षर	ब्याज की प्राप्ति तारीख	रसीद संख्या	जिस अवधि के लिए ब्याज मिला हो से—— तक
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्राप्त रकम रु०	काटा हुआ आयकर रुपए	निवल ब्याज रुपए	अनुभाग अधिकारी/वित्त अधिकारी का आद्यक्षर	आयुक्ति
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अंशदान भविष्य निधि प्रपत्र 2(अ)

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

नामांकन प्रपत्र

जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक सदस्य को नामांकित करना चाहे

मैं———————————नीचे उल्लिखित व्यक्ति को पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की संविधि 3(अ) में दी गई परिभाषा के अनुसार जो मेरे परिवार का सदस्य है, निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि के देय हो जाने, किन्तु अदा न किए जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नीचे बताए अनुसार प्राप्त करने नामित करता/करती हूं।

नामिति का पूरा नाम व पता	अभिदाता के साथ सम्बन्ध	नामिति की उम्र	वे आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित हो जाने पर नामांकन अवैध हो	उस नामिति का नाम व पता व संबध कोई हो जिसे अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामिति का अधिकार अतरित किया जायेगा या पूर्व कालम की आकस्मिक घटनाएं

तारीख ———————— स्थान ————————

हस्ताक्षर—2 साक्ष्य

(1) ———————— अभिदाता का हस्ताक्षर

(2) ————————

अंशदान विष्य निधि प्रपत्र 2(आ)

पण्डिचेरी विश्वविद्यालय

नामांकन प्रपत्र

जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक से ज्यादा सदस्यों को नामांकित करना चाहे

मैं———————————नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की संविधि 3(अ) में दी गई परिभाषा के अनुसार जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि के देय हो जाने, किन्तु अदा न किये जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निम्नोक्त प्रकारेण प्राप्त करने नामित करता/करती हूं।

नामितियों का पूरा नाम व पता	अभिदाता के साथ संबंध	आयु	*प्रत्येक नामितियों को हिस्सा	**आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम व संबंध कोई हो जिसे अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामितियों का अधिकार अंतरित किया जायेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

तारीख————————दिन———————— स्थान ————————

हस्ताक्षर के 2स ाक्य अभिदाता का हस्ताक्षर

1. ————————

2. ————————

*इस कालम को इस प्रकार भरा जाए कि इसमें उपादान की सारी राशि आ जाए।

**अभिदाता का कोई परिवार न होने पर, उत्तरवर्ती उसका परिवार बनने पर पहले दिया गया नामांकन अवैध हो जाने की बात सूचित की जायेगी।

अंशदान भविष्य निधि–प्रपत्र 2(इ)

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

नामांकन प्रपत्र

जब अभिदाता का कोई परिवार न हो और एक व्यक्ति को नामांकित करना चाहे

मैं————————————नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक उपादान की राशि जिसके भुगतान का अधिकार मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में संविधि 3(ई) के अन्दर पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय देगा, उस उपादान की राशि प्राप्त करने का अधिकार उसे प्रदान करता/करती हूं, जो मेरी सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार हो, पर मेरी मृत्यु होने तक अदत्त रह जाए।

मूल नामिति				वैकल्पिक नामिति
नामिति का पूरा नाम व पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम व पता व संबंध कोई हो जिसे अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामिति का अधिकार अन्तरित किया जायेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख ————————दिन ———————— स्थान ————————

हस्ताक्षर — के 2 साक्ष्य

अभिदाता का हस्ताक्षर

1. ————————

2. ————————

अंशदान भविष्य निधि-प्रपत्र 2(ई)

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

नामांकन प्रपत्र

जब अभिदाता का कोई परिवार न हो और एक से ज्यादा व्यक्तियों को नामांकित करना चाहे।

मैं ————————————नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक उपादान की राशि जिसके भुगतान का अधिकार मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में संविधि 3(अ) के अन्दर पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय देगा, उस उपादान की राशि प्राप्त करने का अधिकार उसे प्रदान करता/करती हूं जो मेरी सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार हो, पर मेरी मृत्यु होने तक अदत्त रह जाए।

नामितियों का पूरा नाम व पता	अभिदाता से संबंध	आयु	*प्रत्येक नामितियों को देय हिस्सा	**आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उन व्यक्तियों का नाम व पता व संबंध कोई हो जिससे अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामितियों का अधिकार अंतरित किया जाएगा

तारीख———————— दिन————————

स्थान ————————

हस्ताक्षर — 2 साक्ष्य

अभिदाता का हस्ताक्षर

1. ————————

2. ————————

*इस कालम को इस तरह भरा जाये कि उसमें उपादान की सारी राशि आ जाए।

**अभिदाता का कोई परिवार न होने पर, उत्तरवर्ती उसका परिवार बनने पर पहले दिया गया नामांकन अवैध हो जाने की बात सूचित की जायेगी।

अंशदान भविष्य निधि प्रपत्र–3

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

अभिदाता का रजिस्टर और नामांकन

क्र० सं०	अभिदाता का पूरा नाम और नियुक्ति की तारीख	पिता का नाम	पता	जन्म तारीख व सेवा निवृत्ति	धर्म और जाति	प्रवेश तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रवेश तिथि के समय आयु	प्रवेश तिथि के समय निर्वहित पदनाम	पद	वारिस प्रमाण-पत्र की संख्या व तारीख (अनग–अलग भरा जाए)	नामिति का पूरा नाम	अभिदाता से सम्बन्ध
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

आयु	पेशा	पता	देय राशि और उसका हिस्सा	नामिति नाबालिग होने पर संरक्षक का नाम व पता	प्रमाण-पत्र को साक्ष्यांकित करने वाले साक्षी का पता
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

कुल सचिव का आद्यक्षर	अभ्युक्ति
(20)	(21)

अंशदान भविष्य निधि प्रपत्र–4

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

पेशगी की संस्वीकृति का प्रार्थना पत्र

1. अभिदाता का नाम
2. खाता संख्या
3. पदनाम
4. वेतन
5. प्रार्थना पत्र के समर्पण के समय अभिदाता के खाते में क्रेडिट :
   (i) खाता चिप्पी के अनुसार शेष रकम
   (ii) उत्तरवर्ती जमा जोड़ा जाए और आहरण का रकम वापसी
   (iii) उत्तरवर्ती आहरण को काटा जाये
   (iv) वर्तमान शेष
6. बकाया अग्रिम कोई हो, और किस प्रयोजन के लिए लिया गया हो

क्र० सं०	समेकित रकम	संस्वीकृत रकम और प्रयोजन	वसूली के लिए संबंधित आहरण रकम

7. अग्रिम रकम जो आवश्यक हो
8. किस प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया जाए और अंशदान भविष्य निधि नियम संख्या————————
9. समेकित अग्रिम रकम 6 और 7 का जोड़ कितने महीने के किस्तों में ऋण वापस की जायेगी

01 अभिदाता के अस्थायी अग्रिम लेने की आर्थिक दुर्दशा का पूरा विवरण

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्न : खाता चिप्पी
स्थान :
तारीख :

अंशदायी भविष्य निधि प्रपत्र–5

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

अस्थायी अग्रिम की संस्वीकृति का प्रपत्र

कार्यवाही संख्या ———————— तारीख ————————

विषय :—अंशदान भविष्य निधि—अस्थायी अग्रिम श्री————————को संस्वीकृत

संदर्भ :—

1. निम्नोक्त विवरण के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम संस्वीकृत हैं :

श्री ————————को उस की अंशदायी भविष्य निधि संख्या ————————
से————————रुपए ————————प्रयोजन के खर्च उठाने अस्थायी अग्रिम संस्वीकृत किया जाता है।

2. इसके पहले संस्वीकृत अग्रिम ——————————रुपए जिसकी वसूली अभी तक नहीं हुई उसको भी मिलाकर कुल ——————————रुपए, प्रति महीने ——————————रुपए किश्तों में वसूल की जाएगी।

3. वर्तमान उसके खाते की क्रेडिट की रकम और पूर्व अग्रिम की वसूली की शेष रकम।

(अ) अभिदाता के खाते की वर्तमान क्रैडिट :

(i) वित्तीय अधिकारी से प्रदत्त खाते चिप्पी के अनुसार वर्तमान शेष रकम

(ii) अनुवर्ती जमा और वसूली जोड़ें

(iii) उत्तरवर्ती आहरण होने पर काटा जाए

(iv) वर्तमान शेष रकम

(आ) वसूली की बाकी रकम यदि हो, किस प्रयोजन के लिए लिया हो

क्र० स०	संस्वीकृत रकम	किस प्रयोजन के लिए संस्वीकृत	वसूली की बाकी रकम
(1)	(2)	(3)	(4)

कुल सचिव

अंशदान भविष्य निधि प्रपत्र 6

पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय

अंशदान भविष्य निधि से खंडान्त (पार्ट फैनल) आहरण का आवेदन पत्र

1. (अ) नाम (ब्लाक अक्षरों में)

(आ) पदनाम और विभाग

(इ) खाता संख्या (अं०: भ: नि)

2. अभिदाता का वेतन [नियम 3(ऊ) में परिभाषितानुसार]

3. (i) कुल सेवा काल

(ii) जन्म तिथि

(iii) टूटी अवधि भी मिलाकर किस तारीख को बीस/पन्द्रह वर्ष का सेवा काल पूरा करेगा

(iv) वार्धक्य निवर्तन में सेवा निवृत्ति का नियम दिनांक

4. (i) आवेदित खंडान्त आहरण रकम

(ii) किस प्रयोजन के लिए खंडान्त आहरण आवेदित है ।

5. आवेदन करते समय अभिदाता के क्रेडिट की रकम

(i) पूर्व हिसाबानुसार क्रेडिट की रकम रु० ——————

(ii) चालू वर्ष का अभिदान रु० ——————

(iii) पेशगी की चालू वर्ष की वसूली रु० ——————

कम—अंतिम वर्ष पेशगी का खंडान्त आहरण रु० ——————

वर्तमान शेष रकम रु० ——————

6. आहरण का प्रयोजन

विवाह

(i) व्यक्ति का नाम व अभिदाता से उसका संबंध जिसके लिए भविष्य निधि आहरण आवेदित है

(ii) उपखंड (i) में उल्लिखित व्यक्ति की जन्म तिथि

(iii) सगाई की तारीख

(iv) अभिदाता की बेटी को छोड़कर अन्य किसी संबंधी बेटी के लिए है तो क्या वह बेटी पूर्ण रूप से अभिदाता पर आश्रित है

(v) इस प्रयोजन के लिए अस्थायी अग्रिम लेने का एक प्रमाण पत्र

(vi) इसी प्रयोजन के लिए इसके पूर्व खंडान्त अस्थायी अग्रिम लिए जाने पर उसका उल्लेख

उच्च शिक्षा

(i) उस व्यक्ति का नाम व अभिदाता से उसका संबंध ।

(ii) पाठ्यक्रम और अध्ययन काल (शैक्षिक, टेकनिकी अभियांत्रिकी, चिकित्सा व वैज्ञानिक)

(iii) अध्ययन भारत में या भारत के बाहर होगा।

चिकित्सा उपचार :

(i) आहरण अभिदाता या उसके आश्रित की बीमारी के लिए है ।

(ii) उसका अभिदाता से संबंध और क्या वह असल में पूर्ण रूप से उस पर आश्रित है ।

(iii) बीमारी का विवरण (चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

मकान :

(i) निश्चित प्रयोजन—मकान स्थल का क्रय या गृह निर्माण या पुनर्निर्माण कर घर में योग या परिवर्तन या ऋण की वापसी आदि ।

(ii) अभिदाता का अपना कोई घर या गृह स्थल हो

(iii) आहरण ऋण की वापसी के लिए जाने पर, ऋण का क्या व्यक्त रूप से गृह निर्माण के लिए उपयोग किया गया हो ।

(iv) प्रांतीय/केन्द्रीय गृह आयोजना से ऋण लेने पर उससे आहरण की गई रकम का विवरण

(v) अन्य स्रोत से इस संबंध में मद लेने पर उसका विवरण

(vi) गृह निर्माण समिति या समरूप अभिकरणों द्वारा किराया-खरीद आधार पर/किश्त आधार पर गृह निर्माण या गृह स्थान खरीदे जाने पर, ऋण वापसी के लिए आहरण करने पर

(अ) ऋण वापसी कितने किश्तों में और किस अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए ।

(आ) गृह निर्माण समिति को देय रकम

दिनांक अभिदाता का हस्ताक्षर

विभाग/अनुभाग अध्यक्ष के द्वारा

विभाग/अनुभाग अध्यक्ष

कार्यालय टिप्पणी

क्रेडिट की रकम रु० ————

आवेदित रकम रु० ————

अधिकतम पात्रता रकम
(क्रेडिट की रकम का 75 प्रतिशत)

अधिनियम 13(1)
आहरण का प्रयोजन
प्रयोजन किस नियमाधीन है
विशेष आयुक्ति
संस्वीकृति पर विचार करें बशर्ते कि आवेदक को संस्वीकृत रकम के लिए उपयोग-प्रमाण पत्र 3/6 महीनों के अन्दर दाखिल करना होगा।

अंशदायी भविष्य निधि—प्रपत्र

पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय

संदर्भ संख्या दिनांक

ज्ञापन

आप के अंशदान भविष्य निधि खाते का 31 मार्च 19———तक का लेखा विवरण, विश्व विद्यालय के भविष्य निधि के नियम 18(2) के संगत नीचे दिया गया है । इस ज्ञापन की प्राप्ति के एक हफ्ते के अंदर, 31-3-19..... तक के क्रेडिट रकम की स्वीकृति का प्रमाण पत्र निम्नोक्त प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये । फरवरी 19.....तक दिए अग्रिम और पेशगियों की वसूली का विवरण और 31 मार्च 19.....तक के रकम वसूली का विवरण इसमें उल्लिखित है । निर्धारित समय के अंदर इस प्रमाण पत्र के प्राप्त न होने पर, अब संसूचित शेष रकम स्वीकृत किया माना जाएगा।

अंशदान भविष्य निधि

श्री———का खाता
पदनाम, विभाग/अनुभाग
अंशदान भविष्य निधि खाता संख्या
वर्ष 31 मार्च 19....तक के लिए

अभिदान अंशदान आयुक्ति

अथ शेष
चालू वर्ष की क्रेडिट रकम ×
चालू वर्ष के लिए ब्याज ————
कुल ————
चालू वर्ष का आहरण ————
31 मार्च 19...तक का
शेष ————

×अप्रैल 19....से मार्च 19....तक की वसूलियां इसमें सन्निहित हैं ।

कुल सचिव

आपके पत्र तारीख ———के साथ संलग्न 31 मार्च 19——तक के मेरे अंशदान भविष्य निधि के खाते सं०———में दिए वार्षिक विवरण में सूचित अतिशेष से सहमत हूं ।

हस्ताक्षर

दिनांक: पदनाम

पांडिचेरी विश्व विद्यालय

भविष्य निधि खाता रजिस्टर

खाता संख्या ——————————

अभिदाता का नाम : नियुक्ति का दिनांक

जन्म तिथि :

विभाग/अनुभाग :

वर्ष 19——————————

महीना	वसूली का विवरण अग्रिम की अदायगी	मूल वेतन	अभिदान	अग्रिम की वापसी	कुल	आहरण
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्तूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						
कुल						

प्रति महीने अतिशेष	अभिदान पर ब्याज	कुल अभिदान खाता	अंशदान	प्रति महीने अतिशेष	अंशदान पर ब्याज	कुल अंशदान खाता
8	9	10	11	12	13	14
कुल						

	रुपए		रुपए
पृष्ठ से आग्रनीत अतिशेष		पृष्ठ से आग्रनीत अतिशेष	
जोड़ें : निक्षेप व वापसी (कालम 5)		जोड़ें : चालू वर्ष का अंशदान (कालम 11)	
19..से..19... तक का ब्याज (कालम 8)		19.... से 19....तक का ब्याज (कालम 13)	
कुल रकम —आहरण (कालम 6)		31 मार्च 19... का अतिशेष	
31 मार्च 19—— का अतिशेष			

कुल सचिव/वित्त अधिकारी

अंशदान भविष्य निधि–प्रपत्र–9

पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय

पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के कर्मचारियों के अंशदान भविष्य निधि खाते का वार्षिक संक्षेप

क्र० सं०	नाम व पदनाम	खाता संख्या	अथशेष	चालू वर्ष का क्रेडिट		क्रेडिट किया ब्याज
				अभिदान	पेशगी	
1	2	3	4	5	6	7

4 से 7 तक का जोड़	भुगतान		कुल अतिशेष		भविष्य निधि पेशगी
	पेशगी	खंडान्त और अंतिम आहरण	9+10	8 से 11	
8	9	10	11	12	13	14

अंशदान भविष्य निधि प्रपत्र–10

अंशदान भविष्य निधि पेशगी रजिस्टर: 19————से 19———— तक के

भुगतान और वसूली

भविष्य निधि खाता संख्या	नाम व पदनाम	विभाग/अनुभाग	किस्तों की संख्या	प्रति किस्त की रकम		अथशेष	
				रु०	पै०	रु०	पै
1	2	3	4	5		6	

चालू वर्ष प्रदत्त		बाऊचर संख्या व दिनांक	वसूली									
			अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर	
रु०	पै०		रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
7		8	9		10		11		12		13		14		15	

वसूली							कुल		इतिशेष		शेष	
नवम्बर		दिसम्बर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
16		17		18		19		20		21		22		23	

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay-400021, the 3rd July 1991

CORRIGENDUM

ANNUAL GENERAL MEETING

This is for the information of all concerned that the venue of the Thirty-sixth Annual General Meeting of the State Bank of India to be held at Bangalore on Thursday, the 25th July 1991 at 4.00 p.m. as appearing in the Gazette dated the 22nd June 1991 is to be read as under :—

"CHOWDIAH MEMORIAL HALL"
Gayathridevi Park Extension
Near Sankey Tank
Vyalikaval
Bangalore-560003.

M. N.GOIPORIA
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400005, the 20th May 1991

No. 3WCA(4)/2/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the date mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	M.No.	Name & Address	Dates
1.	16637	Shri Ramnivas B. Bangad, Opp. Bank of Maharashtra Kirana Chawdi, Aurangabad-431001.	20-10-90
2.	41505	Shri Mahesh Amratlal, Shah, Bhid Bazar, Bhuj-370001.	06-09-90

No. 3WCA(4)/1/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the date mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	M.No.	Name & Address	Dates
1	2	3	4
1.	564	Shri Ian Maclean Ogg, Petit Sentier, St. John, Jersey, Channel Islands, Central 62339, United Kingdom.	25-12-90
2.	5686	Shri V.H. Kishnadwala, 66A, Podar Chambers, 3rd Floor, 109, Parsi Bazar St., Bombay-400001.	20-3-91

M. C. NARSIMHAN
Secretary

Madras-600034, the 27th June 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(4)/1/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the date mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S.No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	387	Shri K. Ramachandra Rao, Innispeta, Rajamahendravaram.	24-3-1991
2.	1124	Shri K. Ramanathan, 'Bhavani', No. 5, V Street, Gopalapuram, Madras-600086.	02-11-1990
3.	2930	Shri T.V. Sundararajan 27, Cathedral Garden Road Madras-600034.	09-12-1990
4.	81225	Shri M.R. Nagappa, 251, Aparna, II Main, 17th Cross, Malleswaram, Bangalore-560003.	3-12-1990

No. 3SCA(4)/2/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the date mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S.No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	1807	Shri T.S. Ranganathan, 3, Thiruvengadam Street, R.A. Puram, Mandavalli, Madras-600028.	11-4-1991

1	2	3	4
2.	9375	Shri Y.V. Krishna Rao 59-7-12 Ramachandranagar Vijayawada-520008.	29-3-1991
3.	11576	Shri K. Shivasamy, 38, Huzar Road, Coimbatore-641018.	03-4-1991
4.	25275	Shri P. Manickavasagam, 227, A Tenkasi Road, Rajapalayam-626 117.	2-5-1991

The 28th June 1991

No. 3SCA(5)/2/91-92.—With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/8/90-91 dated 1st December 1990, 3SCA(4)/8/87-88 dated 30th December 1987 and 3ECA(4)/90/91 dated 10th November 1990 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

S.No.	MRN	Member Name & Address	Rest. Date
1	2	3	4
1.	006725	Mr. Krishnaswamy R., FCA, 15, Desikarsamy Street, Palathope, Malapore, Madras-600004.	9-4-91
2.	018580	Mr. Perumal Reddy T. ACA, Manager, UCO Bank, 169, Thambu Chetty Street, Madras-600001.	1-4-91
3.	019409	Mr. Jayakrishna R. ACA, 5812, Central Drive, Everett, W.A.-98204. U.S.A.	11-4-91
4.	019553	Mr. Ramji S. FCA, Financial Controller, AL Jallaf Trading, P. O. Box 46193 ABU Dhabi U.A.E.	2-4-91
5.	021332	Mr. Joshi H.G. ACA, H. No. 1609, Mahadesgalli, Belgaum-590002.	8-4-91
6.	022326	Mr. Jagdish Bhai N. Davey FCA, 14, Samudra Mudali Street, Madras-600003.	5-4-91
7.	023960	Mr. Somaskandan K. ACA, No. 12, Jayshankar Street, West Mambalam, Madras-600033.	3-4-91
8.	025096	Mr. Krishna Mohan G. ACA, Assistant Secretary, A P S R T C (ET & CCS) Limited, Azamabad, P.B. No. 1819 Hyderabad-500020.	8-4-91
9.	028069	Mr. Thomas George P. ACA, P.O. Box 51014, Dubai, U.A.E.	1-4-91
10.	054749	Mr. Ramakrishna Sasanapuri, ACA, C-68, Madhranagar, Yousufguda, Hyderabad-500038.	1-10-90

M. C. NARASIMHAN
Secretary

Kanpur-208001, the 4th June 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3CCA(4)(2)/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the register of members of this Institute on account of death, the name of following member with effect from the date mentioned against his name :—

S.No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	6405	Mr. Bhola Tiwary, A/4, Biscomaun Colony, Patna-800007.	16-12-90

M. C. NARSIMHAN
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th June 1991

No. V.33(13)-10/90-Estt.IV.—In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950 and in supersession of the Corporation's Notification No. V.33(13)-10/84-Estt.IV dated 1-5-1987, the Chairman, E.S.I. Corporation hereby reconstitutes the Regional Board for Maharashtra Region which shall consist of the following members, namely :—

Chairman

1. Minister for Labour, Government of Maharashtra.

Vice-Chairman

2. Minister for Public Health, Government of Maharashtra.

Member

3. Secretary (Labour),
Industries, Energy and Labour
Department,
Government of Maharashtra.

Officer directly in-charge of the ESI Scheme in the State

Ex-Officio

4. The Commissioner,
E.S.I. Scheme,
Bombay.

Ex-Officio-Member

5. The Deputy Medical Commissioner,
E.S.I. Corporation,
West Zone,
Bombay.

Employers' Representative

6. Shri D. N. Tadvalkar,
Labour Adviser,
Maratha Chamber of Commerce
and Industries,
Tilak Road,
Pune-2.

Employers' Additional Representative

7. Shri Basantlal Shaw,
President,
Vidarbha Industries Association,
Bank of Maharashtra Building,
Sitaburdi,
Nagpur-12.

Employees' Representative

8. Shri Haribhau Lambat,
Joint Secretary,
Rashtriya Mill Mazdoor Sangh,
Nag Road, Vidyanath Chowk,
Nagpur.

Employees' Additional Representative

9. Shri K. L. Bajaj,
General Secretary,
Centre of India Trade Union,
6, Tanibai Niwas,
Wadala Station Road,
Bombay-400031.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

10. Shri A. S. Kasliwal,
Chairman,
M/s. S. Kumar Enterprises
(Synfabs) Pvt. Ltd.,
Niranjan Building,
99 Marine Drive,
Bombay-400002.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

11. Shri S. K. Nanda,
Secretary General,
Employers Federation of India,
Army and Navy Building,
148-Mahatma Gandhi Road,
Bombay-400023.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

12. Prof. V. B. Kamath,
"Hira Mahal",
171-Shivaji Park,
Road No. 5,
Bombay-400016.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

13. Shri G. V. Chitnis,
General Secretary,
Maharashtra State Committee of AITUC,
17-Dalvi Building,
Dr. Ambedkar Road,
Parel Naka,
Bombay-400012.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

14. Shri Vasant Khanolkar,
General Secretary,
Chemical Mazdoor Sabha,
115-Satyagiri Sadan,
Dadasaheb Phalke Road, Dadar,
Bombay-400014.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

15. Dr. A. J. Shelat,
225-A, Shivaji Nagar,
N. M. Joshi Marg,
Bombay.

Member of the ESI Corporation Residing in the State Ex-Officio-Member

16. Secretary to the
Government of Maharashtra,
Medical, Education and Drugs Department,
Bombay.

Member of the Medical Benefit Council

Ex-Officio-Member

17. Shri S. V. Gole,
General Secretary,
Indian National Municipal and Local
Bodies Workers Federation Kamgar Karyalaya,
Lamington Road,
Topiwala Lane,
Bombay-400007.

Member of the Medical Benefit Council

Ex-Officio-Member

18. Dr. Harsha Vardhan Gautam,
Convenor, ESI Cell,
Bhartiya Mazdoor Sangh,
25-Abrahim Mension,
Dr. Ambedkar Marg, Parel,
Bombay-400012.

Member of the Medical Benefit Council

Ex-Officio-Member

19. Dr. (Mrs). Lalita Rao,
"Kailash" 141-Sion (West),
Bombay-400022
(Maharashtra).

Member of the Medical Benefit Council

Ex-Officio-Member

20. Dr. J. G. Jogidasani,
DASF,
154-Jerbai Wadia Road,
Parel,
Bombay-400012.

Member of the Medical Benefit Council

Ex-Officio-Member

21. Vaidya Shri B. K. Padhya Gurjar,
9-Narbada Niwas,
Topiwala Wadi,
Goregaon (West),
Bombay-400064.

Member-Secretary

22. The Regional Director,
E.S.I. Corporation,
Bombay.

The 28th June 1991

No. T-11/13/3/90-INS.III.—The Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 6-3-91 adopted the following Resolution, which is published for information of all concerned :—

RESOLUTION

"In supersession of earlier Resolution dated 14-12-1990, it is resolved that the powers of the Corporation under Section 45A to determine by order the amount of contributions payable shall be exercised :—

(i) by the Director General, Insurance Commissioner and a Joint Insurance Commissioner in respect of of a factory/establishment situated anywhere in India;

(ii) by a Regional Director in respect of a factory/establishment situated within his Region;

(iii) by a Director/Joint Regional Director/Joint Regional Director In-Charge/Dy. Regional Director and Assistant Regional Direcor in respect of a factory/establishment situated within the area in his charge/in his Region/Sub-Region".

[Authenticated under Section 7 of the ESI Act, 1948 (as amended).

No. T-11/19/1/90-INS.III.—It is notified for general information that the ESI Corporation at its meeting held on 6-3-91 has decided to further delegate powers to levy and recover damages from the employers under Section 85-B of the ESI Act to other officers of the Corporation in addition to the officers in the Corporation Resolution as published under Notification No. N-4/13/2/82-Ins. III dated 29-4-83 in Part III, Section 4 of the Gazette of India of May, 14, 1983 as under :—

"Further resolved that the powers to levy and recover damages from the employer(s) under Section 85(B) of the ESI Act, 1948 as amended may also be exercised by the Joint Regional Director In-Charge of Sub-Regional Office in addition to the officers as authorised in the Corporation's Resolution dated 19-2-83".

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

New Delhi, the 19th June 1991

No. U-16/53/90-Med.II(TN).—In pursuance of the Resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the power of the Corporation under Regulation's 105 of the ESI (General) Regulaion, 1950 and such power having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23rd May, 1983, I hereby authorise Dr. T. M. Ghose, 143-Sterling Road, Madras-34, to function as Medical Authority for Madras Centre in Tamil Nadu with effect from 1-4-91 to 31-3-92 or till a full time Medical referee joins, whichever is earlier on the existing terms and conditions, at a monthly remuneration as per norms for the purpose of Medical examination of the Insured persons and grant of further Certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

New Delhi, the 1st July 1991

No. N-15/13/16/2/85-P.&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-7-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1956 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :—

S.No.	Name of the Revenue Vill.	Had Bast No.	Name of Distt.
1.	Malpura . . .	205	Rewari
2.	Joniawas . . .	206	Rewari
3.	Kapriwas . . .	290	Rewari

No. N-15/13/4/2/89-P.&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-7-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Himachal Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1977 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Himachal Pradesh namely :—

S.No.	Name of Revenue Vill.	Had Bast No.	Name of the Distt.
1.	Nangal Sakoti . .	141	Sirmour
2.	Ogleo	140	Sirmour
3.	Rampur Jatan . .	139	Sirmour
4.	Johran	138	Sirmour
5.	Mogi Nand . . .	142	Sirmour

A. C. JONEJA
Director (F&D)

REGIONAL OFFICE

Chandigarh, the 26th June 1991

No. 12.V.34/13/2/86-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board, Punjab has re-constituted the Local Committee consisting of the following members for Batala area (where Chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A*(1)(*a*)

1. Sub-Divisional Magistrate,
Batala.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A*(1)(*b*)

2. Labour and Conciliation Officer,
Batala.

Under Regulation 10-*A*(1)(*c*)

3. (i) Civil Surgeon,
Gurdaspur.

(ii) Incharge, Medical Officer,
ESI Centre, Batala.

Under Regulation 10-*A*(1)(*d*)

4. Shri Mohinder Sen Gupta,
General Secretary, Factories Association,
Batala.

5. Shri V. M. Goyal,
Secretary Foundary,
Manufactures Association,
Batala.

6. Shri Ramesh Kumar Aggarwal,
New Industries Association,
Batala.

7. Shri P. S. Gill,
M/s. Sarabjit Machine Tools,
Batala.

Under Regulation 10-*A*(1)(*e*)

8. Shri Kartar Singh,
General Secretary,
Iron & Steel Workers Union (Regd.),
(AITUC),
Batala.

9. Shri Ajit Singh,
General Secretary,
District Metal Factory Workers Union (Regd),
(CITU),
Batala.

10. Shri Jawahar Lal,
General Secretary,
Mechanical Workers Union (Regd.),
(BMS),
Batala.

MEMBER SECRETARY

Under Regulation 10-*A*(1)(*f*)

11. Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Near Bus Stand,
Batala.

By Order
S. S. ABROL
Regional Director

NCR PLANNING BOARD

New Delhi-110001, the 4th July 1991

No. K-14011/13/85-NCRPB.—In exercise of the powers conferred by section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the National Capital Region Planning Board hereby further amends the National Capital Region Planning Board Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8th July 1985 as follows :

In the said Notification, in Item No. I, relating to Functions, powers and duties under Clause (b), (c) and (d) of sub-section 2 of section 22, the following shall be added at the end, namely, :—

Project Sanctioning and Monitoring Group II :

The Project Sanctioning and Monitoring Group II shall consist of :

CHAIRMAN

1. Member Secretary
National Capital Region Planning Board

MEMBERS

2. Joint Secretary (Finance)
Ministry of Urban Development
or his representative

3. A representative of the
Ministry of Urban Development

4. A representative of the
Planning Commission

5. Secretary in charge of National
Capital Region in the States and
the Union Territory.

CONVENOR

6. Senior Planning Engineer
National Capital Region Planning Board

The Group shall have power to sanction Project Plans upto rupees one hundred lakhs and towards conducting studies upto rupees five lakhs."

Principal Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 10th July, 1985 was published on 10th August 1985 in the Gazette of India Part III Section 4 and was amended vide notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 14th December 1987.

K. K. BHATNAGAR
Member Secretary

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 4th July 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./928.—WHEREAS, M/s. Montari Pharmaceuticals Pvt. Ltd. X-60. Okhla Phase-II. New Delhi-110020 (Code No./DL/4686).—have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-4-88 to 31-3-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia. transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance, Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme. the employer shall pay the difference to the nominee(s) /legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the naminee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI|Exemp|89|Pt|935.—WHEREAS M/s. The Calcutta Medical Research Institute. 7/2, Diamond Harbour Road, Calcutta-700027 (WB-15009), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. S-35014/80/85/SS.IV/SS.II. dated 20-1-88 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 13-4-91 to 12-4-94 upto and inclusive of the 12-4-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employee fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the naminee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

PUNJAB WAKF BOARD

AMBALA CANTT. the 4th July 1991

CORRIGENDUM

No. Wakf/45/Gen./ Pub./ Corrigendum/ 485/91—The following corrigendum is to be published in respect of Wakf properties detailed below which had been published in the Govt. of India Gazette, Part III, Section 4 dated 17-10-70, 21-11-70, 9-1-71 and 21-11-87 in respect of Distt. Hissar, Gurgaon, Amritsar and Karnal respectively. The corrigendum has become necessary owing to printing mistake.

Sr. No.	Page No. of Gazette	Sr. No. of Gazette	Distt. / Tehsil	Village	Amendement
1	2	3	4	5	6
1.	1570	892	Hissar / Bhiwani	(now Bhiwani) Bhiwani Janpal HB 21	In column No. 6, the Khasra No. against area 45K-6M may be read as 923.

1	2	3	4	5	6
2.	1572	928	Hissar ——— Bhiwani	Tosham HB 33	In column No. 5 area 17 Kanals 14 Marlas may be read as 174 Kanals 14 Marlas.
3.	2100	1791	Gurgaon ——— Ballabhgarh	(now Faridabad) Faridabad	In column No. 5, The Kanals Marlas may be read as Bighas Biswas and in column No. 6 Khasra No. 233, 234 may be read as 333,334 respectively.
4.	173	1926	Amritsar ——— Tarn Taran	Govindwal HB 339	In column No. 6, the Khasra No. against area 179K-3M may be read as 98.
5.	3738	3	Karnal ——— Karnal	Kunjpura HB 75	In column No.6 Mosque may be read as graveyard against Khasra No. 234 measuring 41K-7M.

M.M.H. Siddiqi
Secretary,
Punjab Wakf Board
Ambala Cantt.

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay- the 5th July 1991

No. UT/DPD/A-2|SPD-141|90-91.—The Amendments in Provisions of the New 7 Year Monthly Income Unit Scheme with Yearly Bonus and Growth 90 (MISG-90) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 6th May 1991 are published here below.

ANNEXURE

The following Proviso at the end of Clause VIII on "Sale and Repurchase of Units" of the Monthly Income Unit Scheme—MISG 90 approved at the executive committee meeting held on May 6, 1991 respectively.

"Provided that notwithstanding anything contained in these provisions the repurchase price may also be arrived at by dividing the value of the assets allocated to the scheme with reference to the period of allocation in such manner as the Board may determine reduced by the liabilities pertaining to the scheme with reference to the similar period by the number of units at the close of the business on the said day. In so determining the repurchase price regard shall be had to the interest of the Trust and the unitholder".

No. UT/DPD/A-4|SPD-145|90-91.—The Amendments in Provisions of the 7 Year Monthly Income Unit Scheme with Bonus and Growth 90 (II)—MISG-90 (II) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 6th May 1991 are published here eblow.

ANNEXURE

The following Proviso at the end of Clause VIII on "Sale and Repurchase of Units" of the Monthly Income Unit Scheme—MISG 90(II), approved at the executive committee meeting held on May 6, 1991 respectively.

"Provided that notwithstanding anything contained in these provisions the repurchase price may also be arrived at by dividing the value of the assets allocated to the scheme with reference to the period of allocation in such manner as the Board may determine reduced by the liabilities pertaining to the scheme with reference to the similar period by the number of units at the close of the business on the said day. In so determining the repurchase price regard shall be had to the interest of the Trust and the unitholder".

No. UT/DPD/A-6|SPD-159|90-91.—The Amendments in Provisions of the 7 Year Monthly Income Unit Scheme with Bonuses and Growth '91—MISG—91 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 6th May 1991 are published here below.

ANNEXURE

The following Proviso at the end of Clause VIII on "Sale and Repurchase of Units" of the Monthly Income Unit Scheme—MISG 90 approved at the executive committee meeting held on May 6, 1991 respectively.

"Provided that notwithstanding anything contained in these provisions the repurchase price may also be arrived at by dividing the value of the assets allocated to the scheme with reference to the period of allocation in such manner as the Board may determine reduced by the liabilities pertaining to the scheme with reference to the similar period by the number of units at the close of the business on the said day. In so determining the repurchase price regard shall be had to the interest of the Trust and the unitholder".

A. K. THAKUR, General Manager
Planning & Development

PONDICHERRY UNIVERSITY, PONDICHERRY

FIRST STATUTE

GOVERNING GENERAL PROVIDENT FUND-CUM-PENSION-CUM-GRATUITY AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND-CUM-GRATUITY SCHEME

Approved By

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION) GOVERNMENT OF INDIA

[Vide Letter No. F. 21-5/88-Desk(U) dt. 20-11-89]

THE GENERAL PROVIDENT FUND-CUM-PENSION-CUM-GRATUITY AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND STATUTES FRAMED UNDER SECTION 34 OF THE PONDICHERRY UNIVERSITY ACT (NO. 53 OF 1985)

Short Title and Commencement

1. These statutes shall be called :

(a) The Pondicherry University General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme (Appendix-A).

(b) The Pondicherry University Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme (Appendix-B).

2. They shall come into force on the date theaassent of the Visitor is given.

Management of the Scheme

3. The Management of the schemes shall be vested in the Executive Council of the University. Subject to the control and direction of the Executive Council, the Vice-Chancellor shall administer the schemes for and on behalf of the Executive Council.

4. The provisions relating to operation, administration and applicability of the schemes under this statute shall be such as those mentioned in the Rules contained in Appendix-A for G.P.F.-cum-Pension-cum-Gratuity and Appendix-B for C.P.F.-cum-Gratuity.

APPENDIX-A

GENERAL PROVIDENT FUND-CUM-PENSION-CUM-GRATUITY SCHEME

SECTION-I

1. SHORT TITLE

There shall be a Scheme called "The Pondicherry University General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme".

2. EXTENT OF APPLICATION

Save as otherwise provided in these Rules, they shall apply to all regular employees whether temporary or permanent appointed to the services and posts in connection with the affairs of the Pondicherry University including re-employed pensioners but shall not apply to :

(a) Persons employed on contract except the service on contract is immediately followed by confirmation when the persons shall have, on cancellation of their contract terms, the option to choose this scheme, the benefit of the service rendered under scheme, the benefit of the service rendered under contract if the retirement benefits during service on contract are paid back by him to the University.

(b) Persons in casual or daily-rated or part-time employment or receiving fixed salary.

(c) Persons serving on deputation in the University service.

(d) Persons who earlier subscribed to the CPF in their previous employment and who specifically opted to continue under the CPF scheme within three months from the date of joining the service in this University.

3. DEFINITION

(1) In these Rules unless the context otherwise requires :—

(i) "Finance Officer" means the "Finance Officer of the Pondicherry University".

(ii) "Empoyee" includes both Teaching and Non-teaching employees of the University.

(iii) Save as otherwise expressly provided in these rules, "emoluments" mean pay, leave salary, or subsistence grant and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, it admissible and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service, in respect of persons who have come over to the revised scale of pay introduced with effect from 1-1-86 "emoluments" mean basic pay only from that date.

(iv) "Pay" includes pension in the case of re-employed pensioner.

(v) "Family" means

(a) In the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber, and the widow, or widows and children of a deceased son of the subscriber :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which, these Rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Finance Officer that she shall continue to be so regarded.

(b) In the case of a female subscriber, the husband and children of a subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Finance Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these statute relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE : Child means legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(vi) "Fund" means the General Provident Fund.

(vii) "Leave" means any variety of leave recognised by the rules of the University.

(viii) "Year" means a financial year of the University.

(ix) "Registrar" means the Registrar of the Pondicherry University.

(x) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the Pondicherry University.

4. CONSTITUTION OF THE FUND

(a) The Fund shall be maintained in rupees.

(b) All sums paid to the Fund and withdrawn therefrom shall be credited or debited in the books of University to an account named "The General Provident Fund Account".

5. CONDITIONS OF ELIGIBILITY

(a) All temporary employees after a continuous service of one year and those temporary employees appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year, all re-employed pensioners and all permanent employees shall subscribe to the Fund.

(b) Notwithstanding any provisions, persons who are in receipt of any pension from Government if re-employed in the University may be permitted to subscribe to the Provident Fund, provided that where the term of re-employment is initially for a year or less but is later extended so as to exceed one year, the recovery of subscriptions shall commence only after the completion of one year's re-employed sevice.

NOTE : Temporary employees (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the General Provident Fund any time before completion of year's service.

6. NOMINATIONS

(1) A subscriber shall, at the time of joining the fund, send to the Finance Officer through the Head of Office/Department a nomination conferring on one or more persons, the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before the amount has become payable or, having become payable, before it has been paid :

Provided that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member of his family. Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the fund shall, if the amount to his credit in such other fund, has been transferred to his credit in the fund be deemed to be a nomination under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under clause (1) he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in the First Schedule.

(4) A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Finance Officer. The subscriber shall, along with such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination :

(a) In respect of any specified nominee, that in the event of his pre-deceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or shall be payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if, at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family :

Provided further that if, at the time of making the nomination, the subscriber has only one member of the family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternated nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

6. Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause 5(a) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause 5(b) or the provision thereto, the subscriber shall send to the Finance Officer a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

7. Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Finance Officer.

7. SUBSCRIBER' S ACCOUNT

(1) An account shall be opened in the name of subscriber in which shall be shown :—

(i) his subscriptions

(ii) interest on subscriptions

(iii) advances and withdrawals from the fund.

(2) If an employee admitted to the benefit of the fund was previously, a subscriber to any Contributory/Non-Contributory Provident Fund of the Central Government/State Government or of a body corporate, owned or controlled by Government or Universities/Colleges or institutions of University status or an autonomous organisations registered under the Societies Registration Act of 1860 immediately before his appointment in the University/College, the amount of his accumulations in such Contributory or Non-Contributory Provident Fund shall be transferred to his credit in the Fund.

8. CONDITION AND RATES OF SUBSCRIPTION

Conditions of Subscriptions :—

(1) Every subscriber shall subscribe monthly to the fund when on duty in the service of the University or on foreign service or on deputation out of India.

Provided that a subscriber shall not subscribe during the period when he is under suspension and may at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subcriber once exercised shall be final :

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one sum or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscription payable for that period.

(2) A subscriber due to retire on superannuation shall be exempted from making any subscription to the General Provident Fund during the last three months of his service.

9. RATES OF SUBSCRIPTION

(1) The rate of subscription shall be fixed by the subscriber himself expressed in whole rupees, subject to it being not less than six percent of his emoluments and not more than his total emoluments; the fraction of a rupee being rounded to the nearest whole rupee, fifty paise and above counting as the next higher rupee.

(2) The amount of subscription so fixed may subject to the limitations in clause (1) above

(a) reduced once at any time during the course of the year,

(b) enhanced twice during the course of the year or,

(c) reduced and enhanced as aforesaid provided that when the amount of subscription is also reduced it shall not be less than the minimum prescribed in rule 9(1) above.

Provided that if a subscriber has elected not to subscribe during leave which does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, the amount of subscription payable shall be proportional to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

(3) For the purpose of this rule, the emoluments of a subscriber shall be :

(a) In the case of a subscriber who was in service on 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date, provided as follows :

(i) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) If the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;

(iii) If the subscriber joined the Fund for the first time on a day subsequent to the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on such subsequent date.

(b) In the case of a subscriber who was not in service on the 31st of March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the first day of his service or, if he joined the Fund for the first time on a date subsequent to the first date of his service, the emoluments to which he was entitled on such subsequent date.

10. REALISATION OF SUBSCRIPTION

(a) When emoluments are drawn from the University, recovery of subscriptions on account of these emoluments, refund towards advances shall be made from the emoluments themselves.

(b) When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his dues monthly to Finance Officer. Provided that the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Finance Officer by such body.

11. INTEREST

(a) The University shall pay to the credit of the account of each subscriber, interest for each year at the same rate as may be determined by the Government of India for each year for paying to the credit of the subscription under General Provident Fund (CCS) Rules; 1960..

(b) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner :

(i) On the amount at the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year less any sums withdrawn during the current year Interest for twelve months;

(ii) On the sums withdrawn during the current year interest from the 1st of April of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal:

(iii) On all sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year. Interest from the date of credit up to the 31st of March of the current year;

(iv) The total amount of interest shall be rounded to the nearest rupee (fifty paise and above counting as the next higher rupee).

Provided that when the amount standing at the credit of a subscriber has become payable, interest thereon shall be credited under this sub-rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of credit as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of a subscriber becomes payable.

NOTE : For the purpose of this rule, the date of credit shall in the case of recoveries from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is credited and in the case of amounts forwarded by the subscriber shall be deemed to be the first day of the month of receipt if it is received by Finance Officer before fifth day of the month and if received on or after the fifth day of that month the first day of next succeeding month.

(c) In all cases interest shall be paid in respect of balance at the credit of a subscriber upto the close of the month preceding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount become payable whichever of these periods be less :

Provided that where the Finance Officer has intimated to the subscriber for his agent a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to the subscriber, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be;

(d) In case a subscriber is found to have overdrawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to the credit on the date of the drawal the overdrawn amount shall be paid by him with interest thereon in one lumpsum or in default be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum from the endowments of the subscriber if the total amount to be recovered is more than half of subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest is recovered. The rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2.5% over and above the normal rate on Provident fund balance under Rule 11 (a). Interest on overdrawn amount shall be credited to the revenue account of the University.

(e) When the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery, of his subscriptions be deemed to be the first day of succeeding month.

12. ADVANCES FROM THE FUND

(1) The Vice-Chancellor or other Officer authorised by him may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or disability including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational courses beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised courses in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceeding instituted by the applicant for indicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty :

Provided that the advance under this sub-rule shall not be admissible to an applicant who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the University in respect of any condition of service or penalty imposed on him.

(e) to meet the cost of subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(f) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of plot or flat by the Delhi Development Authority or a State Housing Boad or a House Building Co-operative Society.

(g) to meet the cost of travel abroad of the applicant when permitted by the Executive Council to attend academic conference, symposia or for academic technical work.

NOTE : The Executive Council may in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of the advance if the Council is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned above.

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in clause (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance;

(3) When an advance is sanctioned under clause (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

NOTE 1.—For the purpose of this statute, pay includes pay, dearness pay where admissible.

NOTE 2.—The appropriate sanctioning authority for the purpose of this statute is as specified in sub-rule (1) of rule 12.

NOTE 3.—A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of clause (1) of this statute.

13. RECOVERY OF ADVANCES

(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four. In special cases, where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under clause (2) of Rule 11, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty six. A subscriber may, at this option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made from the emoluments and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn.

(3) Recoveries made under this Rule shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

14. WITHDRAWAL FROM THE FUND

Subject to the conditions specified therein, withdrawal from the fund may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under Rule 12 (2) at any time :—

(A) After the completion of twenty years of services (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational courses beyond the High School stage: and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters, and any other female relations actually dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness including where necessary the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(B) After the completion of ten years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the fund for one or more of the following purposes, namely :—

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from University at a place other than the place of duty;

(f) constructing a house on a site purchased under sub-clause (c).

(C) Acquiring a farm land or business premises or both within six months before the date of the subscriber's retirement.

NOTE 1.—A subscriber who has availed himself of an advance or has been allowed any assistance for the grant of advance for house building purpose by the University shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clause (a), (c), (d) and (f) of clause (B) for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken from the University subject to the limit specified in the provision to Rule 15.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with assistance of loan taken from the University, he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (a), (c) and (f) of clause (8) for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE 2.—Withdrawal under sub-clauses (a), (d), (e) or (f) of clauses (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

NOTE 3.—The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is 3/4th of balance (as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

NOTE 4.—Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE 5.—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this Rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh

plan duly approved by the local municipal body or the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) or completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 3.

NOTE 6.—A withdrawal under this Rule shall not be sanctioned if an advance under Rule 12 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

15. CONDITIONS FOR WITHDRAWAL

(1) Any sum withdrawal by a subscriber at any time for one or more of the purpose specified in Rule 14 from the amount standing to his credit in the fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months pay of the subscriber, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this upto three-fourths of the balance at his credit in the Fund, having due regard to

(i) the object for which the withdrawal is being made;

(ii) the status;

(iii) the amount to his credit in the fund.

Provided further that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (B) of Rule 14 shall exceed the maximum limit subscribed under the relevant rules of the House Building Advance Rules.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund under Rule 14 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in one lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Executive Council.

(3) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a) sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of Rule 14 to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the President), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Executive Council.

Provided that such permission shall not be necessary for

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation of any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Executive Council, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumpsum to the fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber whether in one lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

9—159GI/91

16. CONVERSION OF AN ADVANCE INTO A WITHDRAWAL

A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under Rule 12 for any of the purpose specified in Rule 14 may convert at his discretion by written request addressed to the sanctioning authority the balance outstanding into a final withdrawal, on his satisfying the conditions laid down in Rule 14.

17. FINAL WITHDRAWAL OF ACCUMULATIONS IN THE FUND

When a subscriber quits the service of the University the amount standing in his credit in the Fund shall be payable to him:

Provided that a subscriber who has been dismissed from the service of the University and is subsequently reinstated in service, shall, if required to do so, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this Rule with Interest thereon at the rate provided in Rule 11 in the manner provided in the Provision to Rule 18, the amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation.—A subscriber who is granted refused leave shall be deemed to have quit the service from the date of compulsory retirement or the expiry of an extension of service.

18. RETIREMENT OF A SUBSCRIBER

When a subscriber:—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is entitled to vacation, on leave preparatory to retirement combined with vacation, or

(b) while on leave, has been permitted to retire, or has been declared by the Consulting Medical Officer of the University or by a Competent Medical authority that may be prescribed by the Executive Council in this behalf to be unfit for further service, the amount standing to his credit in the fund shall, upon an application made by him in that behalf to the Finance Officer, become payable to the subscriber.

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, if required to do so, repay to the Fund for credit to his account the amount paid to him from the Fund in pursuance of this Rule with interest thereon at the rate provided in Rule 11 by instalments or otherwise as may be directed by the Officer authorised to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under Rule 12 (2).

19. PROCEDURE ON DEATH OF A SUBSCRIBER

On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made:

(i) When the subscriber leaves a family:—

(a) If a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Rule 6 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) If no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to:—

(1) sons who have attained maturity;

(2) sons of a deceased son who have attained maturity;

(3) married daughters whose husbands are alive :

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive,

If there is any member of the family other than these specified in clauses (1), (2), (3) and (4).

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first provision.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Rule 6 in favour of any persons or persons subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

20. DEPOSIT-LINKED INSURANCE SCHEME

On the death of a subscriber, the persons entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Finance Officer, an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately proceeding the death of such subscriber subject to the condition that :—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years proceeding the month of death have fallen below the limits of :—

(i) Rs. 4,000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post of the aforesaid period pay scale of which is Rs. 4,000/- or more;

(ii) Rs. 2,500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post of the maximum of the pay scale of which is Rs. 2,900/- or more but less than Rs. 4,000/-.

(iii) Rs. 1,500/- in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,150/- or more but less than Rs. 2,900/-.

(iv) Rs. 1,000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1,150/-.

(b) The additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000/-.

(c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

PAYMENT

21. MANNER OF PAYMENT OF AMOUNT IN THE FUND

(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall be the duty of the Finance Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in clause (2).

(2) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amount are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber namely :—

(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either three months in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instruction that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Finance Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the Fund.

The application shall be made :—

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts statement for one year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts statement has not been received by the subscriber.

(ii) The Finance Officer shall, after check of the application for its completeness and verification with the ledger account, issue an authority for payment at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

(iii) The authority for payment will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (1) plus the refund of instalment against advances which were current at the time of the first application.

(iv) after forwarding the application for final payment to the Finance Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Finance Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

Note : When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under these Rules, the Finance Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in clause (iii).

PROCEDURE

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNT

22. ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS TO BE SUPPLIED TO SUBSCRIBER

(1) As soon as possible after the close of each year on 31st March the Finance Officer shall send to the subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Finance Officer shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber :—

(a) desires to make an alteration in any nomination made under Rule 6.

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the provision to sub-rule (1) of Rule 6.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Finance Officer within three months from the date of the receipt of the statement.

(3) The Finance Officer shall, if required by a subscriber once, but not more than once in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

23. INVESTMENT OF FUND

All sums paid into the Fund under the rules shall be credited in the books of the University to an account named "General Provident Fund Account of the University. A deposit account shall be opened in such Scheduled Bank as the University may decide upon from time to time to be operated in such manner as the Executive Council may direct. The balance of the Fund, after reserving suitable amounts for current needs, shall be invested in the National Savings certificates and/or other investment covered by section 20 of the Indian Trust Act of 1982, as soon as possible after monthly accounts are closed.

The interest received from the above investments shall be credited as receipts in the revenue account of this University.

Sums of which payment has not been taken within six months after they became payable under these rules shall be transferred to "Deposits" at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

24. ALTERATION IN THE RULES

(1) The power of amending or adding to or repealing these rules or any of them shall vest in the Executive Council.

(2) Save as otherwise provided for in Rule 20, these rules and any amendments thereto shall be binding on every subscriber and every person deriving title from him.

25. POWER TO RELAX

Relaxation of the provisions of the rules in individuals case

When the Executive Council is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber the Council may, notwithstanding anything contained in these rules, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to be just and equitable.

SECTION-II

PENSION-CUM-GRATUITY

26. PENSION

Every employee governed by the provisions of G.P.F. Scheme under Appendix-A shall be entitled to a pension according to the Rules provided hereinafter.

27. Subject to such conditions as may be applicable to the categories of pension set out below, no person shall be eligible for pension unless he has put in a minimum of ten years of qualifying service in the University; provided that the minimum age after which service counts for pension shall be eighteen years.

28. Temporary employees who retired on superannuation or permanently incapacited for further service by the appropriate medical authority after rendering 10 years of service shall be eligible for pension on the same scale as admissible to those in permanent employment.

29. DEFINITIONS

(a) In these rules, unless the context otherwise requires :—

(b) *Average Emoluments*

"Average Emoluments means average emoluments as determined in accordance with Rules 44.

(c) *Child*

"Child" means a child of the employee who, if a son, is under twenty-one years of age and if a daughter, is unmarried and is under thirty years of age and the expression "Children" shall be construed accordingly;

(d) *Emoluments*

"Emoluments" means emoluments as defined in Rule 43.

(e) *Special Pay*

"Special Pay means an addition in the nature of pay to the emoluments of a post or of a person granted in consideration of the specially arduous nature of his duties or of a specific addition to his work or responsibility.

(f) *Personal Pay*

"Personal Pay" means additional pay granted to a person :—

(i) to save him from a lose of substantive pay in respect of a permanent post owing to revision of pay or to any reduction of such substantive pay otherwise than as disciplinary measure; or

(ii) in exceptional circumstances on other personal

(iii) In exceptional circumstances on other personal considerations.

(g) *Family Pension*

"Family Pension" means Family Pension admissible under Rule.

(h) *Gratuity*

Gratuity includes :—

(i) "Service gratuity" payable under Rule 43.

(ii) "Death-cum-retirement gratuity" payable under Rule.

(i) *Tenure Post*

"Tenure Post" means a permanent post which an individual may not hold for more than a limited period.

(j) *Minor*

"Minor" means a person who has not completed the age of eighteen years.

(k) *Pension*

"Pension includes gratuity except when the term pension is used in contra-distinction to gratuity.

(l) *Qualifying Service*

"Qualifying Service" means service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pensions and gratuities admissible under these rules.

(m) *Retirement Benefits*

"Retirement Benefits" includes pension or service gratuity and death-cum-retirement gratuity, where admissible;

30. GENERAL CONDITIONS

Regulation of claims to pension or family pension : (a) Any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from.

(b) Service or die, as the case may be. The day on which an employee retires or is retired or is discharged, as the may be, shall be treated as his last working day. The date of death shall also be treated as a working day.

31. PENSIONS SUBJECT TO FUTURE GOOD CONDUCT

(a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules.

(b) The appointing authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or, a part thereof, whether permonently or for a specified period, if the pensioner is convicted of serious crime or is found guilty of grave misconduct.

32. QUALIFYING SERVICE

Commencement of Qualifying Service

The qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is appointed either substantively or in an officiating temporary capacity provided that Officiating or temporary service is followed without interrupttion by substantive appointment in the same or another service or post, except in respect of periods of service paid from the contingencies.

33. COUNTING OF SERVICE ON PROBATION

Service on probation against a post if followed by confirmation in the same or another post shall qualify.

34. COUNTING OF PERIODS SPENT ON LEAVE

(1) All leave during service for which leave salary is payable (including all extra-ordinary leave granted on medical certificate) shall count as qualifying service.

(2) The period spent on deputation or training or deputation for any special purpose including periods of travel to and from the country of deputation shall count as qualifing service : Provided that if the employee has availed himself

of any extra-ordinary leave without any allowance during the period of deputation, the period of such extraordinary leave shall be excluded except as provided under sub-rule (1) above

(3) (a) Extra-ordinary leave may be allowed to count as qualifying service at the discretion of the appointing authority, in the following circumstances :—

(i) if it is taken on appointment in another University Institution/authority or the person concerned makes necessary contribution towards his pension.

(ii) If it is taken for academic pursuits directly connected with the teaching/research job of the employee in the University.

(iii) If it is taken due to the inability of the person concerned to join or rejoin duty due to civil commotion or a natural calamity or any other cause beyond his control provided that he has no other type of leave to his credit; and

(4) Unauthorised absence in continuation of authorises leave of absence shall not count as qualifying service.

35. COUNTING OF PERIODS OF SUSPENSION

The period spent by an employee under suspension pending inquiry into conduct shall count as qualifying service where, Non conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to be wholly unjustified, in other cases, the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the statues governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the council may declare.

36. FORFEITURE OF SERVICE ON DISMISSAL OR REMOVAL

Dismissal or removal of an employee from a service or post entails forfeiture of his past service.

37. COUNTING OF PAST SERVICE ON REINSTATEMENT

(a) An employee who is dismissed, removed or compulsorily retired from service, but is reinstated an appeal or review, is entitled to count his post service of qualifying service.

(b) The period of interruption in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order or reinstatement.

38. FOREFEITURE OF SERVICE ON RESIGNATION

Resignation from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails forfeiture of past service.

39. EFFECT OF INTERRUPTION IN SERVICE

(1) An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past service except in the following cases :—

(a) authorised leave of absence.

(b) unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of absentee is not filled substantively.

(c) Suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the employee dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement while under suspension.

(d) Joining time while on transfer from one post to another.

(2) Not withstanding anything contained in clause (1) the appointing authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave.

40. CONDONATION OF INTERRUPTION IN SERVICE

No interruption in service caused by resignation dismissal or removal from service or for participation in a strike shall be condoned.

41. ADDITIONS TO QUALIFYING SERVICE

An Employee may, with the approval of the Executive Council, to this service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) the actual period not exceeding onefourth of the full length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years or a period of five years whichever is least if the post is one (a) for which post graduate research or specialist qualifications or experience in scientific technological or professional field is essential and (b) to which candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited.

Provided that this concession shall not be admissible to any such employee unless his actual qualifying service at the time he quits the University service is not less than the ten years.

42. TRANSFER OF EMPLOYEES FROM CENTRAL GOVT. CENTRAL UNIVERSITY OR AUTONOMOUS BODIES OF CENTRAL GOVT.

(1) Subject to any amendment being made in this behalf by the Govt of India from time to time, where an employee of Central Government/Central University/autonomous of Central Govt. including a statutory body, is to be absorbed in the University, such of the past service rendered by him as would have counted for retirement benefits in that Government/Organisation should count for retirement benefits payable by the University subject to the following :

(a) The transfer is with the consent of the parent Government/organisation and is in public interest

(b) The employee has not opted to receive prerata retirement benefits from the parent government/organisation.

(c) The Central Government/autonomous bodies of Central Govt. including a statutory body, discharges its pension liability, paying in lumpsum by a one time payment the pro-rata pension/service gratuity terminal gratuity/and retirement gratuity for the service upto the date of absorption in the University.

(d) In case the employee is one CPF Scheme the accumulation in the CPF account and the capitalised value of gratuity if any shall be transferred by the parent government/organisation to the University at the time of permanent absorption. If however, the employees has opted, within one year of permanent absorption, for counting past service rendered in the parent body as qualifying or pension by foregoing employers share of CPF contribution with interest such accumulations alongwith capitalised value of gratuity if any, be transferred by the parent organisation to the University at the time of permanent absorption.

(2) When an employee of State Govt/State University is permanently absorbed in the University.

(1) On his permanent absorption in the University such of the past services of an employee of State Government/State Government University as would have counted for retirement benefits in state Govt/State University should coupt for retirement benefits payable by the University provided that the transfer is certified to be in public interest of which the Executive Council of the University shall be the sole judge, subject to the following :—

(a) The transfer is with the consent of the State Govt./State University.

(b) The State Government/State University concerned pays to the University at the time of his permanent absorption in the University, the capitalised value of the retirement benefits in respect of the past service of the employee in that organisation;

(c) In case the employee in question is on contributory Provident Fund Scheme the accumulation in his contributory Provident Fund account shall be transferred by State Govt./State University to the University at the time of permanent absorption.

(3) When an employee of the University is transferred to Central Govt., Central Govt. autonomous bodies, Public Sector undertakings and autonomous bodies under the State Govt. :—

The orders issued by the Govt. of India and as may be amended from time to time, regarding grant of pro-rata retirement benefits or benefits of combined service under autonomous bodies to the employees of Central Government in the event of their transfer/ permanent absorption in the autonomous bodies, public sector undertakings etc. will apply mutatis mutandis in case of transfer of employees of Pondicherry University to Central Govt./autonomous bodies etc.

(4) In all cases of absorption where the liability of retirement benefits is to be borne by a body other than the University, prior approval of that body to the arrangements proposed should be obtained.

43. EMOLUMENTS

The expression "emoluments" means pay, special pay, personal pay and any other emoluments specially classed as pay and also include dearness pay which an employee receiving immediately before his retirement or on the date of his death. In respect of employees who have come over to the revised scale of pay introduced with effect from 1-1-86 the emoluments means basic pay only from that date.

44. AVERAGE EMOLUMENTS

Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by an employee during the last months of his service, provided that if during the last ten months of service an employee had been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension the period whereof does not count as service the above said period of leave or suspension shall be dis-regarded in the calculation of average emoluments and an equivalent period before the 10 months shall be included.

45. CLASSES OF PENSIONS AND CONDITIONS GOVERNING THEIR GRANT

(1) Subject to the minimum qualifying service, an employee shall be eligible for one or other of the following classes of pensions, depending upon the circumstances of the cases :—

(a) *Compensation Pension.*—If an employee is discharged owning to the abolition of the permanent post and it is not possible to provide him with alternate employment or when a lower post is offered but not accepted by him, he shall be granted a compensation pension on the scale prescribed in Rule below.

(b) *Invalid Pension.*—An invalid pension shall be granted to an employee on retirement from the service of University for permanent physical or mental disability incapacitating him for further service, if certified by the competent Medical Authority as may be prescribed by the Executive Council on the scale prescribed in Rule below.

In respect of an employee who retires on invalid pension the amount of invalid pension shall not be less than the amount of the family pension under Rule 65.

(c) *Superannuation Pension.*—A superannuation Pension shall be granted to an employee who is retired from service on his attaining the age of compulsory retirement.

(d) *Retiring Pension.*—A retiring pension shall be granted to an employee who is permitted to retire after completing twenty years of qualifying service or retired prematurely in advance of the age of superannuation. Provided that in the event of retirement after twenty years of qualifying service but before the completion of the age of superannuation the employee concerned shall give in this behalf a notice in writing to the Registrar at least three months before the date on which he wishes to retire.

(2) In the case of voluntary retirement after the completion of twenty years, weightage upto five years will be added to the qualifying service of the Official provided that :—

(a) that the total qualifying service including the weightage does not exceed 33 years;

(b) the period does not go beyond the date of normal superannuation of the Official;

(c) the weightage of service shall not entitle the employee to any notional fixation of pay for the purposes of calculating pension and gratuity.

(d) this sub-rule shall not apply to an employee who retires from the University service for being absorbed permanently in autonomous body or public sector undertaking.

(e) *Compulsory Retirement Pension.*—An employee compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

(f) *Compassionate Allowance.*—(i) An employee who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity :

Provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension.

(ii) A compassionate allowance sanctioned under the proviso to clause (1) shall not be less than the amount of minimum pension, per mensum admissible under these rules.

46. AMOUNT OF PENSION

(1) In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of these rules before completing qualifying service of ten years the amount of a service gratuity shall be admissible as calculated at uniform rate of half months emoluments for every completed six monthy period of service.

(2) (a) In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than thirty three years the amount of pension shall be determined at the rate of 50% of the average emoluments subject to a minimum of Rs. 375 and a maximum of Rs. 4,500/- per mensum.

(b) In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of these rules before completing qualifying service of thirty-three years, but after completing qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension admissible under clause (a) and in no case the amount of pension shall be less than Rs. 375/- per mensum and more than Rs. 4,500/- per mensum.

(c) notwithstanding anything contained in clause (a) and clause (b) the amount of invalid pension shall not be less than the amount of family pension admissible under rule. 61.

(3) In calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to (three months) and above shall be treated as a completed one-half year and reckoned as qualifying service.

(4) The amount of pension finally determined under subclause (a) or subclause (b) of clause (2) shall be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee it shall be rounded off to the next higher rupee.

47. COMMUTATION OF PENSION

An employee shall subject to the conditions specified below be allowed to commute for lumpsum payment of a fraction not exceeding one third of his pension granted to him.

(i) No commutation shall be sanctioned without the medical certificate of competent medical authority as may be prescribed by the Council, except in the cases of employees retiring on compensation pension, superannuation or retiring pension (including those absorbed in or under a Corporation or autonomous body and elect to receive monthly pension) provided the application for commutation is made within a year of the date of retirement.

(ii) The lumpsum payable on commutation shall be calculated in accordance with the table of value prescribed by Government of India for its employees and applicable to the applicant on the date on which the commutation becames absolute.

(iii) The commutation of pension shall become absolute on the date of receipt of application in the prescribed form by the Registrar or on the date following the date of retirement, whichever is later. In the case of commutation after medical examination the date will be the date on which the medical officer signs the medical certificate.

(iv) The reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from the date of receipt of the amount of commuted value of pension or at the end of three months after issue of authority by the Finance Officer for the payment of commuted value of pension, whichever is later.

(v) Such University pensioners who will complete 15 years from their respective dates of retirement will have their commuted portion of pension restored.

(vi) University employees who get themselves absorbed under Central Public Sector Undertakings/autonomous bodies and have received/or opt to receive commuted benefits equal to the commuted value of balance amount of pension left after commuting 1/3rd of pension are not entitled to any benefit under sub-rule (v) as they cease to be University Pensioners.

(vii) Each pensioner who is eligible as in sub-rule (v) above is required to apply in the prescribed form, duly completed, to the Finance Officer of the University who will restore the commuted portion of pension if the commuted amount has been mentioned in the pension payment order and will also pay the arrears, if any.

SECTION III

GRATUITY

48. An employee who has completed five years of qualifying service in the University and has become eligible for service gratuity or pension under Rule 43 as well as temporary employee who retired on superannuation or on invalidation after rendering 10 years of service and has become eligible for pension shall on his retirement be granted, in addition, retirement gratuity in accordance with the scale indicated in Rule. 52. In the event of his demise, this gratuity shall be payable to the nominee or nominees of the decease in the manner prescribed (Forms).

No gratuity shall be payable on resignation from the service of the University or dismissal or removal from it for misconduct, insolvancy or inefficiency not due to age.

49. If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist the gratuity shall be paid in the manner indicated below :

(a) If there are one or more survivng members of the family as in the following sub-clauses (aa), (bb), (cc), and (dd), to all such members in equal shares :

(aa) wife or wives, in the case of a male employee.

(bb) husband in the case of a female employee,

(cc) Sons including step sons and adopted sons,

(dd) unmarried daughters including step-daughters and adopted daughters.

50. If there are no such surviving members of the family as in Clause (a) above, but there are one or more members as in the following Sub-Clauses (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg) to all such members in equal shares :

(aa) Widowed daughters including step-daughters and adopted daughters.

(bb) father : including adoptive parents in the case of

(cc) mother : individual whose personal law permits adoption.

(dd) brothers below the age of eighteen years including step-brothers.

(ee) unmarried sisters and widowed sisters including step-sisters

(ff) married daughter; and

(gg) children of pre-deceased son

NOTE 1 : The right of a female member of the family or that of a brother, of an employee who dies while in service or after retirement, to receive the share of gratuity shall not be affected if the female member marries or remarries or the brother attains the age of eighteen years, after the death of the employee and before receiving her or his share of the gratuity.

NOTE 2 : Where gratuity is granted under this rule to a minor member of the family of the deceased employee, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

NOTE 3 : Where an employee dies while in service, or after retirement without receiving the amount of gratuity and—

(a) leaves behind no family; or

(b) has made no nomination; or

(c) the nomination made by him does not subsist;

51. The amount of death-cum-retirement gratuity payable to him under this rule shall lapse to the University.

52. RETIREMENT GRATUITY

The amount of Retirement gratuity shall be one fourth of the emoluments of an emloyee for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16½ times the emoluments.

Provided that in no case it shall exceed Rs. 1,00,000.

Provided further that the amount of Retirement gratuity; finally calculated should be rounded off to the next higher rupee.

53. RESIDUARY GRATUITY

If an employee who has become eligible for a pension or gratuity dies within a period of five years after he retires from the service of the University, including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of death on account of such pension together with the gratuity granted under the above provisions and the commuted value of any portion of the pension commuted by him are less than the amount equal to twelve times the emoluments, a gratuity equal to the deficiency shall be granted to the person or persons nominated by him.

54. DEATH GRATUITY

In the event of death in harness, the Death Gratuity shall be admissible at the following rates:

Length of Service	Rate of Gratuity
(1) Less than one year	2 times of emoluments
(2) One year or more but less than 5 years	6 times of emoluments
(3) 5 years or more but less than 20 years	12 times of emoluments
(4) 20 years or more	Half the emoluments for every completed six months period of qualifying service subject to maximum of 33 times emoluments provided that the amount of Death Gratuity shall in no case exceed one lakh rupees

55. The emoluments for the purpose of Retirement Gratuity under Rule 51 to 54 shall be reckoned in accordance with Rule 29 (d) provided that if the emoluments of an employee has been reduced during the last ten months of his service otherwise than as a penalty, average emoluments as referred to in Rule 29(b) shall be treated as emoluments.

56. TEMPORARY EMPLOYEES WITH LESS THAN TEN YEARS OF SERVICE

1. Terminal Gratuity

A temporary employee who retires on superannuation or is declared invalid for further service before completion of 10 years of service or is discharged on account of retrenchment will be eligible for a gratuity at the rates indicated below :

Length of Service	Terminal Gratuity admissible
5 years and above but less than 10 years	Half a months pay for each completed year of service.

Provided that the service is continuous and satisfactory.

Provided that where the service rendered by the employee is not held to be satisfactory, by the authority competent to appoint and such authority may be order and for reasons to be mentioned therein make such reduction in the amount of gratuity as it may consider proper.

Provided also that the amount of terminal gratuity payable under this sub:clause shall not be less than the amount which the employee would have got as a matching University's Contribution to Provident Fund, if he were the member of Contributing Provident Fund Scheme from the date of his continuous temporary service, subject to the condition that the matching contribution shall not exceed 8% of his pay.

Provided further, in the case of compulsory retirement as a disciplinary measure, the rate of gratuity payable in his case shall not be less than two thirds of pay in no case exceeding the rate specified for corresponding continuous service.

2. Death Gratuity

The family of a temporary employee, (With less than 10 years service) who dies while in service will be eligible for a death gratuity on the same scale and subject to the conditions as laid down in Rule 49.

No gratuity shall be admissible under this Rule to an employee who is re-employed after retirement on superannuation or retiring pension.

Note.—For the purpose of this rule

(a) 'Pay' will mean only basic pay. It will not include special pay, personal pay and other emoluments classed as pay. In case the employee concerned was on leave with or without allowances, pay for this purpose will be the pay which he would have drawn had he not proceeded on such leave

SECTION IV

FAMILY PENSION

57. The Family Pension Scheme as detailed below will be applicable to regular employees in pensionable service—temporary or permanent.

It will be administered as below :

For those who opt for G.P.F.-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, the following provisions will apply :—

The Family pension, the amount of which shall be determined in accordance with the Table below sub-rule (a) of Rule 65 will be admissible to the family of the deceased in case of death of the employee while in service, or after of the employee while in service, or after retirement from service and on date of death the retired officer was in receipt of pension. In case of death while in service the employee should have completed a minium period of one year of continuous service or before completion of one year of continuous service, the deceased employee was medically examined and found fit by the appropriate medical authority immediately prior to his appointment.

Note.— Continuous service mean service rendered in a temporary or permanent capacity in a pensionable service and does not include (1) period of suspension if any, and (2) period of service rendered before attaining the age of 18 years.

58. "FAMILY" for purposes of this scheme will include the following relatives of the employee :

(a) Wife in the case of male officer;

(b) Husband in the case of female officer;

(c) Son; who has not attained the age of 21 years;

(d) Unmarried daughter; who has not attained the age of 30 years.

Note I. (c) and (d) will include children adopted legally before retirement but not include son or daughter born after retirement.

II. Marriage after retirement will not be recognised for the purpose of the scheme.

59. The pension will be admissible :—

(a) In the case of widow/widower upto the date of death or remarriage whichever is earlier.

(b) In the case of a minor son until he attains the age of 21 years.

(c) In the case of an unmarried daughter until she attains the age of 30 years or marriage whichever is earlier.

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 21 years in the case of son and 30 years in the case of daughter, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :

(i) If such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in item (c) of sub rule 58 of this rule until the last minor child attains the age of

21 or 30, as the case may be, and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled the family pension shall be payable to him/her for life.

(ii) If there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind who are physically crippled or disabled the family pension shall be paid in the following order, namely :

(a) firstly to the son and if there are more than one son, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder;

(b) secondly, to the daughter, and if there are more than one daughter, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder.

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the sanctioning authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer not below the rank of Civil Surgeon setting out, as far as possible the exact mental or physical condition of the child :

(v) The person receiving the family pension as guardian of such son or daughter shall produce (i) every three years a certificate from a medical officer not below the rank of Civil Surgeon to the effect that he or she continuous to suffer from disorder or disability of mind or continue to be physically crippled or disebled. (ii) every month a certificate (a) that the beneficiary has not started his/her livelihood (b) in case of daughter that she has not yet married, as the case may be.

Note 1. Where an deceased employee is survived by more than one widow, the pension will be paid to them in equal shares. On the death or re-marriage of widow her share of pension will become payable to her eligible minor child. If at the time of her death/re-marriage a widow leaves no eligible minor the payment of her share of pension will cease.

Note 2. Where the deceased employee is survived by a widow but has left behind an eligible minor child from another wife, the eligible minor child will be paid the share of the pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee.

60. (a) Except as provided in notes (1) & (2) below sub rule 59 the family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

(b) If a deceased employee or pensioner leaves behind a widow or widower the family pension shall become payable to the widow or widower failing which to the eligible child.

(c) If sons and unmarried daughters are alive unmarried daughters shall not be eligible for family pension unless the sons attains the age of eighteen years and thereby become ineligible for the grant of family pension.

61. In the event of re-marriage or death of widow/widower the pension will be granted to the minor children through their natural guardian. In disputed cases, however, payment will be made through a legal guardian.

62. When both husband and wife are employees and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased is payable to the surviving husband/wife and in the event of the death of husband or wife the children of the deceased couple will be granted two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below :

(i) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions and if both or one of the family pension is at the higher rates mentioned in rule 61 below the amount of both the pension shall be limited to Rs. 2500/- p.m.

(ii) if both the family pension are payable at the lower rates mentioned in sub-rule 61 below, the amount of two pensions shall be limited to Rs. 1,250/- p.m.

63. Family pension admissible under these rules shall not be granted to a person who is in receipt of family pension or is eligible therefore under any other rules of the Central or a State Government and/or public sector undertaking/autonomous body/Local Fund under the Central or State Government.

64. The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee it shall be rounded off to the next higher rupee, provided in no case a family pension in excess of the minimum prescribed shall be allowed.

65. (a) Under the scheme, the family of the deceased shall be entitled to a family pension the amount of which shall be determined in accordance with the table below :

Sl. No.	Pay of the employee	Amount of monthly family pension
(a)	Not exceeding Rs. 1,500/-	30% of basic pay subject to a minimum of Rs. 375/-
(b)	Exceeding Rs. 1500 but not exceeding Rs. 3000/-	20% of basic pay subject to a minimum of Rs. 450/-
(c)	Exceeding Rs. 3,000/-	15% of basic pay subject to a minimum of Rs. 600/- and a maximum of Rs. 1250/-

(b) (i) In the event of the death of an employee while in service after having rendered not less than seven years continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50% of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub-clause (a) whichever is less and the amount so admissible shall be payable from the date of death of the employee, for a period of seven years or upto the date on which he would attain the age of 65 years had he survived.

(ii) In the event of the death after retirement the family pension at enhance rates shall be payable upto the date of which the employee would have attained the age of 65 years had he survived or for seven years from the date of retirement whichever period is less but in no case the amount of family pension shall exceed the pension sanctioned to the employee at the time of retirement. However, in cases where the amount of family pension admissible as per the sub-clause (a) above exceeds the pension sanctioned at the time of retirement, the amount of family pension sanctioned under this sub-clause shall not be less than that amount. The pension sanctioned at the time of retirement shall be the pension inclusive of any portion which may have been commuted before death.

NOTE : 'PAY' for the purposes of sub-Rule (a) of Rule 65 shall mean (i) the emoluments as defined in Rule 43 or (ii) the average emoluments as defined in Statute 44 if the emoluments of the deceased employee have been reduced during the last ten months of his service otherwise than as penalty.

66. All employees entitled to the benefit of family pension shall be required to furnish details of their 'family' as defined in rule 58 above i.e. the date of birth of each member with his, her relationship with employee in Form III. This statement shall be countersigned by the Registrar and pasted in the service record of the employee. The employee will, therefore be required to keep the statement upto date. Addition and alterations in this statement will be made by the Registrar from time to time on receipt of information from the employee concerned.

67. In cases where death occurs while in service the Registrar on receiving information of death of an employee while in service shall send a letter as prescribed in Form to the family of the deceased and ask for necessary documents mentioned therein. On receiving the documents the Register shall take necessary action to sanction the pension to the eligible member of the family.

SECTION—V

EXTRAORDINARY PENSION

68. The grant of disability pension, compensation in lieu of disability pension, consolidated extra-ordinary family pension may be sanctioned by the Board of Management on the advice of an ad-hoc committee when an employee sustain injury or dies as a result of an injury or is killed, In making the award the Board of Management will take into consideration the degree of the fault or contributory negligence on the part of an employee who substains injury or dies as a result of an injury or is killed.

69. The said ad-hoc committee shall consist of five members, four appointed by the Board of Management from amongst themselves and fifth member will be the representative from the Ministry of Finance, Government of India.

70. The amount payable will be at the same rates and on the same conditions as laid down by Government of India in CCS (Extraordinary Pension) Rules as amended from time to time.

71. When a claim for any disability pension or extra-ordinary family pension arises to be placed before the Board of Management through Registrar with the following documents :

(a) A full statement of circumstances in which the injury was received, the disease was contracted or the death occurred;

(b) The application for disability pension or extra-ordinary family pension as the case may be in the form prescribed.

(c) In the case of injured member of staff a medical report or in the case of diseased member of staff a medical report in the form prescribed. In the case of deceased member of the staff a medical report as to the death or reliable evidence as to the actual occurrence of the death if the member of the staff lost his life in such circumstances that a medical report cannot be secured.

72. Notwithstanding anything contained in these statutes, any amendements to the Central Government. Rules relating to the GPF, Pension, Gratuity, etc. shall be deemed to be the amendments of the relevant provisions of the Statutes or any order or administrative instructions already issued/ to be issued by the Central Government shall be deemed to be the orders or administrative instructions under these statutes with effect from the date of such amendments/orders subject to the condition that no new scheme or benefit which is not already covered in the Central University Retirement Benefit Rules and is not admissible to Central University employees can be extended to them.

73. *Relaxation of the Provisions of the Statutes in Individual cases.*—Where it is satisfied by the Vice-Chancellor that the operation of any of these Statutes causes or is likely to cause undue hardship to any employee, he may, notwithstanding anything contained in these statutes, deal with the case of such employee in such manner as may appear to him to be just and equitable subject to the approval of the Executive Council.

74. *Interpretation.*—If any question arises relating to the interpretation of these statutes it shall be referred to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

FORM OF NOMINATION

FORM I

When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof.

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family as defined in Rule of the Pondicherry University General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Rules.....to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable, has not been paid:

Name and address of the nominee	Relationship with subscriber	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address & relationship if any to whom the right of the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the subscriber

Dated this.....day of.....19

at.....

(Signature of the subscriber)

Designation .....

Department .....

Two witnesses to signature

1 .....

2 .....

FORM OF NOMINATION

FORM II

When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in Rule of the Pondicherry University General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Rules ..... to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:

Name and address of the nominees	Relationship with subscriber	Age	*Amount or share of accumulation to be paid to each	Contingencies on the happenings of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the persons, if any to whom the right of the nominee shall pass in the event of the nominees' predeceasing the subscriber

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber the Fund at any time.

Dated this ..... day of.....19.....at.....

(Signature of the subscriber)

Designation .....

Department .....

Two witnesses to signature

1 .....

2 .....

FORM—III

Details of Family

Name of the employee . . . . . .

Designation . . . . . .

Date of birth . . . . . .

Date of appointment . . . . . .

Details of the members; family *as on . . . . . .

Serial No.	Name of the members of family*	Date of birth	Relationship with the officer	Initials of the Head of office	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

Place.....

Signature of employee

Date the .....

*Family for this purpose means family as defined in Rule 58 of Pondicherry University GPF-cum-Pension-cum-Gratuity Rules.

NOTE. Wife and husband shall include respectively judicially separately wife and husband.

FORM OF NOMINATION

FORM IV

When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person.

I having no family as defined in Rule of the Pondicherry University General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Rules of.....hereby nominate the persons mentioned below, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable or, having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:

Name and addressed of the nominee	Relationship Age with subscriber	*Amount or share of accumulation to be paid to each	**Contingencies on the happening of which the nomination shall become into valid	Name, address and relationship of the person, if any to whom the right of the nominee shall pass in the event of the nominee's predecesing the subscriber

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the fund at any time.

**Where a subscriber who has no family makes a nomination he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsedently acquiring a family.

Dated this.....day of.....19.....

at.....

(Signature of the subscriber)
Designation .. ....
Department .....

Two witnesses to signature:

1 .....

2 .....

FORM OF NOMINATION

FORM V

NOMINATION FOR DEATH-cum-RETIREMENT GRATUITY

When the employee has a family and wishes to nominate one member thereof

I, hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by the Pondicherry University.....

in the event of my death .....while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of the nominee	Relationship with the employee	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the employee or the nominee dying after the death of the employee but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each.

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .....which stands cancelled dated this.. .....day of..... 19..... .....

....
(Signature of the employee)

Two witnesses to signature:

1.....

2.....

Note: The last column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity

Nomination.....

Designation.....

Department.....

FORM OF NOMINATION

FORM VI

NOMINATION FOR GRATUITY

When the member of staff has a family and wishes to nominate more than one member there of

I, hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family and confer on them the righ to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by the Pondicherry University in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Names and addresses of nominees	Relationship with the employee	Age	Amount or share of gratuity payable to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee predeceasing the employee or the nominee dying after the death of the employee but before receiving payment of the gratuity	Amount***

***Amount or share of gratuity payable to each

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on.....which stands cancelled.

Note: The number of staff shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this.....day of.....19.....
at.....

.....
Signature of employee

Two witnesses to signature

1.....

2.....

Note 1. Fourth column should be filled in so as to cover the whole amount or gratuity

2. The amount/share of gratuity shown in last column should be the whole amount/share payable to the original nominees.

Nomination by .....

Designation .....

Department .....

.....
Signature of the Registrar
dated.....

FORM OF NOMINATION

FORM VII

NOMINATION OF ADDITIONAL GRATUITY

When the employee has no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by the Pondicherry University ..... in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement remains unpaid at my death :

Name and address of the nominee	Relationship with the employee	Age	Contingencies on the happening of which nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the employee or the nominee dying after the death of the employee but before receiving payment of the gratuity	Amount of share of gratuity payable to each

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on.....which stands cancelled.

Dated this.....day of.....19.....

.....at.....

.....

(Signature of employee)

Two witnesses to signature :

1.....

2.....

Nomination by .....

Designation .....

Department.....

.....

Signature of the Registrar

Dated .....

FORM OF NOMINATION

FORM VIII

NOMINATION FOR ADDITIONAL GRATUITY

When the employee has no family and wishes to nominate more than one person.

I, having no family, hereby nominate the persons mentioned below and confer on them the right to receive to the extent specified below any gratuity that may be sanctioned by the University in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement

Name and address of the nominees	Relationship with the employee	Age	*Amount or share of gratuity payable to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become valid	Name, address and relationship of person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the employee or the nominee dying after the death of the employee but receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each

*Note 1. This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

2. The amount/share of gratuity shown in last column should cover the whole amount of share payable to the original nominee.

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on.. .....which stands cancelled-

Note: The employee should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this.....day of.....19.....
at

Two witnesses to signature:

(Signature of the employee)
Dated .....

1 .....

2 .....

Nomination by.....Designation.....Department.....

FORM IX

FORM OF FAMILY PENSION

Subject : Payment of family pension in respect of the late Shri/Smt. .....

The undersigned has learnt with regret the death of Shri/Smt. .....
(Designation)
in this University and is directed to inform you that under Rule..... of Appendix A to Central Universities' Retirement Benefit Rules, you are entitled to Family Pension for life/till attaining the date of seniority.

I am accordingly to suggest that formal claim of the grant of family pension may be submitted by you in the enclosed form along with the following documents :

1. Death certificate.
2. Two copies of a passport size photograph duly attested by a gazetted officer.
3. Guardianship certificate where pension is admissible to the minor children.

(Designation)

To

.....
.....
.....

FORM X

FORM OF APPLICATION FOR INJURY PENSION OR GRATUITY

1. Name of applicant .....
2. Father's Name .....
3. Residence, showing village and pergunnah .....
4. Present or last employment Designation..... Dept./Section.....
5. Date of beginning of service at the Institute .....
6. Length of service including interruptions .....
7. Classification of injury .....
8. Pay at the time of injury .....
9. Proposed pension or gratuity .....
10. Date of injury .....
11. Place of payment .....
12. Date of application's birth by Christian era* .....
13. Date on which the applicant applied for pension .....

Place.....

Date.....

.....
(Signature of applicant)

Special remarks/any by the employee in-charge of the department/section/office

.....
Signature

FORM XI

FORM OF APPLICATION

For family of late.....
died of injuries received, as a result of special risk of office.

Submitted by Description of claimant	1. Name and residence, showing village and pargunnah	.....
	2. Age	.....
	3. Height	.....
	4. Marks for identification	.....
	5. Present Occupation and pecuniary circumstance	.....
	6. Degree of relationship to deceased	.....
Description of deceased	7. Name	.....
	8. Occupation and service	.....
	9. Length of service	.....
	10. Pay when killed	.....
	11. Nature of injury causing death	.....
	12. Amount of Pension or gratuity proposed	.....
	13. Place of payment	.....
	14. Date from which pension is to commence	.....
	15. Remarks	.....

Name and ages of surviving kindered of deceased	Name	Date of birth by Christian era
	Sons	
	Widows	
	Daughters	
	Father	
	Mother	

Note:—If the deceased has left no son, widow, daughter, father or mother surviving him, the word "none" or "dead" should be entered opposite to such relative.

Place.....

.....
Signature of Claimant

Date .....

Place .....

Signature of the employee Incharge of Department/Section

Date .....

8. *Realisation of Subscription*

(a) When emoluments are drawn from the University, recovery/refunds towards advances shall be made from the emoluments themselves.

(b) When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his dues monthly to Finance Officer.

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Finance Officer by such body.

9. *Contribution by the University*

(a) The University shall with effect from the 31st March of each year make a contribution to the amount of the subscriber an amount equal to eight per cent of subscriber's emoluments and such contribution shall be considered as credited to the fund on the day on which the subscription is deemed as paid to the fund, irrespective of such higher rate of subscription if any made by the employee.

(b) Provided that if a subscriber quits the service or dies during a year contribution shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of the casuality.

(c) Provided that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the rules not to, or does not, subscribe to the fund.

(d) Provided that if, through oversight or otherwise, the amount subscribed is less than the minimum subscription payable by the subscriber under rule 7 and if the short subscription together with the interest accrued thereon is not paid by the subscriber within such time as may be specified by the Officer competent to Sanction an advance for the grant of which special reasons are required, the contribution payable by the University shall be equal to the amount actually paid by the subscriber on the amount normally payable by University, whichever is less, unless, the University, in any particular case, otherwise directs.

(e) Should a subscriber elect to subscribe during leave, his leave salary for the purpose of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(f) The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise or more counting as the next higher rupee).

(g) The amount of contribution payable in respect of a period of foreign service shall unless it is recovered from the foreign employer be recovered by the University from the subscriber.

(h) Should a subscriber elect to pay arrears of subscriptions in respect of a period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period or retirement, shall for the purpose of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(i) If a subscriber is on duty out of India, the emoluments which he would have drawn had he been on duty in India shall, for the purpose of this rule be deemed to be emoluments drawn on duty.

10. *Subscriber's Accounts*

An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be credited :

(i) The subscriber's subscription.

(ii) Contributions made under rule 9 by the University, to his account.

(iii) Interest as provided in rule 11 on subscriptions and contributions.

(iv) Recovery of advance and withdrawals from the fund.

11. *Rate of Interest*

Interest on subscriptions and contributions :

11.1 The University shall pay to the credit of the account of each subscriber, interest for each year at the same rate as may be determined by the Government of India for each year for paying to the credit of the subscribers under G.P.F. (CCS) Rules 1960.

11.2 Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner.

11.3 On the amount at the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year less any sums withdrawn during the current year—Interest for twelve months.

11.4 On sums withdrawn during the current year Interest from the 1st of April of the current year upto the last day of the month preceeding the month of withdrawal.

11.5 On all sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year—Interest from the date of credit up to the 31st of March of the current year.

11.6 The total amount of interest shall be rounded to the nearest rupee (Fifty paise and above counting as the next higher rupee).

11.7 Provided that when the amount standing at the credit of a subscriber has become payable, interest thereon shall be credited under this sub-rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of credit as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of a subscriber becomes payable.

11.8 For the purpose of this rule, the date of credit shall in the case of recoveries from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is credited and in the case of amounts forwarded by the subscriber shall be deemed to be the first day of the month of receipt if it is received by Finance Officer before fifth day of the month and if received on or after the fifth day of that month, the first day of next succeeding month.

11.9 In all cases interest shall be paid in respect of balance at the credit of a subscriber upto the close of the month proceeding that in which payment is made or up to the end of the sixth month after the month which such amount forms payable whichever of these periods be less.

11.10 In case a subscriber is found to have overdrawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to the credit on the date of the drawal the overdrawn amount shall be paid by him with interest thereon the lumpsum or in default be ordered to be recovered by deduction in one lump-sum from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest is recovered. The rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2½ over and above the normal rate on Provident Fund balance under rule.

11.11 Interest on overdrawn amount shall be credited to the revenue account of the University.

11.12 Emoluments for a month drawn and paid on the last working day of the same month, the date of credit in the case of recovery of subscriptions be deemed to be the first day of succeeding month.

12. *Nominations*

A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Finance Officer a nomination in the prescribed form conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund, in the event of his death before that amount has become payable or having-become payable has not been paid .

12.1 Provided, that if, at the time of making nomination the subscriber has a family the nomination shall be in favour any person or persons other than the members of his family.

12.2 Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other fund to which he was subscribing before joining the Provident Fund shall, if the amount to his credit, in such other fund, has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

12.3 If a subscriber nominates more than one person under rule 12 he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

12.4 Every nomination shall be in the form 2(a), 2(b) or 2(c).

12.5 A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Finance Officer. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

12.6 A subscriber may provide in a nomination :

(a) In respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family;

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members of his family.

Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of rule 12.6 or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of rule 12.6 of the provision thereto, the subscriber shall send to the Finance officer a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

12.7 Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Finance Officer.

12.8 The University will not be bound by nor will recognise any assignment or encumbrance executed or attempted to be created which affects the disposal of the amount standing to the credit of a subscriber who dies before the amount becomes payable.

13. *Advance from the Fund*

(1) A temporary advance may be sanctioned by the Vice-Chancellor or other Officer authorised by University to a subscriber from the amount standing to his credit in the fund representing his share of subscription and interest thereon for one or more of the following purpose namely :—

(i) to pay expense in connection with the illness, confinement or disability, of the subscriber or any person actually dependent on him,

(ii) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(a) for education outside India for academic technical professional or vocational course beyond the High School stage; and

(b) for education in India for all academic, Medical, engineering or other technical or scientific courses, specialised courses in agriculture or veterinary beyond the High School stage provided that the period of study is for not less than three years in the aggregate.

(iii) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the applicant's status, which by customary usage, the applicant has to incur in connection with marriages, funerals or other ceremonies.

(iv) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for indicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source including the University.

Provided that the advance under this sub-clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceeding in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against University in respect of any conditions of services or penalty imposed on him.

(v) to meeet the cost of his defence, where the subscriber is prosecuted by University in any court of law or where the subscriber engaged a legal practitioner to defend himself in any enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(2) The sanctioning authority shall record in writing its reason for granting the advance.

(3) The amount of advance shall be three months pay or half the amount at the credit of the subscriber in the fund whichever is less. Provided that except for special reason to be recorded in writing, advance shall not be granted to any subscriber in excess of this limit.

(4) There should be an interval of six months between the sanction of two advances.

(5) The Vice-Chancellor may, in special circumstances sanction the payment to any subscriber of an advance, if he is satisfied that the subscriber concerned required the advance for the reasons other than those mentioned in the sub rules above.

(6) When there is an advance running, it should be consolidated when a second advance is sanctioned and the subsequent instalment for recovery of advance shall be re-fixed with reference to the consolidated amount. The advances shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct, but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and not more than twenty four. In special cases, where the amount of advance exceeds three months pay of the subscriber, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty four, but in no case, more than thirty six instalments.

A subscriber may, at his option, repay two or more instalments in a month. The amount of each instalment shall be in whole rupees.

(7) No interest shall be charged on the temporary advances.

(8) The recovery of the advance shall commence from the pay of the month following the one in which the advance is drawn

FORM TO BE USED BY CONSULTING MEDICAL OFFICER WHEN REPORTING ON INJURIES

Confidential

Report of the consulting Medical Officer on the present state of the injury sustained by disease contracted by ..... (Place of injury etc.) on..... (date of injury, etc.)

(a) State briefly the circumstances under which the injury/was gustained/disceased was contracted.

(b) What is the present condition of the employee ?

(c) Is the present condition of the employee wholly due to the injury/disease ?

(d) In the case of disease, from which date does it appear that the employee.....has been incapacitated ?

The opinion of the Consulting Medical Officer on the questions below is as follows :—

PART—FIRST EXAMINATION

The severity of the injury should be assessed in accordance with the following classification and details given in the remarks column below :

Is the injury—

(i) (a) the loss of an eye or a limb ? Yes/No
(b) the loss of more than one eye or a limb ?

(ii) more severe than the loss of an eye or a limb ?

(iii) equivalent to the loss of an eye or a limb ?

(iv) very severe ?

(v) severe and likely to be permanent ?

(vi) severe, but not likely to be permanent ?

(vii) slight but likely to be permanent ?

2. For what period from the date of the injury—

(a) has the employee been unfit for duty ?

(b) is the employee likely to remain unfit for duty ?

Remarks : Here the classification above may be amplified, if necessary, or details of additional injuries to the main injury may be given.

PART B—SECOND OR SUBSEQUENT EXAMINATION

If the original degree of disability of the employee has changed : in which of the above categories should it now be placed ?

Remarks :—In this space additional details may be given if necessary.

.....
Signature of Consulting Officer

Date .....

Instructions to be observed by the consulting Medical Officer in Preparing the report.

1. Before recording his opinion he should invariably consult the previous reports, if any, as also all medical documents connected with the employee on previous examinations brought before him for examination.

2. If the injuries be more than one they should be numbered and described separately and should it be considered that for instance, though only "severe" or "slight" in themselves they represent together the equivalent of a single "very severe" injury, such an opinion may be expressed in the columns provided.

3. In answering the questions in the prescribed form he will confine himself exclusively to the medical aspect of the case and will carefully discriminate between the unsupported statements of the employee and the medical and documentary evidence available.

4. He will not express any opinion, either to the employee examined, or in his report, as to whether he is entitled to compensation, or as to the amount of it nor will be inform the employee how the injury has been classified.

COMMUTATION TABLE

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purhcase
40	15.87	53	12.35
41	15.64	54	12.05
42	15.40	55	11.73
43	15.15	56	11.42
44	14.90	57	11.10
45	14.64	58	10.78
46	14.37	59	10.46
47	14.10	60	10.13
48	13.82	61	9.81
49	13.54	62	9.48
50	13.25	63	9.15
51	12.95	64	8.82
52	12.66	65	8.50

APPENDIX—B

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND-CUM-GRATUITY RULES

1. *Short Title*

These rules may be called the "Pondicherry University Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme".

2. *Definitions*

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(a) "University' 'means the Pondicherry University.

(b) "Executive Council" means the Executive Council of the Pondicherry University.

(c) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the Pondicherry University.

(d) "Registrar" means the Registrar of the Pondicherry Univeisity.

(e) "Finance Officer" means the Finance Officer of the Pondicherry University.

(f) "Emoluments" means pay, leave salary, or subsistence grant and includes :—

(i) Dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible upto 31-12-85 and for those who draw in the pre-revised scale of 1986.

(ii) Any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service.

(iii) Any wages paid by the University to employees not remunerated by fixed monthly pay.

(iv) Pension in the case of re-employed pensioners.

(g) "Family" means

(i) In the case of a male subscriber, the wife or wives and legitimated children of the subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber.

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him, or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family.

(ii) In the case of a female subscriber, the husband and legitimate children of the subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber. Provided that if a subscriber, by notice in writing to the Finance Officer, expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE : An adopted child shall be considered to be a child when the Registrar is satisfied that under the personal law of the subscriber concerned, adoption is legally recognised as conferring the status of a natural child.

(h) "Fund" means the Contributory Provident Fund established and maintained under these rules.

(i) "Subscriber" means a person eligible to subscriber to the fund under Rule 3 and subscribing thereto.

(j) Subscription means the sum paid to the fund by a subscriber under these rules.

(k) Contribution means the sum paid to the fund by the University under Rule 9.

3. *Application of Rules*

These rules shall apply to all the non-pensionable employees of the University, both teaching and non-teaching except the following :

(a) Persons appointed against purely temporary vacancies, part-time servants and daily wages staff who are not entitled to the benefit of the fund under their conditions of service.

(b) Employees of the Central Government or any State Government who may be serving with the University on Foreign Service Terms and in respect of whom the University pays leave and pension contributions, unless any decision to the contrary is taken at the time of their appointment.

(c) Employees appointed on contract and where conditions of service are laid down in the terms of contract provided that person who is initially appointed on contract and is subsequently made permanent employee of the University shall be entitled to the benefits of the Fund if the retirement benefit received by him in respect of his contract period are paid back to the University.

NOTE : (i) A person retired from any civil or military department or the Central Government or from services of any local funds administered by Government or from any other institution may on re-employment in the University be admitted to the Fund by the University subject to such instructions as may be issued from time to time.

NOTE : (ii) "The Vice-Chancellor shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund of the University till the end of his tenure,

provided that where an employee of :

(a) The University or College or institution maintained by or affiliated to it; or

(b) any other University or college or institution maintained by or affiliate to that University, is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the Provident fund to whicht he is a subscriber and the contribution of the University shall be limited to what he had been contributing immediately before his appointments as the Vice-Chancellor".

NOTE : (iii) Persons who earlier subscribed to the CPF in their previous employment and who specifically opted to continue under the CPF scheme within three months from the date of joining the service in this University shall be admitted to this fund.

4. *Transfer of an employee from a Central Government Corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation*

If an employee admitted to the benefit of the fund was previously a subscriber to any other contributory provident Fund, the amount of his subscription and the employees' contribution in CPF together with interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of the body.

5. *Constitution of the fund*

The fund shall be made up of (a) subscriptions (b) contributions and (c) Interest realised on investment in whole of in part of the subscriptions and contributions.

6. *Conditions of Subscription*

(1) Every subscriber shall subscribe : monthly to the fund when on duty, or on foreign service but not during a period of suspension .

Provided that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension, shall be allowed the option of paying in one sum or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions permissible for that period.

(2) A subscriber may, at his option, not to subscribe during the period of leave other than leave of less than 30 days duration He shall intimate his option to the Finance officer and option once intimated shall be final. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

Note.—No subscription or contribution is payable during any period of extra-ordinary leave on loss of pay.

7. *Rate of Subscription*

(1) The amount of subscription shall fixed by the subscriber himself subject to the following conditions namely :

(a) It shall be expressed in whole rupees.

(b) It may be any sum, so expressed, not less than 8-1/3% of his emoluments and not more than his emoluments. For the purpose of this rule, the emoluments of a subscriber shall be :

(a) In the case of a subscriber who was in University service in the 31st March of the preceding year the emoluments to which he was entitled on that date.

Provided that if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty.

(b) In the case of a subscriber who joined the Fund for the first time on a day subsequent to the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on such subsequent date.

(2) The amount of subscription may be enhanced twice or reduced once in a year.

(9) The application for temporary advance shall be made in form and the sanctions shall be communicated in Form 5.

(10) (1) A temporary advance from the fund to the subscriber other than the Registrar and Heads of Schools/Centres shall be sanctioned by the Registrar.

(ii) A temporary advance from the fund to the Registrar and Heads of Schools/Centres shall be sanctioned by the Vice-Chancellor.

14. *Part final withdrawals from the Fund*

(A) Subject to the conditions specified herein, part-final withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance under Rule 13(10)(ii) at any time

(A) after the completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber actually dependent on him in the following cases :—

(i) for education outside India for academic technical, professional or vocational course beyond the Higher Secondary School stage, and

(ii) for any medical, engineering of other technical or professional or scientific courses or specialised courses in Agriculture or veternary in India beyond the Higher Secondary School stage.

(b) Meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriarge of the subscriber or his sons or daughters and any other female relation actually dependent on him.

(c) Meeting the expenses in connection with the illness, including wher necessary, the travelling expnses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.

(B) after completion of ten years of service (including broken periods of service, if any) of subscriber or within ten years before the date of his retirement in superannuation whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(a) building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of site;

(b) repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose,

(c) reconstructing of making additions or alterations to a house or a flat already opened or acquired by a subscriber.

(d) purchasing a house site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose.

(e) constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (d).

(C) Within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

A person shall be granted either an advance or a withdrawal for a particular purpose but not both.

The application for part-final withdrawal shall be made in Form 6.

Note 1. A subscriber who has availed himself of an advance for house building purpose from the University source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (a) (c) (d) and (e) of clause B for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment or any loan taken from the University subject to the limit specified in rule.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the University he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under clauses (a), (c) and (e) of clause B for purchase of a house site of for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

Note 2. Withdrawal under clauses (a), (c) and (e) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made only approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

(D) Once during the course of a financial year an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards group insurance Scheme for the University.

Note 3. The amount or withdrawal sanctioned under Subclauses (a) and (b) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under clause (d), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is 3/4 of balance (as on date plus amount of previous withdrawals) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal (a).

Note 4. Withdrawal under sub-clauses (a) or (c) of clause B shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife/husband provided she/he is the first nominee to receive provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5. Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under rule 8-1. But marriage/education of different children or illness on different occasions shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clauses (d) or (f) of clauses B for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

15. *Conditions for Part-final withdrawal*

(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purpose specified in Rule 14 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months pay of the subscriber whichever is less. The Vice-Chancellor may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of these limits upto three-forths of the amount of subscriptions and interests thereon standing to his credit in the Fund.

(2) A subscriber, who has been permitted to withdrawal money from the Fund under Rule 14 shall satisfy the Vice-Chancellor within a reasonable period as may be specified by him that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn and if he fails to do so, the whole of the sums so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forth-with be repaid in one lumpsum an in default of such payment it shall be ordered by the Vice-Chancellor to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by him.

(3) A subscriber who has been permitted under subclause (a), (b) (c) (d) and (e) of clause B of rule 14 above to withdrawn money from the amount of subscription together with interest thereon standing to his credit in the fund shall not part with the possession of the house built or acquired or house site purchased by way of sale, mortgage, gift, exchange or lease for a term not exceeding 3 years without the previous permission of the Vice-Chancellor. He shall submit a declaration not later then 31st May or December of every year to the effect that the house or, as the case may be, the house site, continuous to be in his possession and shall if so required, produce before the Finance Officer on or before the date specified by that officer in that behalf, the original sale deed and other documents on which his title to property is based.

(4) If, at any time, before retirement, he parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the Vice-Chancellor the sum withdrawn by him shall forthwith be repaid in one lumpsum and in default of such repayment it shall be ordered by the Vice-Chancellor to be recovered from his emoluments either in lumpsum of in such number of monthly instalments as may be determined by the Vice-Chancellor.

16 *Conversion of an advance into a part-ffinal withdrawal* :—

A subscriber who has drawn as advance under rule 13 for any of the purposes specified in sub-rule (1) of the said Rule may convert, at his discretion by written request addressed to the Finance Officer the balance outstanding against it into a part-final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rule 14 and 15.

17. *Final Payment of the accumulations in the Fund* :—

17.1 When a subscriber quits the service of the University the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him.

Provided that a subscriber who has been dismissed from the service of the University and is subsequently reinstated inservice, shall, if required to do so, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this clause with interest thereon at such rate at which it is paid on subscriptions and contributions in the manner provided. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

(2) When a subscriber (a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is entitled to vacation or (b) while on leave, has been permitted to retire or has been declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount standing to this credit shall, become payable to the subscriber.

Provided that the subscriber, if he returns to duty shall if required to do so, repay to the fund for credit to his account the whole or part of any amount paid to him from the fund in pursuance of this clause with interest thereon at such rate at which it is paid on subscriptions and contributions by instalments or otherwise by recovery from his emoluments or otherwise as the Vice-Chancellor may direct.

17.2 When a subscriber other than the one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed is transferred without any break to the service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act X 1960, the amount of subscriptions and the Govt. contribution together with interest thereon shall be transferred to his new Provident Fund Account, if the subscriber desires and the concerned organisation agrees to such transfer.

17.3 The transfer shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Govt. or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act 1960 without any break and with proper permission of this University. Time taken to joint the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to an employee on transfer from one part to another.

18. Subject to the condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by the University with interest there on credited under Rule 9 and 11 before the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund is paid out of the Fund, the Vice-Chancellor may direct the deduction therefrom and payment to the university of :—

(a) All amounts representing such contribution and interest if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or inefficiency;

Provided where the Vice-Chancellor is satisfied that such deduction would cause exceptional hardships to the subscriber, he may, be order, exempt from such deduction an amount not exceeding two-third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber, if he had retired on medical grounds, provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted shall on his re-instatement in the service be restored to his credit in the Fund;

(b) All amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of the commencement of his service as such, resigns from the service or ceases to be an employer under University otherwise than by reason of death, superannuation or declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment;

(c) Any amount due from the subscriber under liability incurred by the subscriber to the University

Note :—

(a) For the purpose of this rule, the period of five years shall be reckoned from the commencement of the subscriber's continuous service under the University.

(b) Resignation from service with proper permission to take up appointment in another University without break in service will not constitute resignation of service for the purpose of this rule.

19. *Procedure on the Death of a Subscriber*

On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable or where the amount has become payable before payment has been made :

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 12 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part tereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall not withstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares. Provided that no share shall be payable to :

(1) sons who have attained majority,

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4);

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first provision.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 10 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

20. *Deposit linked Insurance Scheme* :

On the death of an subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an amount equal to the average balance in the account during the 3 years imme-

diately preceding the death of such subscriber subject to the condition that :—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years proceding the months of death have fallen below the limits of :—

(i) Rs. 4,000/- in the case of a subscriber who have held for the greatest part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scales of which is Rs. 4,000/- or more;

(ii) Rs. 2,500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scales of which is Rs. 2,900/- or more but less than Rs. 4,000/-.

(iii) Rs. 1,500/- in the case of a subscriber who had held, for the greater part of the aforesaid period of three years a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1150/- or more but less than Rs. 2900/-.

(iv) Rs. 1,000/- in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1150/-.

(b) The additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000/-.

(c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

21. *Manner of payment of amount in the Fund*

21.1. When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund, or the balance thereof after any deduction under rule 14, becomes payable, it shall be duty of the Finance Officer, after satisfying himself, when no such deduction has been directed under that rule, that no deduction is to be made to make payment on receipt of a written application as provided in sub-rule 23.3.

21.2. If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, IV of 1912, the payment will be made to such manager, and not to the lunatic.

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector, be made in terms of sub-section (1), of section 95 of the Indian Lunacy Act 1012 to the person having charge of such lunatic and sanctioning authority in the University shall pay only the amount which he thinks fit, to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatics family as are dependent on him for maintenance.

21.3 Any person who desire to claim payment under this rule shall send written application in that behalf to the Finance Officer. Payment of amounts withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India.

Note.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under these rules, the Finance Officer shall effect prompt payment or that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to which there is no dispute or doubt, the balance being adjusted as soon after as may be.

22. *Accounts*

(1) The account of every subscriber shall be made up early up to the 31st March.

(2) Each subscriber shacll, at the close of every year, be furnished with a statement of his account in form 7 showing the amount of his subscriptions and interest thereon standing to his credit and the amount of advance outstanding, if any, and the amount of contribution and interest, if any, thereon.

(3) The following registers and account books shall be maintained in the prescribed forms. These forms may be suitably altered by the Vice-Chancellor from time to time, if found necessary, or additional account books may be prescribed to facilitate better maintenance of the accounts of the fund.

(i) Register of investments (Form 1)

(ii) Register of subscribers and nominations (Form 3)

(iii) Provident Fund Register (Form 8)

(iv) Annual abstract of Provident Fund Subscriptions and contributions (Form 9)

(v) Register of temporary advances and part-final withdrawals (Form 10)

(4) (a) The surplus interest earned on the securities, etc., in a year over and above that which is payable to the subscribers, if any, shall lapse to the University and the amount be transferred to the credit of the University funds.

(b) If in a particular year, the interest earned on securities, etc, is less than the amount of interest payable to subscribers the difference shall be made good from the University funds.

23. *Gratuity*

Every employees other than re-employed pensioners and persons appointed on contract basis who has completed five years qualifying service and had opted for the contributory Provident Fund shall be granted gratuity at the rate of one-fourth of the emoluments for each half-year of service under the University.

(1) The gratuity shall be payable on his retirement from the service of the University. In the event of his demise, this gratuity shall be payable to the nominee or the nominees of the deceased in the manner prescribed in rule 16 of these rules. No gratuity shall be payable on resignation from the service of the University or dismissal or removal from it for misconduct, insolvency, inefficiency not due to age.

(2) The amount of gratuity shall be subject to a maximum of sixteen and half times the emoluments provided that in no case the gratuity payable shall exceed Rs. 1,00,000. In the event of the death of an employee while in service after completing five years qualifying service the gratuity shall be subject to a minimum of 12 times of his emoluments. If an employee dies in the first year of service, a gratuity equal to two times of his emoluments and in the case of death after completion of one year but before completing five years of qualifying service a gratuity equal to six times of his emoluments shall be payable.

24. *Investment of Fund*

24.1 All sums paid into the Fund under the rules shall be credited in the books of the University to an account named "Contributory Provident Fund Account" of the University. A deposit account shall be opened in such scheduled bank as the University may decide upon from time to time to be operated in such manner as the Executive Council may direct. The balance of the Fund, after reserving suitable amounts for current needs, shall be invested in the National Saving Certificates and/or other investment covered by Section 20 of the Indian Trust Act of 1882, as soon as possible after monthly accounts are closed. A register in Form 1 shall be maintained to record the details of investments and interest realised thereon.

24.2 Sums of which payment has not been taken within six months after they became payable under these rules shall be transferred to "Deposits" at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

25. *Power to Relax*

Relaxation of the provisions of the rules in individual case.

C.P.F. FORM 2(c)

PONDICHERRY UNIVERSITY

FORM OF NOMINATION

When the subscriber has no family and wishes to nominate one Person

I, having no family as defined in rule 3(g) of the Pondicherry University Contributory Provident Fund Rules, hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable, has not been paid:—

Name & address of the nominee	Relationship with subscriber	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address & relationship of the person, if any, whom the right of the nominee shall pass on the event of his predeceasing the subscriber

Dated this———————day of——————— 19———at———

Signature of subscriber

Two witnesses to signature

1. ——————
2. ——————

C.P.F. FORM 2(d)

PONDICHERRY UNIVERSITY

FORM OF NOMINATION

When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person

I, having no family as defined in rule 3 (g) of the Pondicherry University Contributory Provident Fund rules, nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before the amount has become payable, or having become payable, has not been paid, and direct that the said persons in the manner shown below against their names:—

Name & address of the nominee	Relationship with subscriber	Age	Amount of share of accumulations to be paid to each	@Contingencies on the happening which the nomination shall be invalid	Name, address & relationship of the persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this———————day of———————19———at———

Signature of subscriber

Two witnesses to signature:

1. ——————
2. ——————

Note:—The column shall be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

(@Note:—Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subseqently acquiring a family.

C.P.F. FORM 3

PONDICHERRY UNIVERSITY
REGISTER OF SUBSCRIBERS & NOMINATIONS

Sl. No.	Name in full of subscriber and date of appointment	Father's Name	Address	Date of birth & superannuation	Caste & religious	Date of admission
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Age on date of admission	Name of appointment held on date of admission	Pay of Post	No. & Dato of heirship certificate (to be filled separately)	Nominee's name in full	Relationship to subscriber
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Age	Occupation	Address	Sums due in what proportion payable	If the nominee is a minor, Name & address of guardian	Name & Address of the witness attesting the certificate	Initials of the Registrar	Remarks
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

C.P.F. FORM 4

PONDICHERRY UNIVERSITY

APPLICATION FOR SANCTION OF ADVANCE

1. Name of the subscriber
2. Account No.
3. Designation
4. Pay
5. Balance at cridit of the Subscriber in the date of the application
   - (i) Balance against the latest Account slip
   - (ii) Add subsequent deposits and refunds of withdrawals
   - (iii) Deduct subsequent withdrawal
   - (iv) Balance as on date
6. Amount of advances outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken then.

Sl. No.	Consolidated amount	Amount sanctioned and the purpose	Amount pending recovery

7. Amount of advance required
8. Purpose for which the advance is required under C.P.F. Rule No.
9. Amount of consolidated advance (items 6 & 7 & number & amount of monthly instalments) in which the consolidated advance is proposed to be repaid.
10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber justifying the application for the temporary advance.

Encl: Account slip

Signature of the applicant

Station :———————

Date ———————

C.P.F. FORM 5

PONDICHERRY UNIVERSITY

FORM FOR SANCTION OF TEMPORARY ADVANCE

Procs. No. Date

Sub : Contributory Provident Fund—Temporary advance sanctioned to Shri.

Ref:

1. A temporary advance from the Contributory Provident Fund as particularised below is sanctioned.

Sanction is hereby accorded to the grant of a temporary advance of Rs. ..... (Rupees .....) to Shri ..... from his/her C.P.F. Account No. to enable him/her to defray expenses.

2. A sum of Rs. .....(Rupees .....) out of the advances of Rs. .....(Rupees .....) already sanctioned and paid to him/her has not been recovered as on date. This amount together (Rupees .....) will be recovered in monthly instalments of Rs. .....each.

3. The particulars of balance at his credit as on .....and the amount outstanding from out of the previous advance are given below:—

(a) Balance at credit of the subscriber as on date
  (i) Balance as per the latest account slip furnished by the Finance Officer
  (ii) Add subsequent deposits and refunds of withdrawals
  (iii) Deduct subsequent withdrawals if any
  (iv) Balance as on date

(b) Amount of advance outstanding if any and the purpose for, which advance was taken then

Sl. No.	Amount sanctioned	Purpose for which sanctioned	Amount pending recovery

C.P.F. FORM 6

PONDICHERRY UNIVERSITY

FORM OF APPLICATION FOR PART—FINAL WITHDRAWAL FROM THE C.P.F.

1. (a) Name (In Block letters) . . . . . .
  (b) Designation & Department . . . . . .
  (c) Account No. (C.P.F.) . . . . . .

2. Subscriber's pay [(pay as defined in rule 3(f)] . . . .
  (i) Total service . . . . . .
  (ii) Date of birth . . . . . .
  (iii) Date on which the subscriber completed twenty/fifteen years of service (including broken periods of service)
  (iv) Due date of retirement on superannuation . . .

4. (i) Amount of part-final withdrawal applied for . . .
  (ii) Purpose for which the part-final withdrawal is applied for . . . . . .

5. Balance at credit of the subscriber on the date of application
  (i) Balance as per last Account . . . . . Rs.
  (ii) Subscription during the year . . . . . Rs.
  (iii) Recovery of advances during the year . . . . . Rs.
  Total . . . . . Rs.
  LESS: Part-final withdrawal advances during the final year . . . . . Rs.
  Balance on date . . . . . Rs.

6. Purpose of withdrawal:

(a) Marriage

(i) Name of the person in connection with whom the Provident Fund withdrawal is applied for and nature of relationship.

(ii) Date of birth of the person referred to in sub-clause(i)

(iii) Date of event . . . . . .

(iv) If it is for the marriage of female relation of the subscriber other than his/her daughter state whether she is actually dependent on the subscriber. . . . . .

(v) Certificate to the effect that one amount was drawn for this purpose as temporary advance.

(vi) Details of previous part-final withdrawals drawn for the same purpose, if any . . . . . .

(b) Higher Education

(i) Name of the person & relationship of the person to the subscriber. . . . . .

(ii) Nature of course & period of study (Engg., Academic, Technical Engineering, Medical, Scientific) . .

(iii) Whether the education is outside India or within India.

(c) Medical Treatment

(i) Whether the withdrawal is for the illness of the subscriber or for his dependent. . . . . .

(ii) Relationship of the person to the subscriber and whether he/she is actually dependent on the subscriber .

(iii) Nature of ailment (Medical Certificate to be attached)

(d) (i) The specific purpose (Viz) purchase house site or house construction or reconstruction making additions or alteration or repayment of loan etc. .

(ii) Whether subscriber already owns a house or house site.

(iii) If the withdrawal is for repayment of loan, whether the loan was expressly taken for the house building purpose.

(iv) If the loan is taken under housing scheme sponsored by the State/Union Government, the particulars and amount of advance drawn under such scheme. . . .

(v) The amount of any other assistance in this regard from any other source. . . . . .

(vi) Whether the withdrawal is towards repayment of the house, house site purchased through building societies or similar agencies on hire basis/instalment basis, if so

(a) No. of instalments within which the repayment should be made and the period within which the repayment should be completed.

(b) The amount due to be paid to the building society.

Date **Signature of the Subscriber**

Through the Head of the Department/Section

Head of the Department/Section

OFFICE NOTE

Amoun at credit . . . . . **Rs.**

Amount applied for . . . . . **Rs.**

Amount maximum eligible [75% of the amount at Credit-Rule 13(1)]

Purpose of the withdrawal . . . . . .

Purpose covered under Rule . . . . . .

Special remarks . . . . . .

Sanction may be considered subject to the condition that the applicant will furnish a utilisation certifiate for the sanctioned amount within 3/6 months.

C.P.F. FORM

PONDICHERRY UNIVERSITY

Ref. No. Dated

MEMORANDUM

Under rule 18(2) of C.P.F. Rules of the University, a statement of your Provident Fund Account as on 31st March, 19 is given below. A certificate of acceptance of the balance as on 31-3-19 may please be furnished to the office within a week of the receipt of this Memo. in the form set out below. The statement takes into account advances paid and recoveries of advance effected from salaries including for the month of February, 19 and cash recoveries upto 31st March, Non-receipt of the certificate within the stipulated period will be construed as acceptance of the balances now intimated.

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

Account of Shri

Designation

Department/Section

Contributory Provident Fund Account Number

For the year ending 31st March, 19

	Subscription Rs. P.	Contribution Rs. P.	Remarks
Opening balance			
Credits during the year*			
Interest for the year			
Total			
Withdrawals during the year			
Balance as on 31st March, 19			

*Includes recoveries made during the months of April, 19 to March, 19

REGISTRAR

Certificate of acceptance of the balance standing in the Contributory Provident Fund Account of Shri/Smt./Selvi as on 31-3-19

This is to state that I accept as correct the balance as on 31st March, 19 shown in the statement of my Provident Fund Account Forwarded with your letter dated

Date :

SIGNATURE
DESIGNATION

PONDICHERRY UNIVERSITY

REGISTER OF PROVIDENT FUND ACCOUNT

Name of the subscriber Designation
Date of birth Account No.
D partment/Section Date of appointment
Year 19 19

Month	Particulars of recovery	Basic Pay	Subscription	Refund of advance	Total	Adv/ with-drawals
	Payment of advance					
1	2	3	4	5	6	7
April						
May						
June						
July						
August						
September						
October						
November						
December						
January						
February						
March						
Total						

Monthly balances	Inter st on subs-cription	Total sbuscription Account	Contri-bution	Monthly balances	Interest on contri-bution	Total contri-bution Account
8	9	10	11	12	13	14
Total						

	Rs.		Rs.
Balance B/F from page		Balance B/F from page	
Add Deposits & refunds (Col. 5)		*Add* Contribution for the year (Col. 11)	
Interest for 19 19 (Col. 8)		Interest for 19 19 (Col. 13)	
Total			
LESS: Withdrawal (Col. 6)			
Balance as on 31st March 19		Balance as on 31st March 19	

REGISTRAR/FINANCE OFFICER

C.P.F. FORM 9

PONDICHERRY UNIVERSITY

ANNUAL ABSTRACT OF CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ACCOUNTS OF THE UNIVERSITY EMPLOYEES

Sl. No.	Name & Designation	Account No.	O.B.	Credit during the year under		
				Subscriptions	Advances	Interest credited
1	2	3	4	5	6	7

Total of 4 to 7	Payment of		Total of 9+10	Balance 8 to 11	Provident Fund Advance	Total 12+13
	Advance	Part-final & final withdrawals				
8	9	10	11	12	13	14

C.P.F. FORM 10

REGISTER OF CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ADVANCE : PAYMENTS AND RECOVERIES FOR THE YEAR 19 —19

P.F. Account No.	Name & Designation	Department/ Section	No. of instalment	Amount of each instalment Rs. P.	Opening balance Rs. P.
1	2	3	4	5	6

Paid during the year Rs. P.	Voucher No. & date	Recoveries						
		April Rs. P.	May Rs. P.	June Rs. P.	July Rs. P.	August Rs. P.	September Rs. P.	October Rs. P.
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Recoveries					Total	Closing Balance	Balance
November Rs. P.	December Rs. P.	January Rs. P.	February Rs. P.	March Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
16	17	18	19	20	21	22	23

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991।
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.